(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] षष्ठम विधान सभा के द्वितीय सत्र का 22 वां दिवस [संख्या 16

बुधवार,

दिनांक 27 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न। श्री गिरधारीलाल भार्गव ?

जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों के विकास की योजना

428. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों के विकास की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या इन बस्तियों के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है ?

(3) जयपुर नगर की कौन-कौन सी कच्ची बस्तियों का समुचित विकास पूर्ण हो चुका है और कितनी बस्तियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य प्रारम्भ किये जाने वाले हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) 67 कच्ची बस्तियों में विकास कार्य अब तक किये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है एवं 7 कच्ची बस्तियों में कार्य प्रारम्भ करना है उनकी सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि पिछली सरकार ने जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया, यह खेदजनक है। दूसरी बात यह है कि क्या जयपुर में एक भी ऐसी कच्ची बस्ती है जिसमें पूर्ण रूप से नागरिक सुविधायें दे दी गयी हैं और उसका विकास कर दिया गया है ? तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि 21-8-71 के बाद जो परिवार बस

Page No 2

(2)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

गये हैं क्या उनका भी राज्य सरकार नियमन करने जा रही है ? यदि हां, तो उसकी तिथि कौनसी होगी ? पहले बरकत साहब ने घोषणा की थी कि 21-8-71 वालों को बेदखल नहीं किया जायगा। कई लोग ऐसे भी रह गये जिनका सर्वे ही नहीं हो पाया। यह बताने का कष्ट करें कि आप कौनसी तिथि तक का नियमन करने जा रहे हैं ? इसके अलावा 21-8-71 के बाद वालों का नियमन होगा उनकी दरें क्या होंगी ?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): ये प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): केन्द्रीय सरकार कच्ची बस्तियों के विकास के लिये प्रति वर्ष धनराशि उपलब्ध कराती है, क्या राज्य सरकार को इस साल भी धनराशि मिलेगी ?

दूसरा मेरा सप्लीमेन्ट्री यह है कि क्या सरकार कोई ऐसा निर्णय लेगी कि और कच्ची बस्तियां पैदा न हों ? उन पर कोई रोक लगाने का विचार कर रही है ?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना): जयपुर की कच्ची बस्तियों की हालत आज भी तसल्लीबख्श नहीं है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, इस कारण कच्ची बस्तियों के लोग प्रदर्शन करते हैं और कई बार मुख्य मन्त्रीजी की सेवा में भी आये हैं। उनको तसल्ली देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं।

श्री गुल मोहम्मद (जोहरी बाजार): चौकड़ी तोपखाना हजूरी का बिना मास्टर प्लान बनाये विकास नहीं किया जावे, इस बस्ती का विकास बिना मास्टर प्लान बनाये नहीं करें। इसके लिये मास्टर प्लान तैयार करना जरूरी है। मास्टर प्लान बनाने के लिये क्या राज्य सरकार विचार कर रही है ?

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब ये सारे प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन हैं तो समय क्यों नष्ट किया जा रहा है।

श्री अब्दुल अजीज: सरकार को इस बारे में पहले नीति निर्धारित करनी चाहिए थी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी कच्ची बस्तियों में तोड़-फोड़ चालू है और उन पर अनधिकृत कब्जा किया जा रहा है, इसलिए सरकार को तुरन्त कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, विराजिये। सारी समस्याओं पर गौर किया जायगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा: इस तरह की एक्टिविटीज के निराकरण के लिये राज्य सरकार को तुरन्त कदम उठाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य मन्त्रीजी ने समुचित उत्तर दे दिया है।

नैक्स्ट। श्री श्रीगोपाल !

अनुसूचित-जाति एवं जन-जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

429. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 3

(3)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

क्या यह सही है कि राज्य सरकार (समाज कल्याण) द्वारा आपातकाल से पूर्व, अनुसूचित जाति, जन-जाति के कॉलेजों के विद्यार्थियों को दी जा रही छात्रवृत्ति को आपातकाल लागू होते ही बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर और अब वह कब चालू की जावेगी ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री कैलाश मेघवाल) : जी नहीं। वर्ष 1974-75 में अनुसूचित जाति व जन-जाति के कॉलेज स्तर के छात्रों को केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार की ओर से उत्तर मैट्रिक व अतिरिक्त छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती थी। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अभी भी नियमानुसार स्वीकृत की जा रही है लेकिन वर्ष 74-75 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें भारत सरकार द्वारा काफी बढ़ा दी जाने, महालेखाकार, राजस्थान द्वारा नियमों के अन्तर्गत एक ही छात्र को दो छात्रवृत्तियाँ देने पर अंकेक्षण आपत्तियां करने व योजना आयोग के कार्यक्रम सलाहकार के निर्देश के कारणों से राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त छात्रवृत्ति वर्ष 1975-76 से बन्द कर दी गई, जिसका निर्णय आपातकाल की घोषणा के बहुत समय पूर्व माह जनवरी, 1975 में ही किया जा चुका था। इस छात्रवृत्ति को फिर से चालू करने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

श्री गोपाल पचेरवाल : राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को ज्यादा जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार के नियम आड़े आये थे। वे दिल्ली जाकर इसकी पैरवी भी कर आये हैं, उनको मेरे से ज्यादा जानकारी है।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : केन्द्रीय सरकार से ज्यादा छात्रवृत्ति मिली, तो पहले कितनी मिलती थी ? आपत्ति किस पर हुई ? और क्या सरकार नई स्वीकृति के कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री कैलाश मेघवाल : जो संशोधित दरें हैं, वह मेरे पास हैं और जो पूर्व की दरें थीं वह भी हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : फर्माइये।

श्री कैलाश मेघवाल :

क्र. सं.	कोर्स व शिक्षा स्तर	वर्ष 1973–74		वर्ष 1974–75	
		छात्रावास आवासी	अन्य	छात्रावास आवासी	अन्य
1.	टी० डी० कोर्सेज प्रथम वर्ष	40	27	70	40
	द्वितीय वर्ष	40	27	75	45
2.	एम० ए० प्रथम वर्ष	50	35	80	50
	द्वितीय वर्ष	50	35	85	55
3.	एम० बी० बी० एस०,	75	60	125	75
	एम० एस० द्वितीय वर्ष	75	60	125	75
	एम० डी० बी० ई० आदि				

Page No 4

(4)

(श्री कैलाश मेघवाल)

पहले जैसा मैंने निवेदन किया, केन्द्र सरकार के नियम बने हुए हैं कि जिसको केन्द्र से छात्रवृत्ति मिलती है उसे और कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती। लेकिन महंगाई बढ़ती गई इसलिये केन्द्र द्वारा मिलने वाली राशि कम मानते हुए राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि अतिरिक्त छात्रवृत्ति भी इन्हें मिलनी चाहिये। इस निर्णय के अनुसार छात्रवृत्ति प्रारम्भ कर दी गई। इस पर 1972-73 में आडिट आब्जेक्शन्स हुए। हमने केन्द्र सरकार को लिखा तो उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने की वजह से हम अपनी दरों में संशोधन कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने भी अपनी दरों में संशोधन कर दिये, परन्तु उन्होंने यह तय किया कि अगर कोई केन्द्र से छात्रवृत्ति पा रहा है, तो वह दूसरी कोई छात्रवृति नहीं पा सकेगा। एक छात्र केवल एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी जो केन्द्र सरकार की संशोधित दरें हैं, उसकी रकम पहले जो दोनों छात्रवृतियां मिलती थीं, उसके बराबर है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय बहुत ही विस्तारपूर्वक बता चुके हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : आज जब दो-ढाई सौ का खर्चा बैठता है, तब आप उन छात्रों को सत्तर-अस्सी रुपये की छात्रवृति देकर उनके अन्दर हीन भावना पैदा करना चाहते हैं। अगर केन्द्र सरकार ने भी पैसा दे दिया तो यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप तो उनकी छात्रवृत्ति बन्द करके उनका सारा खर्चा बर्दाश्त कर लें और उनके अन्दर हीनता की भावना पैदा नहीं होने दें।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री विजयेन्द्र पाल !

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) : छात्रवृत्ति के बारे में एक जानकारी चाहूंगा। केन्द्र सरकार ने छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया तो आप जो 40 रुपये देते हैं, वह बन्द कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है।

नैक्स्ट। श्री विजयेन्द्र पाल !

उदयपुर में आने वाले पर्यटक

430. **श्री विजयेन्द्रपाल** (आसींद) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) उदयपुर नगर में कुल कितने होटल्स हैं और उनमें से कितने होटलें अधिकांशतः गुजराती पर्यटकों पर ही निर्भर करते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश गुजराती पर्यटक, जो उदयपुर एवं नाथद्वारा हेतु गुजरात से आते हैं, रेलगाड़ी अथवा मोटरों से आते हैं ? यदि हां, तो मोटरों के उक्त राष्ट्रीय मार्ग को सुधारने हेतु राज्य सरकार ने क्या प्रयास किया है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) उदयपुर नगर में कुल 35 होटल हैं। सभी होटल पर्यटकों पर निर्भर करते हैं।

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) जी हां । राष्ट्रीय मार्गों का सुधार पर्यटन विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। पर्यटन विभाग राष्ट्रीय मार्गों एवं राजकीय मार्गों पर मिड-वे बनाकर पर्यटकों को सहूलियत देने का प्रयत्न कर रहा है।

उदयपुर-अहमदाबाद मार्ग के बीच रतनपुर में एक मिड-वे इस वर्ष बनाने की योजना स्वीकृत कर दी गई है। इस मार्ग पर ऋषभदेव में भी एक टूरिस्ट बंगला निर्माणाधीन है।

श्री विजयेन्द्रपाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग सड़क बनवाता नहीं है तो उसने क्या प्रयास इस सड़क को ठीक करवाने के लिये किये ? उदयपुर से अहमदाबाद 150 मील है । अहमदाबाद से काफी लोग नाथद्वारा दर्शन करने के लिये अथवा दारू पीने के लिये आते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : दारू पीने के लिये ज्यादा आते हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल : वहां पर अगर आपने प्राहिबिशन लागू किया तो क्या इन मिड-वेज में आप फॉरिन टूरिस्ट्स के लिये बार का इन्तजाम करेंगे ?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : दारू का नाम सुनते ही डागाजी बहुत प्रसन्न हुए।

श्रीमती विद्या पाठक : अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अब्दुल अजीज !

मकराना में खानों का अलाटमेंट

431. **श्री अब्दुल अजीज (मकराना)** : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नई खानों का अलाटमेंट मकराना में बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार नई खानों का अलाटमेंट फिर से किये जाने पर विचार कर रही है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां, क्योंकि क्षेत्र में पूर्वेक्षण व सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है जो प्रगति पर है।

(2) जी हां।

श्री अब्दुल अजीज : मैं यह जानना चाहता हूं कि आप किस तारीख से यह अलाटमेन्ट चालू करेंगे ? आप तारीख निर्धारित करें।

दूसरा अलाटमेन्ट की जो पावर्स हैं, उनमें भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है ? अलाटमेन्ट की पावर्स आप सुपरिन्टेन्डिंग इन्जिनियर को दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुझाव बाद में दें।

श्री अब्दुल अजीज : बहुत इम्पार्टेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत इम्पार्टेन्ट हो सकता है, लेकिन प्रश्न की परिधि में नहीं आता है, उसके स्कोप में नहीं है।

Page No 6

(6)

श्री अब्दुल अजीज : किस तारीख तक चालू करेंगे, यह तो बता सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रोसीजर होगा वह करना पड़ेगा, इसमें तारीख नहीं बता सकेंगे।

श्री अब्दुल अजीज : 500 एप्लीकेशन्स हैं उनको खारिज करेंगे या ग्रान्ट करेंगे ? मकराना की 500 एप्लीकेशन्स पेन्डिंग हैं, जिन्होंने सरकार को पैसा भी दिया है, उनका क्या होगा ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करता हूं कि सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण का कार्य पूरा होने पर प्रार्थना-पत्रों पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : आपने सेन्डस्टोन की खानों के प्लाट्स अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों के लिये रिजर्व कर रखें हैं, क्या इस प्रकार का रिजर्वेशन आप मार्बल की खानों में भी रखेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह प्रश्न विचाराधीन हो सकता है।

श्री शिवचरण सिंह : कितना प्रतिशत रखेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह सारा प्रश्न विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री मूलचन्द डागा !

गन्दी गली के पानी का निकास बन्द हो जाने से मकानों में सीलन

432. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चौड़ा रास्ता, जयपुर स्थित अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसायटी के अमर भवन के उत्तरी तरफ जो छोटी खालसा गन्दी गली है, उसको सोसायटी वालों ने दीवार उठा कर बन्द कर दिया, जिसके कारण गन्दा मलवा व पानी तथा बारिश के पानी का निकास बन्द हो गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खालसा गन्दी गली का निकास बन्द हो जाने के कारण गत तीन-चार वर्ष से उस गली में निरन्तर पानी भरा रहता है और गन्दगी भरी हुई है, जिसकी नागरिकों द्वारा अनेकों बार निवेदन करने पर भी सफाई नहीं हो पाई है ?

(3) क्या यह सही है कि गली का रास्ता बन्द हो जाने तथा पानी जमा हो जाने के कारण मकानों के धराशायी होने का खतरा पैदा हो गया है ? इसी कारण इस वर्ष तेज बारिश के कारण एक तीन मंजिला मकान भी धराशायी हो गया है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस जनहित से सम्बन्धित खालसा गली को बन्द करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) जी नहीं ! कोई खालसा गली नहीं है एवं गन्दा मलबा व पानी का निकास बन्द नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं। कोई खालसा गली नहीं है। गली की भूमि निजी भूमि है। ऐसी स्थिति में परिषद् द्वारा वहां सफाई करवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(3) निजी भूमि में भी पानी जमा नहीं होता है। एक तीन मंजिला मकान का ऊपरी भाग ही, जो काफी जीर्ण स्थिति का था, भारी वर्षा के कारण गिरा है, न कि सीलन के कारण।

(4) प्रश्न (1) के उत्तर के बाद प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ी कृपा की आपने। यह गली आपने बताई कि खालसा नहीं है। किस व्यक्ति के नाम है ? उसके नाम कोई पट्टा है ?

दूसरी बात, गली के दोनों तरफ मकानात बने हुए हैं। उन मकानात का सारा गन्दा पानी उस गली में आता है। नगरपालिका क्या उस गली की बराबर सफाई करती है ?

तीसरी बात, मलवा हटाने का काम किया गया, तो नगरपालिका ने क्यों किया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1966 में अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसायटी ने दीवार बना दी और आधा भाग ज्ञानचन्द मानचन्द सकलेचा को बेच दिया। ज्ञानचन्द मानचन्द ने आधे भाग पर अपना कन्स्ट्रक्शन का काम करवा दिया। बाकी जो स्थान है दूसरी फर्म का उसका भी ढलान बराबर है, पानी बह जाता है।

यह निजी गली है, खालसा नहीं है, इसलिये इसका नगरपालिका द्वारा सफाई कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मूलचन्द डागा : मैं पूछ रहा हूं कि इस गली का पट्टा किसके नाम है ? उसको इजाजत देने की जरूरत क्यों पैदा हुई ? आप इस सारे प्रश्न की जांच करवा लें और जांच के बाद वहां के रहने वालों को बचायें। वहां पानी के कारण सारे मकानों में सीलन आ जाती है, और गन्दगी और सीलन के कारण ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री मूलचन्द डागा : मैं पूछ रहा हूं कि निजी गली है तो किसकी है ? आपको, श्रीमान, गलत अवगत कराया गया है, आप इसकी जांच करवा लें। मैं भी मौके पर हाजिर हो जाऊंगा और बताऊंगा कि यह गली खालसा है या किसकी है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत जानकारी दे दी आपने।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : आप तो चेयरमैन रहे हैं पाली नगरपालिका के, आपको मालूम होना चाहिये कि सफाई का काम म्यूनिसिपेलिटी का है। राज्य सरकार सफाई का कार्य नहीं करवाती।

श्री मूलचन्द डागा : यह जयपुर की गली है, जहां आप रहते हैं।

श्री बाऊदयाल जोशी : गलियां साफ कराने का काम म्यूनिसिपेलिटी का है, राज्य सरकार का नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : एक सार्वजनिक गली को अगर कोई भी आदमी अलाट करवा लेता है, उसके बाद उसको रोक देता है और लोगों के आने जाने में बाधा डालता है, या पानी रोकता है,

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

तो उसे आप जन-हित में रोक नहीं सकते ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर स्पष्ट दे दिया है कि गली में आधे हिस्से में तो अमर जैन मेडिकल रिलीफ भवन आया हुआ है, दूसरी तरफ ज्ञानचन्द मानचन्द सकलेचा की फर्म आयी हुई है। गली में आधा भवन तो खरीद लिया है बाकी आधे पोर्शन में ढलान है जहां पर बरसात में पानी भर जाता है और उससे मकान में सीलन आ जाती है। जो मकान गिरने की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य, वह तो बरसात के कारण गिरा है।

श्री मूलचन्द डागा : आप इन्क्वायरी करा लीजिये, हुजूर। वहां पर भट्ट के मकान हैं, सारी गली गन्दगी से भरी रहती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, आप बिराजिये। प्रश्न का उत्तर आ गया है। उन्होंने कहा है कि जांच करवा लेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आपको स्पष्ट उत्तर दे दिया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : आप चल कर इन्क्वायरी करा लें, गली और मोहल्ले के लोगों को पूछ लें, क्या उनको कोई एतराज है या नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, आपको उत्तर दे दिया गया है फिर आपको दुबारा उत्तर सुनने से क्या फायदा। आप बिराजिये।

नैक्स्ट। श्री सूरजपालसिंह !

ग्राम पंचायतों के सचिव

433. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पंचायतों में कार्यरत कुछ सचिवों को पचायती राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर जोधपुर में प्रशिक्षण दिया ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे प्रशिक्षित कुछ सचिवों को लगातार कई वर्ष तक कार्य करते रहने के बाद सचिव पद से हटा दिया गया ? अगर हां, तो क्यों ? क्या यह उनके साथ खिलवाड़ नहीं है ? ऐसे हटाये गये सचिवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या राज्य सरकार उन्हें फिर से नियुक्त करने का इरादा रखती है ?

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूरे राजस्थान को डील करता है। इस प्रश्न की सूचना सारे राजस्थान से आनी है। राजस्थान की सभी पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों से सूचना उपलब्ध होनी है। इतनी ज्यादा सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं होने के कारण इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री सूरजपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सूचना कब तक उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : सूचना पूरे राजस्थान से आनी है अतः इसमें समय तो लगेगा ही।

(श्री उपाध्यक्ष)

इसको स्थगित किया गया।

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न को किसी भी वात पर स्थगित कर दिया जाता है। यों तो हर प्रश्न स्थगित कर दिया जायेगा।

प्रश्न सख्या 434

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतना राम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री सुमित्रासिंह !

दूध की खरीद का भाव

435. **श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू)**: क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम दूध में चिकनाई के प्रतिशत के हिसाब से दूध की कीमत का चुकारा करता है ?

(2) क्या यह सही है कि इस पद्धति से भैंस के दूध की कीमत 2) रुपये एवं उससे अधिक कभी-कभी 3) रुपये तक भी मिल जाती है परन्तु गाय के दूध की कीमत 1) रुपये एव अधिकतम 1 रुपया 25 और 30 पैसे तक ही दी जाती है ?

(3) यदि फैट के आधार पर ही दूध की कीमत देनी है तो फिर संकर गायों के प्रजनन को बढ़ावा किसलिये दिया जा रहा है ?

(4) क्या राज्य सरकार इसे आवश्यक नहीं समझती कि पंजाब एव महाराष्ट्र की तरह संकर किस्म की गाय का दूध एस. एन. एफ. के प्रतिशत के आधार पर खरीदा जावे ?

राज्य मन्त्री पशुपालन (श्री महबूब-अली) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं, इस पद्धति से भैंस और गाय के दूध में इतना अन्तर नहीं आता है। 27 रुपये प्रति किलो फेट (चिकनाई) के हिसाब से भैंस का दूध जिसमें 6.5 प्रतिशत चिकनाई होती है, का भाव रुपये 1.76 पैसे प्रति लीटर तथा गाय का दूध, जिसमें चिकनाई 4.5 प्रतिशत होती है, का भाव रुपये 1.22 पैसे बैठता है।

(3) संकर गायों के प्रजनन को बढ़ावा इसलिये दिया जा रहा है क्योंकि संकर नस्ल की गाय, भैंस तथा गाय दोनों से कहीं अधिक दूध देती है। अतः संकर गाय के दूध में फैट (चिकनाई) की मात्रा कम होने पर भी उसके दूध की कीमत गाय और भैंस के दूध की तुलना में अधिक प्राप्त होती है।

(4) जी नहीं, क्योंकि गाय के स्तर पर एस० एन० एफ० का पता लगाना फिलहाल सम्भव नहीं है परन्तु राजस्थान सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि दूध की कीमत इस पद्धति से दी जावे कि गौ पालन को प्रोत्साहन मिले।

श्रीमती सुमित्रासिंह : पहली वात तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह वताने का कष्ट करें कि यह एन० एस० एफ० क्या वला है ?

श्री महबूब अली : नोन सोलिड फैट।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि पंजाब और महाराष्ट्र में जिस तरह एन. एस. एफ. के आधार पर दूध की कीमत का चुकारा करते हैं उसी तरह से राजस्थान

(श्रीमती सुमित्रासिंह)
सरकार भी गौ पालकों को उसी आधार पर दूध की कीमत का चुकारा करने की कार्यवाही करेगी ?

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब और महाराष्ट्र में किस प्रकार से चुकारा किया जाता है उसकी तो मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, भैंसों का एन. एस. एफ. पद्धति पर दूध निकाल कर पेमेन्ट किया जायेगा। वहां पर तो डेयरी है जहां पर गांव वाले दूध दे देते हैं और वहीं पर एन. एस. एफ. के हिसाब से पेमेन्ट कर दिया जाता है। चूंकि यह पद्धति बहुत ज्यादा काम्पलीकेटेड है और यहां पर अभी लागू करने में काफी दिक्कत हो सकती है इसलिये यहां पर पंजाब और महाराष्ट्र की पद्धति लागू नहीं की जा सकती।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार तो आज गौ-पालकों का पूरी तरह से एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है। अगर आप मौके पर एन. एस. एफ. पद्धति से प्रोसेस करके पेमेन्ट करें तो उनको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं अन्यथा उनका बुरी तरह से एक्सप्लोइटेशन किया जायगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि आज एक तरफ तो बैंकों से लोन लेकर सरकार डेयरी डवलपमेन्ट के लिये लाखों रुपये खर्च कर रही है तो दूसरी तरफ क्रास ब्रीड की गायें नहीं खरीद कर भैंसों की ज्यादा क्यों खरीद करा रहे हैं ?

श्री महबूब अली : भैंसों के दूध में फेट अधिक होता है गायों में कम।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप तो, मन्त्री महोदय, यह बताइये कि जयपुर की डेयरी में जो दूध आता है उसमें भैंस का दूध कितना है और गायों का दूध कितना है ?

श्री महबूब अली : माननीय सदस्या ने यह प्रश्न अलग से किया है इसकी मैं जानकारी लेकर आपको जवाब दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह अलग से प्रश्न है। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहती हूं कि हमारे यहां पर जो गायों को क्रोस ब्रीड कराया जा रहा है, उनका जो दूध है उसका चुकारा भैंस के दूध के आधार मान पर नहीं अपितु एस. एन. एफ. के आधार पर किया जावे। मैं यह महसूस करती हूं कि जिस तरह पंजाब और महाराष्ट्र में क्रोस ब्रीड गायों के दूध का एन. एस. एफ. पद्धति लागू कर पेमेन्ट किया जाता है उसी तरह राजस्थान में भी उसी पद्धति को लागू करके हमारे यहां के गौ-पालकों को पेमेन्ट किया जाय अन्यथा आज लोग गाय खरीदते ही नहीं और भैंस ही खरीदते हैं। गांवों में आज भैंसों में बीमारी फैल गई है जिससे काफी भैंसें मर चुकी हैं। मन्त्रीजी कृपया इसका उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने उत्तर दे दिया है।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इस फैट में कैंजीन कितना है ?

एक माननीय सदस्य : आधा फैट है या कैंजीन है या कितना प्रतिशत दोनों का है ?

श्री महबूब अली : फैट के हिसाब से पेमेन्ट किया जाता है।

श्री शिवचरणसिंह : कैंजीन का प्रतिशत कितना है ? क्या आप कैंजीन के प्रतिशत के अनुसार खरीदना पसन्द करेंगे ?

श्री महबूब अली : इसके बारे में अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। आगे कभी इस प्रकार का प्रश्न खड़ा होगा तो विचार किया जा सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। श्री उगमराज मेहता !

ब्यावर में पेय जल की व्यवस्था

436. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़ आदि की पेय जल समस्या का स्थायी हल कराने हेतु बनास योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित होगी और ब्यावर को कब तक पेय जल प्राप्त हो जायगा ?

(2) क्या बनास योजना का कार्य पूरा होने तक अधूरी पड़ी सुरा घाटा व देवाता फीडर का काम पूरा कर राज्य सरकार द्वारा तत्काल राहत दी जावेगी ?

(3) ब्यावर की गम्भीर पेय जल समस्या के तात्कालिक हल हेतु सेन्दड़ा से ब्यावर तक छः इन्च डाली गई पाइप लाइन से ब्यावर को कब तक पानी मिलेगा ? इस लाइन पर अब तक कितना खर्च हो चुका है और पूरी योजना कितनी राशि की है ?

(4) क्या यह सही है कि ब्यावर को पेय जल देने हेतु भीमादेह पर बांध बना कर पानी देने की योजना शुरू की गई थी ? यदि हां, तो वह पूरी क्यों नहीं की गई और उस पर कितनी राशि व्यय हुई तथा अधूरी छोड़ने के क्या कारण थे ? क्या राज्य सरकार इस योजना को पूरा करने का इरादा रखती है ?

(5) क्या राज्य सरकार के समक्ष रायपुर बांध से ब्यावर को पेय जल देने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह योजना पूरी होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या जल अभियन्ता अभियान्त्रिक विभाग व सिंचाई विभाग ने यह योजना सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी ? स्वीकृत होने के बाद भी अब तक काम क्यों नहीं शुरू किया गया ?

राज्य मन्त्री, जन-स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) जी हां। बनास योजना का प्रथम खण्ड 8.73 करोड़ 20 लाख की लागत के लिये वर्ष 1975-76 में स्वीकृत किया गया है। योजना के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना-काल में पूरी होने की सम्भावना है।

(2) यह कार्य सिंचाई विभाग से संबंधित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके

Page No 12

(12)

(श्री महबूब अली)

द्वारा ब्यावर की समस्या के समाधान का कोई विशेष हल प्रतीत नहीं होता।

(3) ब्यावर नगर की आवश्यकता पड़ने पर सेन्दड़ा योजना से जल उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इस योजना पर मार्च 77 तक 12.08 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है। यह योजना 20.43 लाख रुपये के लिये स्वीकृत है।

(4) अकाल राहत के तहत सिंचाई विभाग द्वारा भीमादेह पर बान्ध के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया था। जिस पर 2.75 लाख रुपये व्यय किया गया। अकाल राहत के अपूर्ण कार्यों के पूर्ण कराये जाने के लिये आवश्यक राशि उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। कार्य को पूरा करने के बाबत जांच कर निर्णय लिया जा सकेगा।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। योजना स्वीकृत नहीं की गई।

श्री उगमराज मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर में पेय जल की समस्या बहुत वर्षों से गम्भीर बनी हुई है। मुख्य मन्त्री जी ने बनास योजना के पूरी करने की घोषणा की थी। मेरा निवेदन यह है कि यह बनास योजना कब बनी थी और यह योजना कब तक पूरी बन जायेगी ? बनास योजना से कब तक ब्यावर को पीने के लिये पानी मिलना आरम्भ हो जायेगा ?

दूसरा देवाता, सूर्य घाटा फीडर पर इतनी रकम खर्च होने के बावजूद भी इसको अधूरा क्यों छोड़ा ?

तीसरा सेंदड़ा पर इतनी रकम खर्च होने के बावजूद भी और पाइप लाइन होने के बावजूद भी ब्यावर को कितना पानी मिलेगा और कब तक मिल जावेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : तीन प्रश्न काफी हैं।

एक माननीय सदस्य : मेरा एक प्रश्न है ...

श्री सुखलाल सेणचा : जो पानी दिया जा रहा है सेंदड़ा से ब्यावर को तो जब यह स्कीम लागू की गयी थी तो कोई एग्रीमेन्ट हुआ था कि ब्यावर को पानी देने के पहले सेंन्दड़ा को दिया जावेगा ?

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या बनास योजना को पूरा करके जयपुर-ब्यावर को पानी देने की बात कही गयी थी ?

श्री मूलचन्द डागा : बीच में जयपुर कहां से आ गया ? ब्यावर में रह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। आप भी बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री उगमराज मेहता : जालिया मकरेडा से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो क्या करेंगे ?

श्री अब्दुल अजीज : स्वास्थ्य के लिये हेल्दी पानी देना चाहिये, यह नहीं कि दवाओं के माध्यम से उसको अच्छा बना दें। बीमारियां फैल रही हैं क्या उसके बारे में जानकारी है ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

Page No 13

(13)

श्री उगमराज मेहता : जालिया मकरेड़ा का पानी पीने योग्य नहीं है तो फिल्टर के लिये क्या करेंगे ?

श्री महबूब अली : जांच करा ली जावेगी।

श्री उगमराज मेहता : जांच हो गयी है।

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर) : क्या सैंदड़ा को पानी देने का जो एग्रीमेन्ट हुआ है उसकी आपको जानकारी है ? क्या ऐसा एग्रीमेन्ट है ?

श्री महबूब अली : इस प्रकार के एग्रीमेन्ट की जानकारी मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य के पास जानकारी हो तो मुझे दें। सेन्दड़ा की योजना बनायी गयी, इमर्जेन्सी योजना थी। ब्यावर में पानी की अधिक किल्लत हो जाती थी तो सेन्दड़ा से पानी लाकर ब्यावर को उपलब्ध कराया जाता था। पहले टेन्कर से पानी भर कर लाया जाता था। उसमें बहुत खर्चा करना पड़ता था इसलिये यह इमर्जेन्सी योजना बनायी गयी। सेन्दड़ा में नल कूप हैं उनमें भी बहुत कम पानी है। यह उस समय करने की जरूरत है जब कि ब्यावर में एक्यूट शोर्टेज हो।

श्री सुखलाल सेंणचा : अब तक भी पानी नहीं मिल रहा है।

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह सांखला : उपाध्यक्ष महोदय. उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री सुखलाल सेंणचा : एग्रीमेन्ट हुआ था तब मैं मौजूद था। आप जांच करा लीजियेगा। एग्रीमेन्ट हुआ है तो पालना कराइये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिस सोर्स से पानी लेते हैं वहां तो पहले पानी देना पड़ेगा।

श्री सुखलाल सेंणचा : एग्रीमेन्ट के अनुसार आपको पानी देना होगा।

एक माननीय सदस्य : बनास योजना कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : जयपुर जिले को पानी देने के लिये इशरदा के पास भी........

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर से भी सम्बन्धित है।

श्री सुखलाल सेंणचा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि जो एग्रीमेन्ट हुआ है उसकी पालना आप करवा देंगे या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बजट की मांगों पर भी चर्चा हो चुकी है। विस्तृत जवाब आ चुका है।

मेजर श्री फतहसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर एक बहुत महत्वपूर्ण नगर है। वहां पेय जल की समस्या अकसर बनी रहती है। छठी पंचवर्षीय योजना में बनास का पानी उपलब्ध कराया जायेगा। उसके लिये तो मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं लेकिन जब तक बनास का पानी ब्यावर को उपलब्ध न हो जाय तब तक क्या सरकार सूरा घाटा देवाता फीडर का काम हाथ में लेने का इरादा नहीं रखती क्योंकि

(मेजर श्री फतहसिंह)

इस पर ज्यादा पैसा खर्च होगा ? क्या सरकार को मालूम है देवाता फीडर को शुरू करने की तिथि का निश्चय हो गया था और आल इन्डिया रेडियो के जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारण भी हो गया था। औजार भी जवाजा में पहुंच गये थे, फिर भी काम शुरू नहीं किया ? जब तक स्थायी काम हाथ में न लिया जाय, इन्टरिम काम हाथ में लिया जाय इसमें कम खर्चा लगेगा। इसको केवल टेक्निशियन्स और इन्जीनियर्स की सलाह पर न छोड़ा जाय। क्या सूरा घाटा देवाता फीडर का काम शुरू करने का इरादा है ? तत्कालीन माननीय मन्त्री राव साहब मसूदा थे उन्होंने भी घोषणा की थी........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मेजर श्री फतहसिंह : यह शुरू क्यों नहीं किया गया ? यह उत्तर आप दिलवा दीजिये।

श्री महबूब अली : सूराघाटा व देवाता फीडर सिंचाई विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों में है। इसलिये सिंचाई विभाग इसके लिये जिम्मेदार है कि किस प्रकार अकाल राहत में काम किया गया और इसकी उपयोगिता किस प्रकार की है ? यह योजना कितनी साउन्ड है, कितना पानी आ सकता है या नहीं आ सकता है। सिंचाई विभाग की ये दोनों ही योजनायें हैं। इस विभाग से इसका ताल्लुक है, इस विभाग का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है।

श्री मूलचन्द डागा : जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं है यह बता दीजिये ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री सुखलाल संणचा : उत्तर नहीं आया है, उपाध्यक्ष महोदय। एग्रीमेन्ट हुआ है।

श्री नूरा (मसूदा) : ब्यावर की आज भी पेय जल की समस्या बनी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये।

मेजर श्री फतहसिंह : इसलिये यह योजना पूरी नहीं हुई है कि तत्कालीन विधान सभा के जो सदस्य थे आसीन्द के, उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि उनके यहां पानी की कमी हो जावेगी। इसलिये बन्द कर दिया गया। कम से कम विचारों से ऊपर उठिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये !

मेजर श्री फतहसिंह : पांच लाख रुपया खर्च होता........

श्री सुखलाल संणचा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री मूलचन्द डागा : उत्तर दिया ही नहीं है।

श्री नूरा : विधान सभा में यह नहीं आ सकता है तो फिर ब्यावर की जनता सरकार के राज्य में कैसे पानी मिलेगा ?

मेजर श्री फतहसिंह : ब्यावर के लोग पानी पीने कहां जावेंगे ?

श्री उगमराज मेहता : पीने का पानी नहीं है तो पानी पीने कहां जावेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। मैं कह रहा हूं, माननीय सदस्य, आप भी विराजिये।

श्री सुखलाल सैणचा : उत्तर नहीं आ रहा है। एग्रीमेन्ट हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

मेजर श्री फतहसिंह : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ब्यावर में पानी आने का विरोध मत कीजिए।

श्री सुखलाल सैणचा : विरोध नहीं कर रहा हूं।

मेजर श्री फतहसिंह : ब्यावर में पानी उपलब्ध कराया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री सुखलाल सैणचा । मैं ब्यावर का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ब्यावर में पानी आये और जो एग्रीमेन्ट किया हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण दे रहे हैं। यह मैं पसन्द नहीं करूंगा।

नैक्स्ट। श्री मूलचन्द, श्री रामकिशोर मीणा, श्री कुंजीलाल।

(व्यवधान)

श्री नूरा : ब्यावर में पानी की भयंकर समस्या है। इसका उत्तर आना चाहिए।

(व्यवधान)

कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये अगर माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं तो दे दें।

मेजर श्री फतहसिंह : नयी सरकार की यह घोषित नीति है कि पेयजल के काम को प्राथमिकता दी जायेगी....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, नैक्स्ट प्रश्न !

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पानी का संकट है ब्यावर में लेकिन सकट नया नहीं है कई वर्षों से यह संकट चला आ रहा है। भूतपूर्व सरकार ने इस संकट को निपटाने के लिए जो जो योजना हाथ में ली थीं वह पूरी नहीं हुई। उनको पूरा किया जाना आवश्यक है या नहीं, इन सारे प्रश्नों पर विचार कर लिया जायगा।

श्री सुखलाल सैणचा : इस संबध में एग्रीमेन्ट हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री सुखलाल सैणचा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीमेन्ट है। उत्तर तो दिलायें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। श्री मूलचन्द !

जयपुर व सवाई माधोपुर में विना टेन्डर कराये गये कार्य

437. **श्री मूल चन्द्र सामरिया** (दौसा), **श्री रामकिशोर मीणा**(सिकराय)व श्री कुंजी

[redacted]

(16)

लाल (बामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर व सवाई माधोपुर जिलों के अधिशासी अभियंता सिंचाई कार्यालयों के अन्तर्गत कई ठेके के कार्य ऐसे चल रहे हैं अथवा समाप्त हो गये हैं जिनके टेन्डरों की स्वीकृति आज तक भी प्राप्त नहीं हुई ? यदि हां, तो अलग अलग जिलों में इस प्रकार के कार्यों की संख्या कितनी है ? ठेकेदार का नाम व कार्य की प्रगति सहित सम्पूर्ण ब्योरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार के कई कार्य पूर्ण होने पर विभाग ने उसकी अदायगी भी बिना टेन्डर स्वीकृति के कर दी? यदि हां, तो क्यों? ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(3) उक्त जिलों में गत पांच वर्ष के कार्यकाल में इस प्रकार कुल कितने मामले हुए हैं जिनके टेन्डर की स्वीकृति कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् मिली ?

(4) इस प्रकार बिना टेन्डर स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ करने का क्या कारण है ?

(5) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर सिंचाई कार्यालय के कई मामलों की स्वीकृति 1972 से अब तक भी प्राप्त नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री सम्पतराम): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको स्थगित कर दिया जाये ।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से मुझे बहुत बड़ा मोह नहीं है लेकिन जो 23 तारीख को घोषणा की थी उसको और आप गम्भीरता से लें तो दावे के साथ कह सकता हूं कि 30 को और घोषणा करनी पड़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीरता से ही लेंगे ।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह कह दें कि इसी सत्र में आ जाये जवाब । दो आदमियों की ही तो बात है जयपुर और सवाई माधोपुर के अधिशासी अभियन्ता की ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये । आप तो वरिष्ठ सदस्य रहे हैं ।

श्री मूलचन्द सामरिया : इतना सा एश्योरेंस चाहता हूं कि इसी सदन में इसी सत्र में आ जाये ।

एक माननीय सदस्य : यह सत्र तो 4 दिन का ही है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : आ जायेगा तो क्या बात है ?

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में लेबर लॉ की कक्षाएं प्रारम्भ करने की मांग

438. **श्री कल्याणसिंह सांखला** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर राजकीय महाविद्यालय मे लेबर लॉ की कक्षाएं प्रारम्भ करने की मांग कई वर्षों से चल रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत सत्र में राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में लेबर

(श्री कल्याणसिंह सांखला)

लॉ की कक्षाएं प्रारम्भ करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हो गयी थी परन्तु विश्वविद्यालय को निश्चित तिथि के बाद कक्षाएं प्रारम्भ करने हेतु लिखा गया था और विलम्ब के कारण विश्वविद्यालय ने विषय प्रारम्भ करने में असमर्थता प्रकट की ?

(3) क्या राज्य के शिक्षा विभाग ने इस वर्ष विश्वविद्यालय को अजमेर राजकीय महाविद्यालय में लेबर लॉ की कक्षाएं प्रारम्भ करने हेतु लिखा है या नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां।

(2) जी हां। विश्वविद्यालय ने नये विषयों के मामले में विलम्ब से प्रार्थना-पत्र भेजने की शिकायतों की विशेष परिस्थितिवश स्वीकृति प्रदान कर दी लेकिन लेबर लॉ प्रारम्भ करने की अनुज्ञा नहीं दी।

(3) जी नहीं।

श्री कल्याणसिंह सांखला : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि अजमेर की एजूकेशन के पर्सेन्टेज को देखते हुए नया महाविद्यालय खोलने में क्यों देरी की जा रही है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय में ऐसे महाविद्यालय है जहां और फैकल्टीज चलती हैं, मल्टी फैकल्टीज है वहां और नयी फैकल्टी नहीं खोली जाये इस प्रकार का निर्णय विशेषकर लॉ कालेज के बारे में भारतीय बार कौंसिल की अनुशंसा के आधार पर है। वित्तीय दृष्टि से अभी सम्भव नहीं है कि सेपरेट कालेज खोला जा सके और भारतीय बार कौंसिल की अनुशंसा यह है कि जहां दूसरे मल्टी फैकल्टी कालेज हैं वहां लॉ कालेज नहीं खोला जाये। खोलते हैं तो नया कालेज बनाया जाये। वित्तीय स्थिति ऐसी है कि नया कालेज खोलने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए उसी में कक्षायें खोली जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अब स्थगित प्रश्न लिये जायेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 15 मिनट अभी बाकी हैं और मेरा प्रश्न अगला ही है इसलिए उसे ले लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न अगर समय बचा तो बाद में भी आ जायेगा।

स्थगित प्रश्न। श्री रामकरणसिंह।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13 सितम्बर, 1977)

अध्यापकों के बकाया मेडिकल बिलों का भुगतान

126. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में किन-किन अध्यापकों के मेडिकल के बिल एक वर्ष से अधिक पुराने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन पुराने बिलों का भुगतान अब तक कर दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को मैं और स्थगित करने के लिये निवेदन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 1500 स्थानों पर सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल में सभी प्राध्यापक आहरण वितरण अधिकारी हैं। ऐसे 1500 स्थान हैं और मेडिकल बिल का री-इम्बर्समेन्ट एक कन्टीनुअस प्रासेस है तो 1500 स्थानों से सूचना उपलब्ध करना इतनी जल्दी सम्भव नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : इसमें पंचायत समितियों के भी अध्यापक आते हैं इसका भी ध्यान रखें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स में स्थगित प्रश्न को और स्थगित करने का प्रावधान नहीं है। मंत्री महोदय को चाहिए था कि वह पहले विधान सभा सचिवालय को सूचना भेज देते और यह प्रश्न सूची में आता ही नहीं। जब लिस्ट में आ गया है तो बार बार स्थगित करने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में यदि ऐसा प्रावधान है तो उसका पालन किया जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप इनको और डाटें।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भंवरलाल शर्मा !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 20 सितम्बर, 1977)

पम्पिग सेट्स के ऊंची रेट पर टेन्डर

302. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल-जयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1972 से 77 तक कुल कितने पम्पिग सेट हेतु, किस-किस वृत्त के लिये तथा किस योजना के लिये क्रय करने हेतु विभाग ने टेण्डर आमन्त्रित किये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राप्त टेण्डरों में किस किस फर्म के टेण्डर कम रेट के थे? और उनके टेण्डर स्वीकार नहीं करके मुख्य अभियन्ता, जलदाय विभाग ने ऊंची रेट के टेण्डर वाली कम्पनी के टेण्डर क्यों और किसे स्वीकार किये ?

(3) क्या उक्त सभी पम्पिग सेट्स को अपेक्षित जल प्रदाय योजनाओं की क्रियान्विति हेतु यथा स्थान पहुंचाया जा चुका है और योजनाएं चालू कर दी गई हैं ? यदि नहीं तो क्यों और इसके लिए किसको उत्तरदायी ठहराया गया तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि मै. ग्रीव्स कॉटन कम्पनी के ब्रांच मैनेजर एवं मुख्य अभियन्ता जल प्रदाय विभाग सम्बन्धी हैं और इसके कारण यह सब हो रहा है ?

(5) क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री जन-स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पम्पिग सेट की सभी निविदायें मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। प्रदत्त अधिकारों के अनुसार नीचे के अधिकारी भी क्रय करते हैं। प्राप्त निविदाओं में जो निविदा निर्दिष्टीकरण के अनुसार थीं उनमें से इण्डियम स्टेण्डर्ड नोटिफिकेशन के

Page No 19

(19)

(श्री महबूब अली)

मुताबिक रेन्ज वाली परफार्मेन्स एवं परफार्मेन्स को देखते हुए निविदा स्वीकार की गई। मुख्य अभियन्ता द्वारा सबसे कम दर वाली के अतिरिक्त अन्य अनुमोदित निविदाओं की सूची अनुमोदन के कारणों सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उपरोक्त में से इण्डस्ट्रीयल जोन अलवर के लिये दिये गये क्रय आदेश के अनुसार पम्प अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं एवं हाउसिंग बोर्ड योजना कोटा व साहूवाली साहवा योजना जिला चूरू अभी तक चालू नहीं हो सकी है। यह दोनों ही योजनाएं बहुत विस्तृत हैं व इनके अभी कार्य करने में धन की उपलब्धि के अनुसार समय लगेगा। योजना प्रारम्भ न होने के कारण कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भंवरलाल शर्मा : मन्त्री महोदय, जो पम्पिग सेट खरीदे गये और जिनके लिये टेण्डर्स आये थे उनमें सबसे नीची रेट का जो था और जो खरीदा गया उनकी रेट में कितना अन्तर है ?

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, यह पम्पिग सेट खरीदने का प्रश्न बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है। इसके अन्दर केवल कीमत को ही नहीं देखा जाता। जो टेण्डर में कीमत लिखी जाती है उसके अलावा टेण्डर मांगते समय और भी बहुत सी बातें लिखी जाती हैं जैसे स्पेसिफिकेशन के अनुसार होना चाहिये। तो केवल यह बात नहीं है कि कीमत किसी की कम लिखी हुई है और ज्यादा में खरीदा गया। लेकिन जो अन्य चीजें हैं उसके परफार्मेन्स वगैरह के बारे में और टेक्निकली क्या-क्या खूबियां हैं यह देख कर उसका निर्णय किया जाता है केवल इस बात को नहीं देखते कि कीमत कम है। बाकी एफीशियेन्सी और दूसरी टेक्निकल खूबियां हैं उनको भी देखा जाता है। ऐसी स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो यह इन्फार्मेशन चाहते हैं कि अन्तर क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह नहीं पूछता मैं तो पूछना चाहता हूं कि इसमें अन्तर कितना है और राज्य सरकार को कितना अधिक धन देना पड़ेगा ?

श्री महबूब अली : इसके अन्दर कोई स्पेसिफिकली नहीं पूछा कि किस निविदा के अन्दर कितना अमाउन्ट है। यह बतायें कि किसके बारे में पूछना चाहते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, साफ पूछा गया है, कम से कम बता दीजिये।

श्री महबूब अली : 1972 से 1977 तक की निविदाओं के बारे में किन-किन निविदाओं में कितनी कीमत कम थी, इस इन्फोर्मेशन के लिये थोड़ा समय चाहिये।

श्री रघुनन्दन व्यास : 1972 से 77 की निविदाओं में कितना खर्चा अधिकतम किया गया ? यही पर्टीक्यूलर बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप पर्टीक्यूलर निविदा के बारे में पूछ लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : सन् 1976 का बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : 1976 के लिये भी शायद समय लगेगा।

श्री महबूब अली : 1976 के अन्दर एक दिन का नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : सन् 1976 में इस कम्पनी के अलावा और भी किसी कम्पनी से खरीदा है ?

श्री महबूब अली : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, सदन की मेज पर सूची देख सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : आपने जो यह कहा कि देख सकते हैं। वह प्रश्नकर्त्ता के पास सूची है वे देखेंगे। हम पूछना चाहेंगे सदन के अन्दर।

श्री मदनसिंह दांता : इस तरह के मामले को खड़ा करिये।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट, श्री प्रद्युम्नसिंह !

श्री भंवरलाल शर्मा : टेन्डर संख्या दे रहा हूं, टेन्डर संख्या 226।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें काफी समय लगेगा। मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : टेन्डर संख्या 226

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : यदि टेण्डर के बारे में किसी माननीय सदस्य को किसी प्रकार की जानकारी हो कि इसमें अनियमिततायें हुई हैं तो लिखकर दे दें, इसकी जांच कराई जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : क्या बर्डन शिफ्ट किया है हमारे ऊपर।

धोलपुर की आर. ई. सी. की योजना

439. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या धोलपुर पंचायत समिति की आर. ई. सी. की योजना का सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है ?

(2) क्या यह योजना आर. ई. सी. देहली के पास मंजूरी के लिये भेज दी गई है, यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्युत मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी हां।

(2) योजना आर. ई. सी. के पास प्रस्तुत की गई थी परन्तु उन्होंने इसे संशोधन के लिये वापस भेजा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि किस प्रकार के सिद्धांत आर. ई. सी. ने तय किये हैं ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह विशेष रूप से जो स्कीम बनाई थी उसमें 60 ग्राम लेने की बात थी, उसमें 500 कुए 5 सालों में और 1000 कुए 25 वें वर्ष तक लेने की बात थी। ए०आर०डी०सी० और आर०ई०सी० की स्टेट लेवल सब कमेटी की एक मीटिंग हुई 8-11-76 को उसमें

Page No 21

(21)

(श्री सम्पतराम)

यह तय हुआ कि अमेंड करके 500 कुए लिये जायें। यह स्कीम बनाकर आर०ई० कॉर्पोरेशन को भेज दी गई। उसके बाद वह स्कीम मन्जूर होकर आई जिसमें 60 गांवों में से 57 गांव मंजूर किये गये जो कुछ पोटेन्शियल में आते थे, कुछ नान-पोटेन्शियल में आते थे। उसके बाद 64.579 लाख की स्कीम तैयार हो कर आ गई। उसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के पास भेज दिया, लेकिन दुर्भाग्य से कहीं न कहीं गलती यह रही कि जिस पंचायत समिति में इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला था, जो स्कीम वाले कार्पोरेशन के मुताबिक उसका नोटिफिकेशन होना अनिवार्य था लेकिन पंचायत समिति अभी तक नोटीफाइड नहीं है। अब इस स्कीम को मैं स्वयं देखूंगा, इस प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गुल मोहम्मद !

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

: 440. श्री गुल मोहम्मद (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के निदेशक पद पर एक ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा है जो ग्रेजुएट भी नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में बी० एड० किये बिना ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिलती ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति की नियुक्ति इतने महत्वपूर्ण पद पर कैसे हुई तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त निदेशक श्री शल्य के विरुद्ध घोटाले के सम्बन्ध में कोई इन्क्वायरी जून, 1975 से चल रही है ? यदि हां, तो इन्क्वायरी के दौरान इन्हें कार्यवाहक निदेशक कैसे बनाया गया ?

(4) क्या यह सही है कि इमर्जेन्सी के लागू होने के एक सप्ताह के अन्दर अन्दर श्री गोपी कृष्ण व्यास, निदेशक को उनके पद से हटा दिया गया था ?

(5) क्या श्री व्यास की सेवा मुक्ति का आदेश आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं है ?

(6) क्या यह सही है कि श्री गोपी कृष्ण व्यास ने अकादमी की माली हालत सुधारने के लिये भरसक प्रयत्न किये थे ?

(7) क्या राज्य सरकार श्री शल्य को उक्त पद से हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(8) क्या राज्य सरकार उपरोक्त साढ़े तीन लाख के घोटाले की जांच करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां, किन्तु ये मूलतः उप निदेशक हैं तथा अपने पद के साथ साथ निदेशक का भी कार्य देख रहे हैं।

(2) जी हां, किन्तु बी० एड० की योग्यता अध्यापक के पद के लिये आवश्यक है। हिन्दी ग्रन्थ अकादमी में बी. एड. योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(3) जी हां, काम चलाने की दृष्टि से पूर्णतया अस्थायी रूप से यह व्यवस्था की गई है। श्री शल्य अपने कार्य के साथ साथ निदेशक का भी कार्य देखते हैं।

(4) श्री गोपी कृष्ण को दिनांक 1-9-75 से उनके पद से हटाया गया।

(5) श्री व्यास की सेवा निवृत्ति 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 30-11-74 को कालेज शिक्षा से हुई थी। अकादमी में वे केवल अस्थाई रूप से उस समय तक के लिये लिये गये थे जब तक उपयुक्त व्यक्ति का विधिवत चयन न हो जाये।

(6) जी हां, उन्होंने पुस्तक विक्रय के कार्य में रुचिपूर्वक कार्य किया था।

(7) जी हां, निदेशक का पद शीघ्र ही विधिवत भरा जायेगा।

(8) जी हां, जांच रिपोर्ट आ चुकी है और सरकार के विचाराधीन है।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो निदेशक के पद पर रखे गये हैं क्या वह केवल हाई स्कूल हैं ? क्या हाई स्कूल परीक्षा पास व्यक्ति को निदेशक के पद पर रखा जायेगा ? कब तक उनको इस पद पर रखा जायेगा ? इस पद के लिये क्या बी. ए. या एम. ए. की जरूरत नहीं है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि शल्य ग्रेजुएट नहीं है किन्तु 1965 से ही राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक विज्ञान हिन्दी रचना केन्द्र में विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति से चयनित हुए हैं। श्री शल्य ने 1965 से 7। तक एम. ए. की कक्षाओं को पढ़ाया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के इसी विभाग द्वारा उन्हें व्याख्यान देने के लिये आमन्त्रित किया गया था। इन्होंने इस सम्बन्ध में 22 व्याख्यान दिये हैं, 6 पुस्तकें लिखी हैं।

श्री गुल मोहम्मद : बड़े मजे की बात थी। जिसके पास किसी किस्म की डिग्री नहीं उसको इस तरह प्रोत्साहन दें, यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। इसके अलावा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जब इन्क्वायरी हुई उसके दौरान यह डिप्टी डाइरेक्टर थे और इन्क्वायरी के दौरान डाइरेक्टर बन गये क्या यह उचित था ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यह अपना निजी सुझाव दे रहे हैं।

श्री गुल मोहम्मद : डिप्टी डाइरेक्टर थे। इन्क्वायरी के दौरान डाइरेक्टर बन गये।

(व्यवधान)

श्री भवंरलाल ऐरन (नसीराबाद) : एक सप्लीमेंट्री प्रश्न मेरा भी है। उनकी पदोन्नति अनियमित थी। वहां डा. के. के. शर्मा का चयन किया गया किन्तु तत्कालीन मंत्री श्री मोहन छंगाणी श्री चांदमल जैन में इन्ट्रेस्टेड थे इस कारण दोनों जोइन नहीं कर सके।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह उप निदेशक हैं। निदेशक का पद रिक्त है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कब से रिक्त है ? कितने साल हुए ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक वर्ष के लिये श्री चांदमल शर्मा की नियुक्ति की गई थी किन्तु उन्होंने कहा कि एक वर्ष की अल्प अवधि के लिये वे नहीं रहना चाहते । पोस्ट लगातार एडवर्टाइज होती रही, इस कारण से उनको काम देखने को कहा गया। यह अभी की बात है। ऐसी स्थिति में उनकी नियुक्ति को खारिज कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा राज्य सरकार ने प्रयत्न किया है कि निदेशक के स्थान पर किसी की तुरन्त नियुक्ति की जाये। श्री चांदमल को लाने की कोशिश की गई थी और अब भी प्रयत्न चल रहे हैं। कमेटी बैठाकर तुरन्त उस स्थान को भरे जाने की प्रक्रिया पूरी होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन लाख के घोटाले का मामला है। उसके सम्बन्ध में क्या कह रहे हैं ? यह घोटाला क्यों है ? इस घोटाले के सम्बन्ध में क्या किया है आपने ? यह बता दें।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : सितम्बर 1976 में चयन समिति बैठी थी और उसने के. के. शर्मा का चयन किया था।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, कागज के मामले में साढ़े तीन लाख का घोटाला किया है। मंत्री महोदय बतायें क्या उनकी इन्क्वायरी सी. बी. आई द्वारा की गई है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : और घोटाला नजर में आने के बाद निदेशक के पद पर क्यों लगाया है ?

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या सी. बी. आई. ने इस सम्बन्ध में जांच की है और इस नतीजे पर पहुंची है कि इस में घोटाला है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री आर. एन. चौधरी, जो तत्कालीन डाइरेक्टर थे, को जांच करने के लिये नियुक्त किया था। जांच रिपोर्ट आ गई और विचाराधीन है।

(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं आपके समय में हुई है।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : इन्क्वायरी जो हुई है, उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही करें। मुख्य मंत्री जी जब भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं तो फिर एक्शन लेना चाहिये।

श्री गुल मोहम्मद : जो तत्कालीन सरकार द्वारा थोपा गया था उसे अभी तक यह सरकार हटाने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है ? शल्य के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाकर उसे दन्डित किया जावे।

श्री दाऊ दयाल जोशी : खेतसिंहजी से पूछ सकते हैं, इनको ज्यादा ज्ञान है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

उप-स्वास्थ्य केन्द्र रानीवाड़ा का स्टाफ

431. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गौत्र ग्राम पंचायत समिति, रानीवाड़ा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है? अगर हां, तो वहां पर क्या क्या स्टॉफ अभी लगा हुआ है तथा किन-किन पदों की स्वीकृति विभाग द्वारा दी हुई है?

उत्तर

जी हां।

रानीवाड़ा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र जून, 1966 से चल रहा है, और निम्न स्टॉफ स्वीकृति के अनुसार ही लगा हुआ है:—

(1)	सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता	एक
(2)	प्रसविका	एक
(3)	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पार्ट टाईम)	एक

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न नहीं आये। मैंने 15 क्वेश्चन दिये थे।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आपसे हार्दिक सहानुभूति है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : इस प्रकार सहानुभूति से काम नहीं चलेगा। कई मंत्रियों के खिलाफ मैंने प्रश्न दिये थे। श्रीमान् इसके लिये उचित व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, आपका प्रश्न विचारणीय है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, पांच दिन से मुझे आश्वासन दिया था कि चिकित्सा मन्त्री उत्तर देंगे। वेक्सीनेटर 22 दिन से हड़ताल पर हैं और पांच दिन से भूख हड़ताल पर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने उसको एजेन्डा में रखने को कहा है।

श्री मूलचन्द डागा : पांच दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह सरकार निर्णय नहीं ले सकती है।

(व्यवधान)

श्री नारायणसिंह (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे भी बहुत से प्रश्न नहीं आये। मैं इस बारे में व्यवस्था चाहता हूं। प्रश्न नहीं आते हैं इसलिये आप कृपया उचित व्यवस्था दीजिये। हमारे प्रश्न ऐसे ही चले जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नों के लिये नियमों में देखेंगे, कोई रास्ता नियमों में निकल सकेगा तो देखेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से प्रश्न.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक बार विराजिये। मुझे स्थगन प्रस्तावों के बारे में व्यवस्था देनी है। मुझे व्यवस्था देने दीजिये।

Page No 25

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय को लेकर विरोधी दल के सदस्यों........

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा था प्रश्नों के बारे में कि या तो पार्लियामेंट की तरह प्रश्न आने पर बेलट निकाल लिया जाय या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नियमों में देखूंगा । अगर कोई समाधान निकल सकेगा तो देख लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : विरोधी पक्ष के लिये तो यह जान-बूझकर किया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 16 प्रश्न दिये हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : आपका काला कोट कहां है आज ?

श्री रतनलाल वर्मा : मेरे प्रश्न जरूरी थे । वे गैर कानूनी तरीके से कट कर दिये गये हैं ।

(व्यवधान)

16 अगस्त से प्रश्न दिये हुये हैं । मेरा प्रश्न यह था कि कितने मर्डर किये हैं कांग्रेस वालों ने और उनके क्या-क्या कारण थे ?

दूसरा प्रश्न यह है कि ...

श्री उपाध्यक्ष : जितने प्रश्न आपने बताये हैं उनकी मैंने जानकारी कर ली है और चेम्बर में मैंने आपको सन्तुष्ट भी कर दिया है । आप विराजिये ।

श्री रतनलाल वर्मा : बहुत जरूरी मसला है राजस्व का ...

(व्यवधान)

गलत सैटलमेंट करके घोटाले किये हैं उनको कैसे बर्दाश्त करें । इन कांग्रेस वालों ने हजारों घोटाले किये हैं । कैसे सहन किया जाय ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है ..

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : माननीय उपाध्यक्ष, खेतसिंहजी ने जिस प्रकार चार्जेज हमारे मन्त्री महोदय पर लगाये हैं कि ये बचकाना मन्त्री हैं । मैं चाहता हूं उनसे माफी मंगवाई जाय और उसके बाद ही कार्यवाही की जाय ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप मर्जी आये जो बोल सकते हैं । आपने अभी कहा कांग्रेस वालों ने कितने मर्डर किये हैं, यह क्या कम बात है....

(व्यवधान)

आखिर समझ क्या रखा है, इस तरह से....

श्री मूलचन्द डागा : सारी पार्टी पर यह लांछन लगाना कि कांग्रेस वालों ने मर्डर करवा दिये ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बिलकुल गलत तरीके से कहा गया है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये ।

श्री गोपत सिंह मकासर : बचकाना शब्द असंसदीय नहीं है, यह तो स्नेह का द्योतक है असंसदीय नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे कहने दीजिये. मैं कह दूंगा। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर व्यवस्था पूर्व में ही दी जा चुकी है और इसको प्रोसिडिंग्स में से हटा दिया गया है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना....

श्री उपाध्यक्ष : अभी मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था...

श्री उपाध्यक्ष : आप इस पर व्यवस्था देने की बात कहते हैं । उससे पूर्व मुझे स्थगन प्रस्तावों पर जो जानकारी देनी है वह तो देने दीजिए ।

स्थगन प्रस्तावो पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मदनसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कर्मचारी फैडरेशन तथा भारतीय मजदूर संघ द्वारा 21 सूत्री मांगों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन एवं भूख हड़ताल के विषय में ।

(2) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से अलवर जिले में साबी नदी में बाढ़ व अतिवृष्टि के बाद उचित राहत व्यवस्था न करने के विरोध में राजस्थान किसान सभा के महा मंत्री श्री हरिराम चौहान द्वारा गत 25 सितम्बर से की जा रही भूख हड़ताल के विषय में ।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

स्थगन प्रस्तावों आदि पर चर्चा

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी तो आप मंत्री महोदय से करेंगे लेकिन उनकी मांग है कि मंत्री महोदय उनसे मिलें। मुझे बताया गया है कि मंत्री महोदय मिलना तक नहीं चाहते हैं। आज वे लोग यहां पर आ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में और मुझे डर है कि कहीं बहुत बड़ा हंगामा न हो जाय। मैं उनकी मांगों की बात नहीं करता लेकिन मन्त्री महोदय उनसे मिल कर उनको सुनने को तैयार नहीं है उन्होने मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि वे मिलना नहीं चाहते ।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में पहले भी व्यवस्था हो चुकी है, पूर्व में भी इस प्रकार के प्रश्न उठाए गए हैं और सदन के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर व्यवस्था दी गई है। मैं इस समय आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था पहले दी गई हैं उनके अन्तर्गत मैं किसी माननीय मंत्री महोदय को इस प्रकार का निर्देश नहीं दे सकता, उनको मजबूर नहीं कर सकता किसी बात के लिए। यह उनके स्वयं के सोचने की बात है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा...

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य ने जो अभी सूचना दी है और जो संवेदना व्यक्त की है, चिंता व्यक्त की है...

श्री मूलचन्द डागा : संवेदना नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लेबर में, ट्रेड यूनियन में काम करने वाले जितने भी मजदूर नेता हैं

(श्री सम्पत राम)
वे करीब करीब रोज मुझे मिले हैं। मुख्य मंत्री महोदय भी इससे बहुत चिंतित हैं। माननीय सदस्य ने कभी इस तरह का डेपूटेशन लाने का सवाल नहीं किया और मैंने कभी इन्कार नहीं किया। मजदूर का डेपूटेशन जब कभी भी आयेगा मैं सहर्ष उनसे मिलने को तैयार हूं। मैं यहां पर सदन को जानकारी देना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत कि इस संदर्भ में मैंने पावर कमिश्नर को यह आदेश दिए थे कि आप बिजली बोर्ड और मजदूरों के नुमायन्दे दोनों से मिल कर, बैठ कर बात कर लें और जो एग्रीड पोइन्ट हों, जिन पर आप एग्री करना चाहें उन पर फैसला कर लें। जिन पोइन्ट पर एग्री नहीं हो सकें उनको पैंडिंग रखिये, उन पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा। इसलिए यह कहना कि राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : मैं पूछना चाहता हूं कि आज दिन में जो वे लोग आ रहे हैं, आप उनसे मिलेंगे या नहीं ?

श्री सुखलाल सेंणचा : वे आ गये हैं, उनको बुलाकर बात करिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर के डेढ़ सौ प्रशिक्षित अध्यापक, जो कि दो साल से बेरोजगार हैं, को एम्पलाय करने के लिए रखा था, उसके बारे में मैं स्टेटमेंट चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी नहीं होगी कि मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज से कोई चार पांच रोज पहले दिया था। मुझे अभी तक सूचना नहीं मिली है कि उस पर क्या हुआ ? मैं देख रहा हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को टालने की मनोवृत्ति ज्यादा हो रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल है विद्युत के बारे में, खास तौर से गंगानगर जिले के अन्दर मिनिमम चार्जेज को लेकर ऐसी प्राबलम हो गयी है कि बहुत से लोग तो हाईकोर्ट से स्टे ले आए, आधे बिलों का पैसा भरा गया है, बाकी सैंकड़ों ऐसे किसान हैं जिन्होंने मुन्सिफ कोर्ट से स्टे लिया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बारे में आप मुझ से जानकारी ले सकते हैं। एक बार चेम्बर में पधारे भी थे, इसके बारे में सूचना मांगी नहीं वरना वहीं बता देता।

श्री श्योपतसिंह मकासर : चेम्बर में पधारा था लेकिन यह बात नहीं की कि कब इसका जवाब दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मैं सचिवालय को फिर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। रिमाइन्डर देकर जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा एक दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और भी है। विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं वे शिक्षक शिक्षा मंत्री जी के घर के आगे डेरा डाले पड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री मुस्करा कर चल देते हैं। इससे तो समस्या हल होने वाली नहीं है। उनसे कहें कि वे उन शिक्षकों से बात भी करें, आखिरकार ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको यह भी मालूम है कि मुख्य मंत्री महोदय से स्वयं आपकी मेरे चेम्बर में इस बारे में यह बात हुई थी। उन्होंने यह बताया था कि वे स्वयं प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कुछ शिक्षा मंत्रीजी भी प्रयत्न करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पोइंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था ....

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक करके खड़े हों, इस तरह से सुनाई नहीं देता। आप जानकारी ले लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं पहले खड़ा हुआ हूं ....

श्री कौशल किशोर जैन : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पंचायत समिति हुरड़ा में 29 क्विन्टल जहरीली मक्का बेचने के सम्बन्ध में दिया है। पंचायत समिति के मना करने के उपरान्त भी उस जहरीली मक्का को वहां के बाबू ने अधिकारी से मिल कर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जानकारी मांगी गई है, जानकारी प्राप्त होने पर सूचित कर दिया जाएगा।

श्री कौशल किशोर जैन: वह मक्का बेच दी गई है और गुलाबपुरा के बाजार में और बिजयनगर की मण्डी में पहुंच गई है ...

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी बात है तो तुरन्त मौके पर पहुंच कर आपको इसकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहरीली मक्का खाने से सैंकड़ों व्यक्ति मर सकते हैं, उस जहरीली मक्का को जब्त करना चाहिए।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री प्रद्युम्नसिंह का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरे खिलाफ भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के अन्दर कुछ आरोप लगाये हैं। मैंने आज आपको पत्र भी लिखा है, अगर मुझे पांच मिनट का अवसर प्रदान करने की कृपा कर दें तो मैं स्पष्टीकरण दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको स्पष्टीकरण प्रकट करने का अधिकार है, इसको मैं जरूर उचित मानता हूं और आपको इसके लिए समय दिया जाएगा। इसका अलग से कार्य सूची में समावेश होगा। मैं कल जरूर आपको विशेष रूप से...

श्री प्रद्युम्न सिंह : पांच मिनट लगेंगे, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह बात कही है कि कल सम्भव होगा। उन्होंने चेम्बर में एग्री कर लिया था। अब विराजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सिर्फ पांच मिनट का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : कल स्पष्टीकरण देने में कोई दिक्कत है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : कल अगर मैं नहीं आ पाया तो बात ऐसे ही रह सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको बुलाने की उचित व्यवस्था कर दूंगा।

श्री शिवचरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में ऐसी परम्परा रही है कि माननीय सदस्य पर अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो तत्काल स्पष्टीकरण देने की उनको इजाजत दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह मानता हूं। माननीय सदस्य अगर आग्रह करना चाहें और यह समझते हों कि कल इसका स्पष्टीकरण करने से कोई उचित लाभ नहीं होगा तो मैं अभी भी समय दे सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कल ही इसको लिया जाय। कल अगर कुछ समय ज्यादा भी लेंगे तो मुझे आपत्ति नहीं होगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं पांच मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आप दे दीजिए स्पष्टीकरण।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने बड़ी कृपा की कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कुछ आरोप लगाये और निजी रूप से बात होने पर मुझे बतलाया गया है कि उन्होंने आपके सचिवालय को लिखित में सूचना दे दी थी कि वे मेरे पर आरोप लगाना चाहते हैं, लेकिन आपके सचिवालय के द्वारा मुझको सूचना नहीं दी गई। अगर समय पर सूचना मिल जाती तो मैं अवश्य ही यहां पर उपस्थित रहता और उसका जवाब दे देता।

भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कल अपने भाषण में यह कहा कि मेरे निवास स्थान से कप्तान सिंह नामक किसी डकैत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्रीमान्, जो कुछ उन्होंने कहा वह तथ्यों के आधार पर नहीं है। उनको किसी ने गलत सूचना दी है और उसके आधार पर वे यहां पर बोल गए। स्थिति यह है, श्रीमान्, मेरा छोटा भाई वकालत करता है, उसका जूनियर अब्दुल शकूर एडवोकेट है। मेरे पास भी जूनियर एडवोकेट का काम करता था। मेरे मकान के अन्दर ही उनका दफ्तर है। कप्तानसिंह, जिनके बारे में यहां आरोप लगाया गया है उनके खिलाफ धारा 338 और अन्य धारा के तहत राजाखेड़ा में केस रजिस्टर किया गया, उसकी पैरवी वह अब्दुल शकूर एडवोकेट से करा रहा है। दफा 109 सी. आर. पी. सी. में वह मुवक्किल है और मुकदमा ए० डी० एम० धौलपुर की अदालत में है। वकील होने के नाते मेरे घर के अन्दर ही वकील का दफ्तर है इसलिए वहां पर उस मुवक्किल का आना जाना बना रहता है। मेरा छोटा भाई भी वकालत करता है। उनका जूनियर भी उसके साथ में काम करता है। मेरे मकान में ही दफतर है आप जांच करा लें। गृह मंत्रीजी अपने दफ्तर से किसी आफिसर को भेज कर इसकी जांच करा लें। इससे स्थिति साफ हो जाएगी। यह हरएक को हक है कि वह किसी वकील को एंगेज कर सकता है। पुलिस वाले वहां पर आए। उसको बुलाकर, गिरफ्तार कर के ले गये। लोगों ने इसको राजनीतिक रंग देने की दृष्टि से वहां पर उछाला। यह बात उछलती हुई यहां पर भी पहुंचाई गई है। यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। वह वकील के मुवक्किल

Page No 30

(30)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

की हैसियत से आए थे और वकील के मुवक्किल को हैसियत से कोई भी आदमी आता है तो कोई जुर्म नहीं बनता है।

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहूंगा। आज बहुत से व्यक्ति गृह मंत्री और मुख्य मंत्री महोदय से और विधायकों से मिलने तो आते हैं। वे यह कहते हैं कि हम पर गलत आरोप लगाए गए हैं इनकी पुन: जांच के आदेश दिए जाएं। मैं एक बात कहता हूं मुख्य मंत्री जी, आपके दफ्तर में सैंकड़ों व्यक्ति आते हैं आपके पास भी आते हैं और कल को पुलिस कम्पाउन्ड से निकलते ही उसको चांप ले तो यहां पर यह कहें कि मुख्य मंत्री महोदय के कम्पाउन्ड से एक अनडिजायर्ड एलीमेन्ट को पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या आप यह उचित समझेंगे? उस आदमी को कानून के तहत प्रिविलेज है। वकील उसके अन्दर प्रोटेक्टेड है। वकील से किसी मुल्जिम को मिलना जुर्म नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि राज्य सरकार के जिस अधिकारी ने उसको वहां पर गिरफ्तार किया है, वकील के पास से, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी वकील के दफ्तर में मिलना जुर्म नहीं है।

मान्यवर, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर यह कहा था कि उस आई० ए० एस० का तबादला हो गया। उनका शायद अभिप्राय यह था कि उसका तबादला मैंने करा दिया। आपका राज्य है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है और न तबादला कराने की हमारी हैसियत है कि हम तबादला करा सकें। तबादला कराने की जोड़-तोड़, यह तो आपकी बीमारी है। आप लोग इस बीमारी में पड़े हुए हैं। मास स्केल पर आज ट्रांसफर हो रहे हैं। यहां तक हैड कान्स्टेबल के ट्रान्सफर हो रहे हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि न तो हमारी ओर से तबादला कराया गया और न हमारी कोई बुरी नियत थी। वकील की हैसियत से वह आया था। एक केस आलरेडी चल रहा है ए० डी0 एम० की कोर्ट में।

आप गृह मंत्री जी, मेरे भाषण की कापी लेकर इस मामले की जांच करा लीजिये। आप भी सन्तुष्ट हो जाइये और आपके माननीय सदस्य को भी सन्तोष हो जाएगा इस केस में मुझ को बदनाम करने के लिए, राजनैतिक दृष्टिकोण से इस प्रकार की हल्की बात यहां पर कही गयी हैं।

श्री कौशल किशोर जैन: उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष: जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन रूल 276 के अन्तर्गत यहां पर दिए जाते हैं उन पर कोई डिबेट नहीं होती है। आप विराजिए।

श्री कौशल किशोर जैन: यह समाचार सारे अखबारों में प्रकाशित हुआ है।

श्री प्रद्युम्नसिंह: समाचार पत्र में तो यह भी प्रकाशित हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जीप में आप सामान लाए हैं। परन्तु यह हल्की बात मैंने यहां पर नहीं कही और न इसमें विश्वास करता हूं।

श्री मनोहर सिंह मेहता: आपने कह तो दिया और फिर आप कहते हैं मैं हल्की बात नहीं कहता हूं।

श्री शिवचरण सिंह: उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जीप

(श्री शिवचरण सिंह)

में सामान लाये हैं, जीप का मिसयूज किया गया है। इसकी जांच हो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।
अनुदानों की मांगों पर विचार।
राजस्व मंत्री, श्री आदित्येन्द्र।

अनुदान की मांगें
मांग संख्या 8 राजस्व की प्रस्तुति

श्री आदित्येन्द्र (राजस्वमंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या 8, राजस्व के सम्बन्ध में, 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17 करोड़ 58 लाख 9 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 8 पर कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर):

1. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सर्वे एवं बंदोबस्त कार्य को रिवाइज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण कर्जदारी का उचित मूल्यांकन नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील एवं सब डिविजनल कार्यालयों में कार्य में होने वाली अनावश्यक देरी पर चर्चा के लिये)।

4 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कराने में जटिल प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में राजस्व कार्यालयों में आवश्यक सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) :

6. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व सम्बन्धी बंदोबस्त कार्यों की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

7. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उप-खण्ड दौसा को पूर्ण जिला बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व में दी जाने वाली छूट पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

9. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि की किस्म परिवर्तन की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता पर के चर्चा लिये)।

Page No 32

(32)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

10. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व रेकार्ड को ठीक करने व गिरदावरी की पोस्ट की समाप्ति पर चर्चा के लिये)।

श्री राम करणसिंह (कोटपूतली) :

11. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलों व सब डिविजनल प्रशासन में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

12. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्डी विकास निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

13. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(देवस्थान विभाग के अभिकरण से धार्मिक एवं शिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये) ।

14. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्वाचन क्षेत्र कोटपूतली के राजस्व के मामलों के निपटारे हेतु राजस्व न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा कोटपूतली आकर निपटाने हेतु चर्चा के लिये) ।

15. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दोबस्त कार्यों के अव्यवस्थित होने से पुनः बन्दोबस्त कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

16. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों के लगान में छूट दिये जाने बाबत चर्चा के लिये) ।

17. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा मनमानी किये जाने से किसानों में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये) ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

18. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त में राजस्व विभाग द्वारा नामान्तरणकरण के मामलों में विलम्ब से निर्णय के कारण भ्रष्टाचार को बल मिला है और किसानों में घोर असन्तोष पैदा हुआ है इस विषय पर चर्चा के लिये) ।

19. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वितरित की गई पासबुकों की अनुपयोगिता पर चर्चा के लिये) ।

20. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में काश्तकारों को जो पास बुकें वितरित की गई हैं उनमें उनकी खातेदारी के हकूकों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है, यहां तक नक्शे भी साथ में नत्थी नहीं किये गये हैं, अतः उनमें तीव्र असंतोष है जिस पर चर्चा के लिये) ।

(श्री रामकरणसिंह)

21. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन-जाति और भूमिहीन कृषकों को आवंटित भूमि का कब्जा न दिलाये जाने के विषय पर चर्चा के लिये) ।

22 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा नामान्तरणकरण की कार्यवाही में बड़ी देरी करने के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

23. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग कानून के अन्तर्गत गलत तय किये गये मामलों पर पुनर्विचार हेतु कानून में संशोधन किये जाने के उपरान्त भी नई सरकार द्वारा मामलों के खोले जाने में ढिलमिल एवं पक्षपात की नीति अपनाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

24. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत भूतपूर्व राजाओं से भूमि अधिग्रहण कर भूमिहीन किसानों को कब्जा दिलाने में जनता सरकार की असफल नीति के विषय पर चर्चा के लिये) ।

25. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के ग्राम जिनका क्षेत्रफल 25 वर्ग मील से अधिक है, को अनेक गांवों में विभाजित नहीं करने के कारण उक्त ग्रामों के विकास में बाधा पहुंच रही है जिससे उन गांवों की ग्रामीण जनता में गहरा असंतोष है इस विषय पर चर्चा के लिए) ।

26. मांग संख्या 8; मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (बाड़मेर जिले में सरकारी बिला कब्जा पड़त जमीन पर दिनांक 31-12-75 तक अतिक्रमण किये हुए मामलों को बाड़मेर परगना अधिकारी द्वारा भूमि आवंटन परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाकर नियमन करने में उदासीनता की नीति अपनाने के कारण भूमिहीन किसानों में व्याप्त असंतोष के विषय पर चर्चा के लिए) ।

27. मांग संख्या 8, मुख्य-शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (खसरा नं० 1662) की जमीन जो, कलेक्टर बाड़मेर द्वारा आबादी घोषित कर बाड़मेर नगरपालिका को सुपुर्द की, उक्त जमीन को बाड़मेर के भूतपूर्व जमीदारों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराकर गैर कानूनी बेचान किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

28. मांग संख्या 8, मुख्य-शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में गोचर और चरागाह जमीन के अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्व विभाग द्वारा ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त के तहसीलदारों द्वारा दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन

(34)

(श्री रामकरणसिंह)
करते समय अल्प बचत योजना की राशि किसानों और जनता से दबाव डालकर ली जाती है जिससे उनमें तीव्र असंतोष है जिस पर चर्चा के लिये) ।

30. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा के लिये) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

31. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (जिला जालौर में काश्तकारों को पास बुक्स वितरण करने में सरकार की घोर उदासीनता की चर्चा के लिए) ।

32 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय । (भू-राजस्व कानूनों में संशोधनों के एकीकरण की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिए) ।

33. मांग संख्या 8, मुख्य-शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ('जिला जालौर में लोटो एवं वाडो नियमन की समस्या एवं गोचर जमीन में नाजायज कब्जे नहीं हटाने से उत्पन्न समस्या की चर्चा के लिए) ।

34. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर की सांचोर तहसील में भू-राजस्व की दृष्टि से ग्रामों की सीमा का पुनर्गठन करने की समस्या की चर्चा के लिये) ।

35. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में भूमिहीनों को भू-आवंटन एवं उनको कब्जा नहीं दिलाये जाने की समस्या पर चर्चा के लिये) ।

36. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में नामान्तरण करने एवं नाजायज कब्जों के नियमन के बारे में चर्चा के लिये) ।

37. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में पटवार मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा के लिये) ।

38. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में दुबारा सैटलमेंट शीघ्र करवाने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) :

39. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन क्षेत्रों में पिछले पच्चीस, तीस वर्षों से सैटलमेंट नहीं हुआ है वहां सैटलमेंट करवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

40. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम रास्तों व गोचर पड़त आदि भूमि पर नाजायज कब्जा करने की प्रवृत्ति को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

Page No 35

(35)

(श्री रामरघुनाथ)

41. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील डेगाना अन्तर्गत ग्राम आलनियास में गऊचर की भूमि पर नाजायज कब्जा करने व इसमें व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील डेगाना के अन्तर्गत विभिन्न गांवों में जिन लोगों के पास काश्त की जमीन 30·40 बीघा होने पर भी भूतपूर्व एस0 डी० ओ० मेड़ता द्वारा नाजायज अलाटमेन्ट व रेगुलराइजेशन करने व भ्रष्ट तरीके अपनाने की चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (भिन्न-भिन्न जिलों के अन्तर्गत आने वाली तहसीलों में जबरन भूमि अवाप्ति व उसमें हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

44. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील डेगाना अन्तर्गत गोन्दरड़ा में आबादी की भूमि पर नाजायज कब्जा कर काश्त कराने में भूतपूर्व एस० डी० ओ० मेड़ता द्वारा नाजायज सहयोग देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

45. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार में हुई वृद्धि पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर उप-जिले को जिला बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर उप-जिला की आवंटित की हुई भूमि पर हरिजनों को कब्जा न दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग कानून से प्राप्त भूमि के आवंटन में बरती जा रही सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) :

49. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैटलमेंट न होने से पटवारियों व तहसीलदारों द्वारा किसानों को तंग करने पर चर्चा के लिए)।

50. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर तहसील में 91 के हजारों काश्तकारों के मामले विचाराधीन हैं जिन्हें पंचायत मुख्यालयों पर बैठकें रखकर निपटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) :

51. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले के जिलाधीश कार्यालय में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

52. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलों में पटवारियों तथा रेवेन्यू इन्सपेक्टरों के दूसरे जिलों में स्थानान्तरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झाड़ोल क्षेत्र उदयपुर जिला में किसी प्रकार का बन्दोबस्त कार्य नहीं हुआ है और अवहेलना हुई है उसकी चर्चा के लिये)।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) :

54. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि सुधार के बारे में कारगर कदम उठाने में सरकारी उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिगृहीत भूमि का मुआवजे देने में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) :

57. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर पालिका क्षेत्र में जिन काश्तकारों के कब्जे काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पहले के हैं उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान कराने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डल) :

58 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश कार्यालय में व्याप्त शिथिलता के कारण कृषकों को होने वाली परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मण्डी विकास निगम में विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिस क्षेत्र से जितना भू-राजस्व प्राप्त किया जाये उसे उसी क्षेत्र के विकास हेतु पंचायत को देने पर चर्चा के लिये)।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिडावा) :

61. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 37

(37)

(श्री ईश्वरचन्द्र)

कम कर दिया जाय (भवानी मंडी व पिड़ावा में एस०डी०ओ० कोर्ट कायम कराने हेतु चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 175 के प्रकरणों में हुई ज्यादती की चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुनेल सब तहसील की स्थापना की चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों में वकीलों को अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर):

65. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखड़ी क्षेत्र में खातेदारी अधिकार दिलाने एवं प्रदेश में पुनः सैटलमेन्ट कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

66. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग में अवाप्त भूमि के अलाटमेन्ट में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल):

67. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धारा 91 के अधीन विचाराधीन मुकदमों को शीघ्र निपटाने, म्यूटेशन समय पर भरे जावे, बांध एवं सड़क निर्माण मे जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त हुई उन्हें मुआवजा देने हेतु चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नामान्तरकरण के मामले लम्बे समय तक न निपटाये जाने के बाबत चर्चा के लिये)।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):

69. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संकटकालीन स्थिति के समय जो जमीनों का अलाटमेन्ट किया गया है उनमें गोचर भूमि श्मशान व रास्ते भी अलाट कर दिए गए हैं इन महत्वपूर्ण स्थानों के अलाटमेन्ट को तुरन्त रद्द किया जावे इस पर चर्चा के लिये)।

श्री माधोसिंह (रेवदर):

70. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अधिकारियों द्वारा रिकार्ड दुरुस्त करने व गोचर भूमि का म्यूटेशन समय पर न भरने पर चर्चा के लिये)।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़):

71. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे किसानों को राहत देने हेतु 25 रुपये तक भू-राजस्व माफ किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री करतारसिंह)

72. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व सम्बन्धी मामलों के तुरन्त निपटारे हेतु सर्किट कोर्ट्स की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

श्री गणेशलाल (हिण्डोली):

73. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रिकार्ड सही कराया जाकर कृषकों को लाभ पहुंचाया जावे एव गरीब लोगों को भू-आवंटन सही प्रकार से कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर):

74. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के राजस्व मामलों को शीघ्र निपटाने एव प्रशासनिक ढाचे में मौलिक परिवर्तन के क्रम में चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बानसूर तहसील हैडक्वार्टर पर सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने के विषय में चर्चा के लिये)।

श्री बहादुरसिंह (नोहर):

76. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिरानी, नहरी भूमि पर लगने वाले राजस्व के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा):

77. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उप-कृषकों को पटवारियों व उच्च अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील उनियारा का मुख्यालय अलीगढ़ में है जब कि यह मुख्यालय पहिले उनियारा ही था पर पहली वाली सरकार ने राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर हटा दिया, अब उसे वापस उनियारा ही स्थापित किया जावे इस पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में जागीर पुनः ग्रहण होने के बाद जो 6 माह में मुआवजा नहीं मिल पाया और जब भी मिला उस बीच के समय का ब्याज उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद जागीर कमिश्नर द्वारा नहीं दिया जा रहा है और जागीरदारों को अनावश्यक रूप से परेशान किये जाने पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन के आधार पर जो नया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बनाया गया है, उसे अभी लागू नहीं किये जाये पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में दो सीलिंग

(श्री दिग्विजयसिंह)

कानून लागू हैं, एक वर्ष 1963 और दूसरा 1973 जबकि भारत के किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के दो कानून लागू नहीं हैं, इन कानूनों से काश्तकारों को परेशानी होती है और कानून का अमल होने में भी देरी होती है इसलिये 1973 का ही कानून लागू रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

82 मांग संख्या 8 मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू० पू० ठिकाना उनियारा के ग्रामों की चकबन्दी के लिये वर्ष 1977-78 में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन प्रकाशित कराने बाबत चर्चा के लिये) ।

83. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू अकाउन्टेन्टों के 6 वर्षों में भी तबादले नहीं किये गये जब कि तबादला 3 वर्षों के बाद होना चाहिये इस पर चर्चा के लिये) ।

84. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक की उनियारा देवली तहसीलों में धारा 91 रा० टि० एक्ट, 1955 के अन्तर्गत नोटिस दिए जाकर जो पैनल्टी वसूली की जा रही है उस पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

85. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण कर्जदारी का मूल्यांकन उचित रूप से नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

86. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश कार्यालय में राजस्व के मामलों के निपटारे में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये) ।

87. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि सीलिंग में प्राप्त आवन्टित भूमि में कृषि उत्पादन एवं विकास हेतु विभाग द्वारा अपर्याप्त सहायता देने पर चर्चा के लिये) ।

88 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मण्डल की बैंचों को समय-समय पर तहसील मुख्यालय जाकर राजस्व केसेज का निपटारा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-अभिलेखों को उचित प्रकार से रखे जाने एवं समय पर उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

90. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश, सब-डिविजनल तथा तहसील कार्यालयों के कार्यकरण में आमूलचूल परिवर्तन हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

91 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री कौशलकिशोर जैन)

कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा शहर में काश्त की जमीन को आवादी क्षेत्र में परिवर्तित किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

92. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़ा महुआ, पार्सल जिला भीलवाड़ा की सीलिंग में प्राप्त जमीन के अलाटमेन्ट में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

93. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम आटूण तहसील भीलवाड़ा के रुके हुए रास्ते के बीच में आने वाली जमीन को अवाप्त कर मार्ग खुलवाने के विषय पर चर्चा के लिये) ।

94. मांग संख्या 8. मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मौजा छापरी तहसील भीलवाड़ा में चरनोट की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने में असफलता पर चर्चा के लिये) ।

95. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 00 रुपया कम कर दिया जाय (एस० डी० ओ० तथा तहसीलदार द्वारा भीलवाड़ा में 16 अगस्त, 1977 को सीलिंग की जमीन के अलाटमेन्ट में किये गये घोटाले पर चर्चा के लिये) ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

:

96. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि से बेदखल किये जा रहे कृषकों की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

श्री हरजीराम (लाडनूं) :

97. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम निम्बी जोधा के ग्राम रास्तों पर किये गये कब्जों को नहीं हटाये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये) ।

98. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम ठाकरिया बाखू तहसील डीडवाना जिला नागौर में ग्राम रास्तों से कब्जे हटाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

99. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, (डी० पी० ए० पी० नागौर द्वारा भेड़ पालन कार्यक्रम के लिये ली गई भूमि में सार्वजनिक रास्तों की भूमि पर कब्जा करने तथा जनता की मांग के बावजूद रास्ता नहीं खोलने बावत चर्चा के लिये) ।

100. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के ग्रामों की कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

101. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खसरा नम्बर 311,263,141 में से भूमि का अनियमित

(श्री हरजीराम बुरड़क)

आवंटन व अनियमित खातेदारी देने व उसको गलत रूप से बेच देने के मामले में स्थानीय तहसील कार्यालय द्वारा की गई ज्यादतियों पर चर्चा के लिये)।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहरथाना):

102. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा में सीलिंग भूमि अवाप्त करने में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)

103. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोहरथाना में नायब तहसील कार्यालय में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

104. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस० डी० ओ० हैड-क्वार्टर, राजगढ़ को अलवर के बजाय राजगढ़ में ही स्थापित किया जाय)।

श्री जगदीशसिंह (धोलपुर) :

105. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारी कानून का उचित क्रियान्वयन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (जेतारण) :

106. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्त की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने में होने वाली दिक्कतों की चर्चा के लिये)।

107 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-आवंटन की समस्या पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अतिक्रमण एवं नियमन के मामले हल करने की प्रक्रिया में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अधिकारियों के विभिन्न कृत्यों में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिछड़े वर्गों को अलाटशुदा जमीन का कब्जा दिलाने व भूपतियों के हमलों से बचाने के लिये)।

श्री एच० एन० शर्मा (वेगूं) :

111. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री एच. एन शर्मा)

कम कर दिया जाय (कृषि योग्य भूमि जो बड़े-बड़े बांधों के तहत डूब में आ गई थी उसे पुनः अलाट करने बाबत चर्चा के लिये)।

112 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेगूं और मांडलगढ़ तहसील में 1,500 बीघा जमीन को दोनों ही तहसीलों के नक्शों में दर्शाने और अलाटमेन्ट बाबत चर्चा के लिये)।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

113. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश कार्यालय में लम्बे अर्से से विचाराधीन पड़े मामलों को शीघ्र निपटा कर किसानों को राहत दिये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) :

114. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले के काश्तकारों पर सीलिंग लागू करने से उत्पन्न समस्याओं और वसूली में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री निर्मलकुमार (झालरापाटन) :

115. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लगानों की एकरूपता किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) :

116. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों की कठिनाइयों के प्रति राजस्व अधिकारियों द्वारा अमानवीय व्यवहार करने पर चर्चा के लिये)।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) :

117. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [तहसील उदयपुर (झुंझुनू) में समय पर इन्तकाल न भरने पर चर्चा के लिये]।

118. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले में राजस्व के मामलों के निपटारों में होने वाले अनावश्यक विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले में भूमि सुधार कार्यक्रम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

120 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले के उप-जिलाधीश, नवलगढ़ द्वारा अपनाए जा रहे भ्रष्ट तरीकों पर चर्चा के लिये)।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

121. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री उमगराज मेहता)

कम कर दिया जाय (ब्यावर क्षेत्र में भू-राजस्व की वसूली में होने वाले भ्रष्टाचार से कृषकों की असुविधाओं पर चर्चा के लिये) ।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) :

122. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले के देव मन्दिरों की जीर्ण-शीर्ण दशा पर चर्चा के लिये) ।

123. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नसीराबाद में उप तहसील की पुनः स्थापना हेतु तथा इसके अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री मणिराम (तारानगर) :

124. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला चूरू में राजस्व अधिकारियों द्वारा आबादी भूमि की वृद्धि नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

125. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तारानगर क्षेत्र के प्रत्येक गांव में आबादी भूमि की कमी उत्पन्न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

126. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तारानगर देहाती क्षेत्र में काश्तकारों को रेवेन्यू कर्मचारियों द्वारा परेशान किया जाकर इन्तकाल नामान्तरण फीस के बहाने से भारी मात्रा में रुपये वसूल किये जाने बाबत चर्चा के लिये) ।

श्री अब्दुल हादी (चोहटन) :

127. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरुस्थलीय जिलों के राजस्व लेखों में वर्णित चरागाह की भूमि में होने वाले अतिक्रमण को रोकने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

128. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि अलाटमेन्ट में व्यापक पक्षपात व गलत लोगों द्वारा हड़पी गई भूमि पर चर्चा के लिये) ।

129. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुओं द्वारा सिंचित भूमि पर लगान कम करने पर चर्चा के लिये) ।

130. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों के रास्ते टेढ़े-मेढ़े न होकर गांव से गांव सीधे किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

131. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वसूली कार्य पटवारी की जगह सरपंच के जिम्मे करने पर चर्चा के लिये) ।

Page No 44

(५५)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

132. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एक क्षेत्र एक ही पटवारी के जिम्मे किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुचित तरीके अपना कर भूमि हड़पने वालों से जमीन वापस लेने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) :

134 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध नक्शों के पैमाने (स्केल) को बड़े पैमाने के बनवा कर बांधों, रास्तों एवं नाके के स्थानों को उचित रूप से दर्शाया जावे तथा पास बुक वितरण में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

135 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि और किसान राज्य स्थापित होने से पूर्व थी उसी किसान के साथ आज तक अन्याय हो रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा तरमीम कार्य, भूमि का सर्वे, सीमाओं का अंकन, खेत बनाने, भूरसी दक्षिणा की शुरुआत करने व आपसी झगड़े के बीज बोने, एक गांव से दूसरे गाँव को लड़ाने की कार्यवाहियों पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खसरा लेखा मौके के कब्जे के अनुसार न बतलाकर स्वार्थ सिद्धि के आधार पर गलत दर्ज करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दस-दस आदमियों के खेतों को शामिल खाते में लिख देना जब कि वह अलग-अलग जमीन काश्त करते हैं पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं जमीदारी, बिस्वेदारी अबोलिशन एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार काश्तकारों को प्राप्त हो जाने के बाद भी पटवारियों द्वारा रेकार्ड में किसानों के इन्द्राज न करना, धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत केसेज बनाकर किसानों को गलत तरीकों से परेशान करने पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तालाब पेटा की भूमियों पर खातेदारी न देकर सरकारी घोषित कर आवंटन करना व पुश्तैनी किसानों के हकों पर कुठाराघात करने पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री रतनलाल वर्मा)

कम कर दिया जाय (दिनांक 1-3-62 से 24-3-63 तक प्रचलित किये गये आदेशों की पालना न करना, 15 एकड़ पानी 37॥) बीघा बारानी भूमि तक खातेदारियां देना, भूमि से बेदखल करना, किसानों के लिये दुधारी तलवार थी–इस पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनवरी 64 से दिसम्बर 64 तक जारी किये गये परिपत्रों में विशेषतया जून 1964 के परिपत्र के किसानों पर कुप्रभाव पड़ा जिससे रेवेन्यू अफसरों को खुल कर किसानों का शोषण करने का अवसर मिला–इस पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सन् 1966 में राज्य सरकार की विज्ञप्ति 6॥ बीघा भूमि खेतों के बीच की पड़ोस की खातेदारी उसी किसान को दे दी जावे जिस किसान का खेत खातेदारी के पास हो, किन्तु नहीं दी गई इससे उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राजस्व (ख) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ. 3 (50)/ख/बी/64 जयपुर अक्टूबर 5, 1967 के द्वारा किसानों को राज्य सरकार के आदेश होने पर भी लाभ नहीं मिला, उल्टा किसान लुट गया, केम्प लगाये गये, फाईलें गायब हो गई, फैसले मुकदमों के दुबारा मुकदमें 5 साल बाद चल गये–इस पर चर्चा के लिये]।

145. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को सीलिंग कानून की तरह परिवार अलग नहीं मान कर 37॥ बीघा की खातेदारी देकर बाकी भूमि से बेदखल कर दिया, पिता के बैठे ग्रामों में खातेदारी बेटों के नाम नहीं होती चाहे वह अलग रह रहा है–इसके कारण व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन जमीनों पर सवर्ण कौम के कब्जे व काश्त भी थी सेटलमेन्ट वालों ने जानकर रखवाली कर रहे शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले के नाम खातेदारियां कर दीं जब कि वह खुद कहता है मेरी जमीन नहीं है फिर भी उसके खाते से उस जमीन को नहीं हटाया जाता अदालतों में हजारों मुकदमे चल रहे हैं, जाँच की जा सकती है, साबित करने को तैयार हूं–इस पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तालाबों में पानी नहीं होने से किसानों ने अपने साधनों से कुए खोदे हैं उनकी जमीनों को चाही दर्ज कर दी इसलिये तालाब से नहीं पिलाई जाती, पैसा लेकर पिलायी जाती है और पीती आ रही है, ऐसी जमीनों को चाही, तालाबी दर्ज करने पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किस्म जमीन परिवर्तन करना जहाँ कुआ नहीं है, चाही कर दी, तालाब से पीती है, बारानी कर दी, पानी तालाब का पहुंचता भी नहीं, तालाबी कर दी,

(श्री रतनलाल वर्मा)

ऐसी जमीनों की सही किस्म दर्ज की जाने का आग्रह करने हेतु चर्चा के लिये) ।

149. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, (राजस्व रेकार्ड में नक्शा तरमीम में कब्जे के अनुसार रेकार्ड खसरा इन्द्राज गलत कर दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

150. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रसारित की गई रेवेन्यू विभाग की विज्ञप्तियों की सख्ती से पालना करवा कर मन्दिर व मस्जिद की भूमि, जो विक्रय कर दी या उस पर दूसरों ने कब्जे कर लिये, से बेदखल किये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

151. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबादी क्षेत्र जहाँ वर्षों से लोग आबाद हो रहे हैं उस जगह को जान कर आबादी घोषित नहीं की है जहाँ चूने, ईंटों के भट्टे लग रहे हैं छोटे-छोटे लघु उद्योग लगे हुये हैं उन जमीनों को भी आबादी या इन्डस्ट्रीज में घोषित कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

152. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अमीनों के अनियमित कार्यों को करने के कारण उनकी वेतन वृद्धि किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

153. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व विभागों में कार्यरत अधिकारी अमीन, पटवारी, गिरदावर को ही तहसीलदार, एस० डी० ओ० और कलेक्टर बनाये जावें व इसी तरह रेवेन्यू कोर्टों में भी मजिस्ट्रेट को रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य बनाये जाव जिससे किसानों को लाभ मिलेगा इस पर चर्चा के लिये ।

154. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को पट्टे सही नहीं मिले क्यों कि नक्शा व खसरा ही गलत है इस पर चर्चा के लिये) ।

155. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर राज सन् 1956 में जिला होकर राजस्थान में विलय हो जाने से वहां के सैटलमेन्ट का कार्य अधूरा रहा इस पर चर्चा के लिये) ।

156. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सितम्बर 1970 में मसूदा में जिला स्तरीय पंचायत समिति की बैठक में दुरुस्ती सैटलमेन्ट के बिन्दु तय हुए थे उसके अनुसार कार्य नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

157. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दिनांक 6 व 7 अक्टूबर, 1971 को गैर सरकारी सदस्यों का सम्मेलन केकड़ी में हुआ उसकी रिपोर्ट सरकार के रेकार्ड पर है किन्तु सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया इस पर चर्चा के लिये) ।

(श्री रतनलाल वर्मा)

158. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नक्शे का पैमाना छोटा है इसको बड़ा किया जावे ताकि मौके के अनुसार ग्रावें, रास्ते, मोरियां, खेतों के रास्ते आसानी के साथ नक्शों में बन जावें अधिकतर गांवों में झगड़े इन्हीं बातों के होते हैं जिससे आगे चल कर फैसले सही नहीं हो पाते इस पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसान स्वयं ने भूमि की किस्म बदली सरकार ने इस प्रयोजन हेतु कुछ भी नहीं किया फिर भी सरकार द्वारा परिवर्तित भूमि किस्म के आधार पर भू-राजस्व वसूल किये जाने पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि पर कुआ खोदने हेतु पंचायत समिति से ऋण दिलाया गया उस ऋण को अब राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा वसूल किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारानी भूमि को चाही में परिवर्तित करने हेतु किसान को न तो भूतपूर्व राजाओं व जागीरदारों ने भी कोई पैसा नहीं दिया और। सरकार ने भी कर्ज दिया अब किसान द्वारा चाही का लगान व कर्ज का ब्याज भी वसूल करने किसान पर पड़ने वाली दोहरी मार से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिकुमार शर्मा (रामगजमण्डी):

162. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चरागाह, आम रास्तों पर हुए अतिक्रमण को रोकने तथा पट्टे वितरण में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना):

163. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील परबतसर में मकराना क्षेत्र के राजस्व भूमि पर चल रहे मुकदमात के शीघ्र निपटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (100 से अधिक केसों के निपटारे के लिये राजस्व न्यायालय की बैंच द्वारा संबंधित क्षेत्र में जाकर फैसले करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा गलत हद बन्दी करने एवं अभिलेख में हेराफेरी करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व से होने वाली आय उसी संबंधित क्षेत्र में लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपालसिंह (आहोर) :

167. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बांध के कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आई भूमि, जो काश्तकारी कानून के अन्तर्गत दस वर्षों के कब्जे के उपरान्त नियमित की गई थी उस भूमि से अब 150 रुपये या 200 रुपये की राशि की वसूली से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

श्री माणकलाल (नैनवा) :

168. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रास्तों, मोरियों, तालाबों व बांधों की आबों एवं नालों को नक्शे में बनाना एवं खसरे में रकबा इन्द्राज कर उसका वाजेबुल अर्ज लिखने पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों एव पटवारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) :

170. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण विभागीय कर्मचारियों द्वारा नहीं रोके जाने से हमारी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) :

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) :

171. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में आवंटित की गयी चरागाहों की भूमि के आदेश निरस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नादौती के किसानों से सरचार्ज वसूल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) :

174. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व राजा महाराजाओं के कब्जे की भूमि सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत अवाप्त की जाने में शिथिलता बरती जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील बाड़मेर में सिंघधरी के भूतपूर्व जागीरदारों की सीलिंग सीमा से अधिक की सम्पूर्ण भूमि अवाप्त न की जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चरागाह घोषित करने, कृषि भूमि से आबादी भूमि में किस्म परिवर्तन करने, मेड़ बन्दी करने आदि के सम्बन्ध में विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों पर

(श्री गंगाराम चौधरी)

व्यवस्थित रूप से सुनवाई न की जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू के लॉज कमीशन की सिफारिश के अनुसार लैंड मेनेजमेन्ट एवं डवलमेन्ट बोर्ड का गठन किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा लगान की दर की घोषणा समय पर न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

179. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू लॉज कमीशन की राय के अनुसार टिनेन्सी कानून में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

180. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारी का पद समाप्त किये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) :

181. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नई तहसील एवं उप जिला खंडों के पुनः निर्माण सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सीमांकन एवं तहसील सीमांकन पुनः किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

183. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अधिकारियों द्वारा कृषकों के साथ किये जाने वाले अन्याय के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) :

184. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों के कार्यों की जांच नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

185. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताएं व स्वेच्छाचारिता पर चर्चा के लिये) ।

186. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार तथा निष्क्रियता पर चर्चा के लिये

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू) :

187. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम इस्लामपुर जिला झुन्झुनू में काटली नदी के पेटे की जमीन

(श्री सुमित्रासिंह)

को आवंटियों के नाम अस्थाई रूप के बजाय स्थाई करने पर चर्चा के लिये) ।

188. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में लगान की ऊँची दर पर चर्चा के लिये) ।

श्री लालशंकर (सागवाड़ा) :

189. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. डी. ओ. कार्यालय सागवाड़ा में व पटवार मंडल, डूँगर-शारण खुलवाने व भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

190. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौरासी क्षेत्र में सीमलवाणु में तहसील स्थापित कराने एवं भवन बनवाये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री भवरलाल शर्मा (हवा महल, जयपुर):

191. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिसाऊ को उप-तहसील बनाने हेतु चर्चा के लिये) ।

192. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरीय कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित किये जाने में होने वाली देरी से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

193 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील में, भूतपूर्व जागीरदारों की अधिकतम भूमि सीमा से अधिक भूमि को अवाप्त नहीं करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

194. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में भूमि आवण्टन में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

195. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली में गीता भवन जो बना हुआ है उस जमीन को अभी तक आबादी में परिवर्तन करने के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

196. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग कानून अभी तक अमल में सही तरीके से न आने के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

197. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जब कभी काश्त की भूमि का बेचान हो उसी दिन रेवेन्यू रिकार्ड में तब्दीली न करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

श्री शिवनारायण (थानागाजी) :

198. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में सिवाय चक एवं रास्तों की समस्या के बारे में चर्चा के लिये) ।

Page No 51

(51)

श्री नरेन्द्रपालसिंह (मावली) :

199. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में तहसील सराड़ा के तहसीलदार के विरुद्ध की जाने वाली जांच में शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिये) ।

200. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम नीमच तहसील सराड़ा जिला उदयपुर में भूमि आवंटन में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

201. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आवंटन समितियों की बैठकें विधान सभा सत्र में करने से होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

श्री मेघराज (चूरू) :

202. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान बनने के बाद भूमियों के सैटलमेंट में, पैमाइश के जो सिद्धान्त अपनाये गये हैं, उनसे काश्तकारों की असुविधाओं में और अधिक बढ़ोत्तरी हुई है और काश्तकार अधिकाधिक मुकदमेबाजी में फंसे है इस पर चर्चा के लिये) ।

203. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू तहसील के गांवों में सम्वत् 2025 में किये गये सैटलमेंट के आधार पर किये गये कर निर्धारण में बरती गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

204. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव में बसने वाले काश्तकारों के जो पुश्तैनी अधिकार गांवाई चरागाह भूमियों पर थे, उन अधिकारों से वंचित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)

205. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में आबादी भूमि की कमी आ जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

206. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को छोटी-छोटी जोतों पर लगान में दी गई छूट में बरती गई असमानता पर चर्चा के लिए)

207. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों के तबादलों में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिए) ।

208. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुराने जागीरी के एक ही बड़े गांव को जागीरी रेख अथवा हिस्सों के आधार पर अनेक भागों से रेवेन्यू रेकार्ड में अलग अलग कई गांव दर्ज किये जाने से गांवों के विकास एवं अन्य प्रशासनिक मामलों में आने वाली मुश्किलात के संबंध में चर्चा के लिए) ।

209. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री मेघराज)
कम कर दिया जाय (श्री गंगानगर के चक 1 ई छोटी के कृषि श्रमिकों को जो महाराजा फार्म के पुराने काश्तकार थे राज्य सरकार द्वारा मिलटरी के लिए फार्म की कृषि भूमि को अवाप्त कर भूमिहीन बना दिया गया और उन्हें एवज में खेती के लिए कोई भूमि अभी तक नही दी गई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

210. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम फतेहसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू में अनुसूचित-जाति व जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित कृषि भूमि का कब्जा नहीं दिलाये जाने पर चर्चा के लिए) ।

211. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले के द्वारा बन्दोबस्त कार्य कराने हेतु चर्चा के लिए) ।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) :

212. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ढाई हेक्टेयर तक की जोतों को भू-राजस्व से मुक्त करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

213. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीम क्षेत्र में भूमि सम्बन्धी समस्याओं से उत्पन्न किसानों की परेशानियों पर चर्चा के लिए) ।

214. मांग संख्या 8; मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली परिगणित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय प्रवृतित योजना के संबंध में कार्यालय की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगज) :

215. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में गरीब, आदिवासी, जनजाति एवं अन्य पिछड़े तबके के लोगों को भूमि वितरण और उनका बेचान किन्तु आपातकाल के बाद में वह भूमि सवर्णों द्वारा हथिया लेने पर चर्चा के लिए ।

216. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगंज शाहबाद में राजस्व की वसूली में पटवारियों का सक्रिय हाथ और पटवारी और पुलिसमेन की मनमानी धांधली पर चर्चा के लिए) ।

217. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि के अनियमित अलाटमेंट और इसमें तत्काल नियमन कर गरीब कृषकों को राहत दिलाने बाबत चर्चा के लिये) ।

218. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 53

(53)

(श्रीमती नारंगीदेवी)

कम कर दिया जाय (किशनगंज शाहबाद में ट्रेसपास भूमि के नियमन करवाने बावत तथा एक भूमि को कितने ही व्यक्तियों को आवंटित करने बावत चर्चा के लिए)।

219. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आपातकाल में पटवारियों द्वारा की गई मनमानी से ग्रामीणों के उत्पीड़न पर चर्चा के लिये)।

श्री सुखलाल सेंगचा (रायपुर) :

220. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में अभी जो सेटलमेंट हुआ है उसमें बड़ी बिगोड़ी से हुई किसानों को परेशानी पर चर्चा के लिए)।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) :

221 मांग-संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के रीसैटलमेन्ट से हुई किसानों की परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

श्री आलम अली खां (फतहपुर) :

222 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि का सीमांकन करने में विभाग द्वारा की जा रही धांधली पर चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चरागाह भूमि में चराई के मतलब हेतु भेड़-बकरियों को भी मवेशी न माने जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोचर भूमि, जो पुश्तैनी से चरागाह के लिये काम आती थी, को कनवर्ट करके जगलात भूमि तथा खेती के लिये अलाट कर काश्तकारों को उनके पुश्तैनी अधिकारों से वंचित किया गया है के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दोबस्त विभाग द्वारा तरमीम पैमायश के समय की गई गड़बड़ियों से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) :

226. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों के भूमि संबंधी विवाद मौके पर नहीं सुलझाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) :

227. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में राजस्व वसूली में हुई धांधली पर चर्चा के लिये)।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

228. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा

(श्री रतनाराम चौधरी)

काश्तकारों को परेशान करने बाबत चर्चा के लिये) ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

229. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग के तहत आई भूमि जिसका काश्तकारों को आंवटन हो गया और उन्हें दो साल बाद फिर से बेदखल किया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये) ।

230. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुबारा सैटलमेन्ट कराये जाने बाबत चर्चा के लिये) ।

231. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कार्यरत या भूतपूर्व सैनिकों को नहरी क्षेत्र में कृषि भूमि के आंवटन में प्राथमिकता देने और ऐसे अलाट शुदा भूतपूर्व सैनिकों से कृषि भूमि के कब्जे खाली कराये जाने की कार्यवाही को अविलम्ब रोकने हेतु चर्चा के लिये) ।

232. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू के मामले तहसील स्तर पर 3 माह के भीतर भीतर निपटाये जाने के लिए पाबन्द करने बावत चर्चा के लिये) ।

233. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारी लोग खेत पर पिलाई नाप कर नहीं दर्ज कर घर बैठे ही दर्ज कर लेते हैं जिससे काश्तकार गलत दर्ज पिलाई को समाप्त करवाने के लिए कार्यालयों में भटकता फिरता है इन सबको समाप्त कराने बावत चर्चा के लिये) ।

234. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लेवी फसल की पैदावारी पर ही ली जाये, केवल बीज डालने मात्र से नहीं, रवी की फसल में रेलफीयर फसल बोई जाती है पर पानी के अभाव में सूख जाय तो लेवी वसूल न हो, उत्पादन की क्षमता पर लेवी ली जाय-इस पर चर्चा के लिये) ।

235. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिवपुर पंचायत समिति मांडल के एक भील को वहां के पटवारी ने पहले जमीन बताई, बाद में चरनोट पर कब्जा बताकर बेदखल करने की कार्यवाही व फसल को नीलामी की कार्यवाही तक हो रही है- इस पर चर्चा के लिये) ।

236. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडल चौराहा जो भीलवाड़ा अजमेर मार्ग पर पड़ता है इस पर गत 20 सालों से मकानात गरीब आदमियों ने कृषि भूमि पर बना लिये हैं उनका राजकीय नीति के अनुसार शीघ्र नियमन कराये जाने बाबत चर्चा के लिये) ।

237. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(राजस्व मामले निपटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है वह कागजों में रहने की आशंका पर चर्चा के लिये) ।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

238. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडल तहसील में जागीरदारों को सीलिंग का स्टे दिया गया जिसके कारण आवंटन शुदा जमीन से काश्तकारों को बेदखल किया जा रहा है, उनके खेतों पर ट्रैक्टर चलाये जा रहे हैं। जागीरदारों से बात कर मामले को शीघ्र निपटाने बाबत चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम साल्य, पंचायत किड़ीमाल, पंचायत समिति मांडल के निवासियों को जिनका गत 15 सालों का कब्जा है और 1968 में नियमन हो गई वापस वन विभाग ने नियमन को 1970 में समाप्त करवाया पर किसानों का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है उन्होंने 20,000 रु० लगाकर कुआ बना लिया; नाड़ी बना ली व कोट लगा दिये पर आज भी परेशान किया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

240. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडल नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों के पास गत 20 वर्षों से कब्जा है उनके पास एक एक बीघा जमीन नहीं है उनको बेदखल किया जा रहा है जब कि उनके पास पुराने कब्जे की पैनल्टी की रसीदे मौजूद हैं इस बाबत चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजाजी का करेड़ा तहसील में नायब तहसील कायम हो। करेड़ा मध्य में पड़ता है तहसील एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग 50 मील पड़ती है। लोगों को सुलभ न्याय मिल सके। भ्रष्टाचार समाप्त हो सके इसके लिए यह आवश्यक है बाबत चर्चा के लिये)।

242. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. डी. ग्रो. का कैम्प हर दो माह में विधायक के साथ उसके क्षेत्र में हो जिसके कारण सारे मामले तुरन्त निपटाये जा सकें व जो भीड़ गत तीस साल से कांग्रेस शासन में थी मिट सके। तहसील, एस डी. ग्रो. जिलाधीश कार्यालय बिना मतलब की कार्यवाही से बच सके, बाबत चर्चा के लिये)।

243. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिका क्षेत्र में काश्त की जमीन का आवंटन जिला स्तर पर हो सीधा जयपुर से न हो व पंचायत अनुसार जमीन के लिए उपयुक्त व्यवस्था कराने बाबत चर्चा के लिये)।

244. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा एस. डी. ग्रो. के तहत पांच तहसीलें हैं और काम की अधिकता से कोई भी काम समय पर व व्यवस्थित नहीं हो पाता इसलिये दो एस. डी. ग्रो. और लगाये जायें। एक दफ्तर मांडल में कायम कराने बाबत चर्चा के लिये)।

245. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेयरी या मण्डी किसी

Page No 56

(56)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

के लिए भी जरूरत हो तो भूमि एक्वायर न कर खरीदी गई इस बाबत चर्चा के लिये) ।

246. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा सब स्टेशन प्रतापनगर में नाजायज कब्जा को राजस्व मशीनरी द्वारा नियमित अनुचित ढग से करने पर चर्चा के लिए) ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) :

247. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व कर्मचारियों द्वारा भीलवाड़ा जिले में सन् 1971 में हरिजनों व भूमिहीनों को अलाट की गई भूमि का कब्जा नहीं दिलाने एवं काश्त नहीं करने देने पर चर्चा के लिये) ।

248. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील हुरड़ा में हुए सैटलमेन्ट में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा के लिये) ।

249. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों के खातों के बटवारों की पद्धति को सरल करने पर चर्चा के लिये) ।

250. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग में ली जाने वाली जमीनों को अलाट करने पर चर्चा के लिये) ।

251. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़े खातेदारों से सीलिंग में ली गई जमीन से सब-टिनेन्ट के बेदखल हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

252. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को खेतों में स्वयं के मकान बनाने में तहसीलदार द्वारा बेदखली किये जाने बाबत चर्चा के लिये) ।

253. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आपातकाल में गलत व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि अलाट करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

254. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले के करौली, हिन्डोन, महुआ आदि कस्बो में कृषि भूमि के फर्जी बेचान पर चर्चा के लिये) ।

255. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिन्डोन पत्थर मंडी की जमीन को आबादी में कनवर्ट न करने बाबत चर्चा के लिये) ।

256. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग एक्ट, 1966 और 1973 से किसानों को दोहरी हानि पर चर्चा के लिये) ।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

257. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंडावर कस्बे की कृषि भूमि को आबादी में कनवर्ट न करने, जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

258. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, (भूतपूर्व सैनिकों को अलाट की गई जमीन पर कब्जा न दिलाने बाबत चर्चा के लिये)।

259. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि कार्यों से सम्बन्धित औजार बनाने और अपने घरेलू उपयोग के लिए किसान को अपने खेत से लकड़ी काटने पर लगे प्रतिबन्ध को उठाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार) :

260. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकालग्रस्त घोषित क्षेत्रों में लगान व राजस्व वसूली स्थगित किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

श्री रामेश्वर (चौमू) :

261. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में मन्दिरों की अव्यवस्था होने व उनकी सम्पति पुजारियों द्वारा खुर्दबुर्द किये जाने पर चर्चा के लिये)।

262. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पटवारियों की संख्या बढवाने एवं अवधि पार क्षेत्रों में पुनः भू-प्रबन्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के देहात क्षेत्रों में राजस्व न्यायालयों की स्थापना तथा चौमू में तहसील का कार्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में राजस्व न्यायालयों में पुराने मुकदमों का शीघ्र निपटारा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्व मंडल की स्थायी बेंच की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

266. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति क्षेत्र के आधार पर तहसील कार्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

267. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व की असन्तुलित वसूली एवं भूमि सम्बन्धी राजस्व अदालतों के मामलों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

268. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला नाविकों, सैनिकों और विमानिक बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति और अव्यवस्था को दूर करने पर चर्चा के लिये) ।

269. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को राजस्व के अंश के बदले वास्तविक अनुदान सहायतार्थ दिलाने बाबत चर्चा के लिये) ।

270. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला राजस्व प्रशासन में व्याप्त अव्यवस्था में नये परिवेश प्रदान कर परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

271. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व कार्यालयों के फिजूल खर्च के कारण तथा राजस्व न्यायालयों से हो रही कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

272. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-प्रबन्ध विभाग में कर्मचारियों के चयन में हुई घोर अनियमितताओं पर चर्चा के लिए) ।

273. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-प्रबन्ध आयुक्त द्वारा विभाग में चयन व नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों की पूर्णतः अवहेलना करने पर चर्चा के लिये) ।

274. (1) श्री विजयसिंह नदेरा(बांदीकुई) :

(2) श्री रामकिशोर मीणा :

275. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा उप-जिला को जिला मुख्यालय बनाने से पूर्व ए०डी०एम० का कार्यालय तुरन्त दौसा में चालू कराने पर चर्चा के लिये) ।

276. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरिजन व आदिवासियों को बेकार व अनुपजाऊ भूमि आबंटित की गई इस पर चर्चा के लिये) ।

277. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के दो भाग कर दौसा उप जिला को जिला के रूप में मान्यता दिलाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री माधवसिंह (सोजत) :

278. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नये सैटलमेन्ट में जो राजस्व की बढ़ी हुई दरें कायम की उसे कम करने को तथा जमीन की किस्म की जगह बोई गई फसल पर लगान का रेट तय करने बाबत चर्चा के लिये) ।

279. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री माधवसिंह)

कम कर दिया जाय (तहसील से रेवेन्यू स्टाफ को चुने हुए प्रतिनिधि के अधीन रखने बाबत चर्चा के लिये)।

280. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व वसूली के एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च कम कराने की चर्चा के लिये)।

श्री रामनारायण (बिलाड़ा):

281. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लगान की असमानता के कारण काश्तकारों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

282. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा सरपंच की आज्ञाओं को न मानने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

283. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों की ज्यादतियों के कारण गरीब काश्तकार परेशान हो रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रतनाराम (रानीवाड़ा):

284. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल घोषित क्षेत्र से राजस्व वसूली स्थगित कराने बाबत चर्चा के लिये)।

285. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों का व्यवहार काश्तकारों के साथ अच्छा नहीं होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

श्री इन्दरसिंह (गुढ़ा):

286. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले की भू-प्रबन्ध अवधि पार होने एवं पुनः भू-प्रबन्ध किये जाने की चर्चा के लिये)।

287. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर वाटी तहसील की स्वीकृत रकम झुन्झुनू तहसील में व्यय किये जाने की चर्चा के लिये)।

श्री श्रवणलाल (हिण्डोन):

288. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आपातकाल में हुए अलॉटमेंन्ट में राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मनमानी पर चर्चा के लिये)।

289. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में आपातकाल में हुए अलॉटमेन्ट का कब्जा कराने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

290 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आपातकाल में हुए अलॉटमेन्ट की भूमि पर काश्तकारों की फसलों की रक्षा करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

(श्री श्रवणलाल)

291. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी कार्यों में आई हुई भूमि का मुआवजा देने एवं लगान माफ करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये) ।

292 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैटलमेन्ट विभाग में अमीनों की नियुक्तियों में एस० सी० व एस० टी० का कोटा पूरा नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

293. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैटलमेन्ट विभाग में हुए प्रमोशनों में एस० सी० व एस० टी० के व्यक्तियों को पदोन्नत नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री विजयसिंह नवेरा (बांदीकुई) :

294. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम स्तर पर पटवारियों द्वारा कृषकों को परेशान करने एवं व्यापक भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

295 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों में वितरित पास बुकें अपूर्ण होने एवं उसमें सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

296. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व वसूली के पूर्व कृषकों को मांग-पत्र देने एवं ब्याज प्रथा की रोकथाम के उपायों पर चर्चा के लिये) ।

297. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के राजस्व न्यायालयों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में किये जाने की चर्चा के लिये) ।

श्री गंगासहाय (कठूमर) :

298. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में अनुसूचित जाति के लोगों को अलाट की गई भूमि पर कब्जा न दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

299. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कठूमर सब-तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री हनवन्तसिंह (बाली) :

300. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नई सरकार की नीति गाँवों में जाकर राजस्व मुकदमें निपटाना कानूनी तौर से त्रुटिपूर्ण है इस पर चर्चा के लिये) ।

301. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग कानून में की गई अवाप्त जमीन का मुआवजा नहीं मिला जिससे होने वाली काश्तकारों को परेशानी पर चर्चा के लिये) ।

Page No 61

(61)

(श्री हनवन्तसिंह)

302. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुहरी सीलिंग कानून व्यवस्था से काश्तकारों को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये)।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) :

303. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सम्वत् 2003 से लगातार काश्त करते आ रहे शिकमी काश्तकारों को खातेदारी हक नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

304. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों के आमदरफ्त के आम रास्ते रेवेन्यू रिकार्ड में कटे हुए नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

305. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुए की नाल का पर्चा कृषक की खातेदारी में नहीं होने से कृषकों को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

306. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध मे चर्चा के लिये)।

307. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में खण्डेला को तहसील मुख्यालय बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

308. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बहुत पुराने शिकमी काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिलाने में सरकार की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

309. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर सीकर, झुंझुनू जिलों के किसानों से अपेक्षाकृत अधिक लगान वसूली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

310. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व अधिनियम को किसान हिताय बनाने में सरकार की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (नीम का थाना):

311. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन कुओं से सिंचाई स्वयं जमीन मालिक या खातेदार अपना कुआ बनाकर करता है उनसे चाही का लगान न लिया जावे, इस हेतु चर्चा के लिए)।

312. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहरों में छोटे प्लोटों एवं सहकारिता समितियों की जमीन जो राजस्व में दर्ज है, उनके परि-

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

वर्तन के बाबत उदार नीति बनाने की चर्चा के लिए)।

313. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक--राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मंडल की जयपुर में स्थाई बैंच कायम की जाय ताकि यहीं पर एडमीशन का काम भी लिया जा सके इस पर चर्चा के लिए)।

314. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक--राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सभी जगह राजस्थान में बीघा का केवल एक नाप ही रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

315. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक--राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलों के पुन: निर्माण हेतु चर्चा के लिए)।

316. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक--राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत अनाज गोडाउन्स के निर्माण के प्रति जमीन के मामले निपटाने में अत्यधिक उदासीनता बरतने के लिये चर्चा के लिए)।

श्री लालचन्द (भादरा):

317. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक--राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवर्ण जाति के व्यक्तियों के द्वारा हरिजनों की जमीनों को नाजायज तरीके से हड़पने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा लिए)।

श्री मोहनलाल शर्मा (डूंगरगढ़):

318. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक--राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हेतु चर्चा के लिए)।

श्री नूरा (मसूदा):

319. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक--राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू विभाग के किसानों की उत्पन्न समस्याओं को हल करने में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की असफलता पर चर्चा के लिए)।

320. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक--राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

321. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक--राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अमीनों व गिरदावरों की परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

322. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक--राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धारा 15-ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 से उत्पन्न कानूनी स्थिति पर चर्चा के लिये)।

323. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक--राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में दो सीलिंग कानूनों के प्रवृत्त होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

(श्री नूरा)

324. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दफा 83 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 के तहत राज्य सरकार के प्रदत अधिकार को बोर्ड आफ रेवेन्यू को हस्तांतरित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 8 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : जिन सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए और जिनकी सूची पृथक से दी गई है, वे इस चर्चा में भाग लेंगे। आज जो अन्य मांगें हैं, उनको भी पारित करना है और समय काफी कम है। मैं सभी सदस्यों, जिनको कि इस चर्चा में भाग लेना है, से अनुरोध करूंगा कि वे सक्षेप में अपनी बात कहें, विशेष तौर से श्री गिरधारीलाल भार्गव से अपेक्षा करूंगा कि वे यह प्रिसीडेन्ट पेश करें और कम बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव डिबेट को इनीशिएट करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशन पोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव काफी मय पूर्व दिया था। वह महत्वपूर्ण विषय पर था। सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर निवेदन करना चाहता हूं। जयपुर शहर में कृषि भूमि सोसाइटीज के मार्फत लोगों ने, उपाध्यक्ष महोदय, मकान बनाने के लिए जमीन ली है। वह जमीन इसलिए ली है कि नगर विकास न्यास और नगर परिषद लोगों को जमीन देने में असमर्थ रही हैं। सोसाइटी बनाकर एग्रीकल्चर लैंड मकान बनाने के लिए खरीद ली, और मकान बना लिए। आज भी यह मामला अधर-झूल में पड़ा है। लोग इस संशय में हैं कि उनके मकान रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस सम्बन्ध में सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो जयपुर शहर का मास्टर प्लान बना हुआ है, वह बड़ा डिफेक्टिव है। इसके लिए मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि मास्टर प्लान जनता के लिए है न कि जनता मास्टर प्लान के लिए। यह मास्टर प्लान जनता की सुविधा के अनुसार हो। कृषि भूमि पर मकान बना लिए गए हैं, उस भूमि को आबादी में दे दिया जाए और सोसाइटी की भूमि पर जिन लोगों ने मकान बनाए है, उनका नियमन होना जरूरी है। भूमि की पिछली सरकार ने कन्वर्शन रेट घोषित की थी वह कई स्थानों पर अधिक है। सड़क के एक ओर दस रुपया और दूसरी ओर तीस रुपया है। यह अन्याय है। मैं निवेदन करूंगा कि जो कन्वर्शन की रेट हैं, उनमें राज्य सरकार निश्चित तौर पर कमी करे। मेरा तो राज्य सरकार से यह भी निवेदन है कि कन्वर्शन की रेट जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने माफ कर दी है, उसी प्रकार जिन स्थानों की अभी तक कन्वर्शन रेट्स की घोषणा नहीं हुई है, उन स्थानों के लिए मैं घोषणा कराने के लिए जोर भी नहीं दूंगा। वह कन्वर्शन रेट माफ कर दी जानी चाहिए।

दूसरी बात यह कि मास्टर प्लान में अभी परिवर्तन हो जायगा तो लोग सरकार की मर्जी पर नही रहेंगे। लोग अपने नक्शे पेश करेंगे, मकान किस प्रकार से बनायें इस सम्बन्धी नगर परिषद

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

और नगर पालिका, विकास न्यास के नियमों का जो खुले रूप से उल्लंघन हो रहा है, उनको तो छोड़ दिया जाए और भविष्य में जो बनें उन पर यह लागू कर दें। जो मकान बन गये हैं, वे भी रेगुलेराइज किए जाने चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का परिवर्तन हो। एक ओर तो कन्वर्शन रेट लागू है, इसके साथ ही विकास शुल्क 27/—रुपये के हिसाब से ले रहे हैं। यह दुधारी मार है। कन्वर्शन रेट भी हो और विकास शुल्क भी लोग दें, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। मेरी राज्य सरकार से माग है कि नगर विकास न्यास और परिषद् की गलती के कारण लोगों ने जो मकान कृषि भूमि पर बना लिए हैं, वह भूमि उन्हीं को उपलब्ध होनी चाहिए। अब जनता पार्टी की सरकार है। जनता पार्टी ने यह घोषणा भी की है, लोगों को रहने के लिए मकान वह देगी। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि मास्टर प्लान में परिवर्तन हो और जहां पर मकान बन चुके हैं उसको आबादी में बतावें। कन्वर्शन रेट माफ हो और जो डवलपमेन्ट चार्जेज हैं, वह कम किए जाएं। जहां पर सोसाइटी ने सड़क बना दी है, नल लगा दिए हैं, बिजली लगा दी है, उनका विकास शुल्क माफ किया जाए और उस डवलपमेन्ट के कार्य को रेगुलेराइज कर दिया जाए। इस बात की भी सोसाइटी पर से पाबंदी हटा दी जाए कि विकास कार्य यू॰ आई॰ टी॰ ही करे। सोसाइटी यू॰ आई॰ टी॰ की मोहताज न रहे। नगर विकास न्यास की आज्ञा के अनुसार यदि सोसाइटी डवलपमेन्ट करना चाहती है तो सोसाइटी से पैसा न ले और वह अपने आप विकास कार्य करने के लिए स्वतन्त्र हो। इसके बाद राज्य सरकार उनके नक्शे पर ठप्पा लगा दे ताकि लाल फीताशाही की कार्यवाही में जो देरी होती है, मुसीबत होती है, वह न हो। सदस्यों का जो पैसा सोसाइटी के पास पड़ा हुआ है, सोसाइटी का कब्जा किया हुआ है, वे लोग भी अपना पैसा निकलवा लेंगे। इसके आधार पर विकास होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में एक बात और कहनी है। वह यह है कि वहां पर लोगों को बिजली का कनेक्शन तो मिल गया लेकिन वाटर पाइप लाइन नहीं मिला। उसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने नहीं दी है। पानी मनुष्य के लिये बहुत आवश्यक होता है इस लिये इस बारे में राज्य सरकार निश्चित रूप से निर्णय ले और सदन में इसके बारे में घोषणा करे।

इसके अलावा अर्बन सीलिंग एक्ट के बारे में मैं निवेदन करूं, सरकार इस प्रपोजल को खत्म करे। क्योंकि वीकर सैक्शन को ऊंचा उठाने के बारे में राज्य सरकार द्वारा कहा गया है तो लोग वीकर सैक्शन के नाम पर भूखण्ड अलॉट कराने की कोशिश करेंगे। इससे वीकर सैक्शन को लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि उन को मालूम नहीं है, उन्हें कानून का पता नहीं है। इसलिए राज्य सरकार यह प्रयत्न करे कि जिनकी जमीन सीलिंग में आ गई है, वे वीकर सैक्शन के लोगों को ही दें। अन्यथा उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए वह मिलेगा नहीं, वह उससे वंचित रह जाएंगे।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

यहां पर मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने गलत अलाटमेण्ट कर दिये हैं एग्रीकल्चर फार्म के नाम पर वह चाहे सुखाड़िया जी हों, चाहे बृजसुन्दर शर्मा हों, चाहे कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता हों। जब कानून यह था कि 12 मील परिधि में जमीन खरीद नहीं सकते हैं फिर 12 मील की परिधि में इन भू० पू० मन्त्रियों को भूमि कैसे मिली ? आप मेरे साथ चलें तो आप देख सकते हैं, उन लोगों ने भूमि अलाट करा रखी है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जनता सरकार ऐसे प्रभावशाली लोगों की भूमि को तुरन्त वापस लेकर गरीबों को दे तो सरकार एक शानदार काम करेगी।

इसके बाद मैं रेवेन्यू कैम्प के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री महोदय की यह घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण है सुन्दर घोषणा है। इसका पूरे देश में हर जगह स्वागत किया गया है। रेवेन्यू कैम्प लगा कर मुकदमें निबटाये हैं। गंगानगर में मुकदमे निबटाये हैं। ज्यों ही विधान सभा का सैशन समाप्त होगा विधायक महोदय भी वहां जायेंगे। यह महत्वपूर्ण योजना है जो मुख्य मन्त्री महोदय ने आरम्भ की है कि स्थान पर ही मुकदमे निपटायेंगे। मेरा निवेदन है कि नगर-विकास न्यास के हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं। उस विभाग में भी इसे लागू करना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो 20 सूत्री कार्यक्रम का स्वागत है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसके लिए तहसीलदार को अधिकार देना आवश्यक है। पटवारी हर जगह जा नहीं सकता है। एक-एक के पास तीन-तीन गांव है। ऊंट पर वह चला जाएगा। लेकिन इस काम को फलीभूत करने के लिए, गांव का रेवेन्यू वसूल करने के लिए अगर उनको जीप का साधन उपलब्ध करा देते हैं तो अच्छा रहेगा। 9-4-76 को यह अभियान चालू हुआ कि ऐसे जहां कहीं केस पेंडिंग पड़े है जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकनेर, अजमेर में 40 हजार केस पेंडिंग पड़े हैं। सीलिंग एक्ट के तहत जमीन वापस लेने के केस पेंडिंग पड़े हैं तथा जो एन० ओ० सी० देने वाला काम है, इस कारण विभाग को काफी कठिनाई होती है।

मैं एक मिनट में एक बात और कहना चाहूंगा। रेवेन्यू बेंच एक जयपुर में आती है, अलवर जाती है, जोधपुर में भी जाती है। यह नाम मात्र की बेंच है। हाई कोर्ट की बेंच जयपुर में कायम हुई तो लाभ हुआ। लेकिन रेवेन्यू बोर्ड की जो बेंच जयपुर आती है तो वह अपील की सुनवाई नहीं करेगी, निगरानी का मामला नहीं सुनेगी। उनके लिए अजमेर ही जाना होगा। अलवर, धौलपुर का व्यक्ति अजमेर जाएगा और वहीं वह अपील करेगा। रेवेन्यू बोर्ड निगरानी करेगा तो सारी फाइल वहां जायेगी। राज्य सरकार का जवाब आयेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तब तक वह अजमेर में ही रहेगा। इसलिए जयपुर में भी उसकी एक बेंच होनी चाहिए ताकि अपील भी की जा सके और निगरानी भी कराई जा सके। तभी जो ब्राच बनाई है, उसका लाभ होने वाला है वरना नहीं होने वाला है। आप हाई कोर्ट बेंच जयपुर लाये हैं, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन रेवेन्यू बेंच का भी स्थायी दफ्तर जयपुर में हो क्यों कि अजमेर तक पूरे राजस्थान के लोगों को जाने में कष्ट होता है। इस बारे में

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय अवश्य कुछ कहें मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किया था एग्रीकल्चर भूमि के कन्वेंर्शन के बारे में। आप उसके लिए डबल चार्ज ले रहे है। जयपुर शहर का मास्टर प्लान बना रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसके लिए दो शब्द निश्चित रूप से आपने भाषण में कहें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल वर्मा।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, नाम तो मेरा भी था।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती अरोड़ा का था अब रतनलालजी के बाद आपका नाम है।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरी बात को ध्यान से सुनें। किसानों की समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे सामने भी समस्या है। अधिक नहीं बोलना चाहिए।

श्री रतनलाल वर्मा: जमीन का मालिक अब कोई आदमी नहीं था।

श्री मूलचन्द डागा : क्या बोले।

श्री रतनलाल वर्मा : तब से किसानों का जमीन पर कब्जा ही है लेकिन आज भी वह जमीन का मालिक नहीं है। बादशाहों के जमाने में बादशाह जमीन का मालिक था। अंग्रेजों के जमाने में भी किसान जमीन का मालिक नहीं था। कांग्रेस के जमाने में भी वह जमीन का मालिक नहीं था। अब जनता पार्टी की सरकार के जमाने में भी वह जमीन का मालिक नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। जमीन के मामले में 1951-52 में सैटलमेंट हुआ वह अयोग्य लोगों ने किया। उनके पास में नाप आदि की कोई चीज नहीं थी। प्रमाण के लिये गवर्नमेण्ट का रिकार्ड देखा जा सकता है। जो भी जमीन काश्तकारों के पास थी उसमें से बहुत कम में काश्त हुई। उसका पटटा भी किसानों को मिलना बाकी रह गया।

किसान एक साल तिल बोता था, दूसरे साल ज्वार बोता था, उसके बाद तीन साल तक जमीन पड़त रहती थी। इससे घास भी ज्यादा होता था और उत्पादन भी ज्यादा होता था। उपाध्यक्ष महोदय, उसका सर्वे होकर जो नक्शे बने वह गलत बनाये गये, उसमें न तो तालाबों की मोरियां बनाई हैं, न मोटे-मोटे रास्ते बनाये गये, न खेतों के बीच के रास्ते उसमें दिखाये गये। आज इन सब बातों को लेकर, उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में झगड़े हो रहे हैं। असेम्बली में चालीस-बयालीस वकील हैं और, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी हैं, सभी जानते है कि अदालतों में आज हजारों मुकदमे जमीनों के बारे में चल रहे हैं, एक खेत से दूसरे खेत का रास्ता, एक नाली से दूसरे खेत की नाली पानी का आव इत्यादि कई प्रकार के झगड़े आज गांवों में ज्यादा चल रहे हैं सैटलमैंट विभाग ने गांवों को जी भर कर लूटा और गांवों के खेतों के नक्शे गलत बनाये। उपाध्यक्ष महोदय, जो नक्शे बनाये वे ही गलत नहीं थे, खसरा नम्बर जो था उसका गलत इन्द्राज किया गया, आज भी जो रिकार्ड

(श्री रतनलाल वर्मा)

है यह उससे साबित होता है और वहां पर कोई सुनता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो दूसरी समस्याएं हैं. उनको कृपया संक्षेप में कहिये।

श्री रतनलाल वर्मा : तो मैं यह निवेदन करूं कि अदालतों में हजारों झगड़े चल रहे हैं। मैंने यह क्वेश्चन भी किया था कि 1972 से 76 तक जमीनों के जितने झगड़े हुए उनकी जिम्मेदारी भूतपूर्व सरकार की है जिसने किसानों की हालत पर कोई विचार नहीं किया। आज हालत यह है कि किसान मरता है तो कोई आंसू बहाने वाला नहीं और एक करोड़पति सेठ का लड़का मर जाता है तो बहुत रोने वाले मिल जाते हैं। तीस साल की यही परम्परा रही है। कोई भी किसान एस. डी. ओ. के पास दरख्वास्त लेकर आता है तो उसकी कोई सुनता नहीं है, अगर किसी के पास सौ रुपये हों तो वह वकील कर लेता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि खसरा नम्बर गलत इन्द्राज किया गया और इससे गांवों में झगड़े हो गये। गांवों में वैमनस्य की भावना पैदा हो गई। माननीय सभापति महोदय, इसके लिए मैंने थोड़ा प्रयास किया। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया को हमने प्रतिवेदन दिया, किसानों को लेकर हमने धरणा दिया तब जा कर उन्होंने जांच करवाई। सन् 1968 के अन्दर वे स्वयं भिनाय आये, उनको उसका रिकार्ड दिखाया गया, जो सारा गलत था। इस पर उन्होंने एक कमेटी बनाई, चेयरमेन रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू सेक्रेटरी की और विशम्बर नाथ जी भार्गव, जो जिला प्रमुख थे, श्री बोर्दिया साहब, जो उस समय कलेक्टर थे-इन सबकी एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके दी, उसमें लिखा कि अजमेर जिले का सारा सैटलमेन्ट गलत हुआ है, नक्शों में गलत तरमीम की गई और खसरा नम्बर भी गलत इन्द्राज किये गये हैं। इसके साथ उन्होंने करेक्शन करने के भी आदेश दिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सन् 1970 में मसूदा में एक संगोष्ठी हुई उसमें भी इस पर विचार किया गया और सिफारिश की गई, एक विज्ञप्ति निकाली गई कि मौके की स्थिति के अनुसार नक्शे में तरमीम की जायं, जहां पर नाले हैं वहां नाले बनाये जाय, जहां रास्ते हैं वहां रास्ते दिखाये जाय, जहां नालियां बनी हुई हैं वहां नालियां होनी चाहिए, इस प्रकार से क्लियर आदेश कलेक्टर के यहां से निकाले गये लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मौके की स्थिति के अनुसार कोई तरमीम नहीं की गई और न नक्शे ही सही किये गये। उसमें यह भी था कि भूमि का बटवारा कर दिया जाय लेकिन नहीं किया गया....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कई लोगों के खाते नक्शे में एक ही हैं लेकिन मौके पर चार खाते हैं। इससे भाई-भाई में लड़ाई हुई और उनमें मनमुटाव पैदा हो गया। यहां तक कि एक भाई का मर्डर कर दिया और वह भी आज जेल में सड़ रहा है, इस तरह से उसका घर भी बरबाद हो गया। उस वक्त के शासन कर्ताओं ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने अपने घरों में ये लोग चांदी के कपों में चाय

(श्री रतनलाल वर्मा)

पीते हैं और सोने चांदी के थाली कटोरों में खाना खाते हैं, उन लोगों ने अपने ही घर बनाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की स्थिति है, मैंने 1 जनवरी से 25 जनवरी, 1973 तक जिलाधीश कार्यालय में धरना दिया। यह बात गवर्नमेन्ट के रिकार्ड में साफ मौजूद है कि नक्शों को करेक्ट किया जावे, खसरा नम्बर का सही इन्द्राज किया जाए, मेरे पास भी लिखा हुआ मौजूद है। यह तो कुछ किया नहीं और उल्टा लोगों को परेशान किया, मुझे भी जेल में डाल दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आज जब यह स्थिति है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से और माननीय राजस्व मंत्रीजी से कि हमारे अजमेर जिले का रिकार्ड अस्तव्यस्त हो रहा है, उसको सही करवाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे किसान लुट चुके हैं, मुख्य मन्त्रीजी को और राजस्व मन्त्रीजी को प्रार्थना-पत्र भी दिये गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जब से असेम्बली चल रही है तब से मैं निवेदन कर रहा हूं। यह विज्ञप्ति भी प्रसारित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विज्ञप्ति को नहीं पढ़े।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन इस विज्ञप्ति से किसानों का कोई हित नहीं हो रहा है। जब तक नक्शों में तरमीम हीं होगी तब तक बटवारा नहीं होगा। 1971 की विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि खातेदार की जमीन में अगर इण्डस्ट्री लगी हुई है तो उसको परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा हो तो वह नहीं हो सकता, उसके लिए मुकदमे चल रहे हैं। उन पर फैसला नहीं होगा तो किस्म परिवर्तन नहीं होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य, मैं विवश हूं।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक कटौती प्रस्ताव पर कम से कम एक मिनट तो दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत से अवसर आयेंगे समस्याओं को रखने के।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आज अमीन बहुत मारे लिये गये हैं, मिस्टर जैन भू-प्रबन्धक अधिकारी ने साढ़े चार सौ अमीनों का इम्तहान लिया उसमें ऐसे सख्त पर्चे दिये जो बी० ए० पास भी नहीं कर सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आपको सन्तोष नहीं होगा, मुझे सन्तुष्ट होने दीजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : लीजिये, एक मिनट दे दिया।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करू कि आदिवासियों के क्षेत्रों के

(श्री रतन लाल वर्मा)

लिए 18 लाख रुपये सर्वे कराने के लिए और नक्शे बनाने के लिए दिये गये। स्टेट गवर्नमेंट ने 18 लाख रुपये के आदिवासियों के लिये प्लाट्स बनवाये। वह इस तरह से बनवाये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भू-प्रबन्धक अधिकारी ने 4500 अमीनों के इन्टरव्यू लिये उनके अन्दर से सिर्फ उन 250 अमीनों को सलेक्ट किया जिन्होंने चापलूसी की आज उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है जब कि इनको 450 लेने हैं। मेरे पास प्रमाण है...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाइए, आपका एक मिनट हो चुका।

श्री ओंकारलाल चौहान ! :

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने केवल प्रायोरिटी के आधार पर उनके लिए कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : जब आपने उदारता बरती तो पूरी बरतें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी आज्ञा हो तो मैं इनके बाद में बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकारलाल चौहान !

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं राजस्व के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। पिछली सरकार ने गत वर्षों में जो अलाटमेंट्स किए उनके सम्बन्ध में मैं एक दो सुझाव पेश करना चाहता हूं सन् 1975-76 और 1976-77 में जितने भी अलाटमेंट्स हुए हैं, उनमें कई जगह ऐसी शिकायतें मिली कि चरागाह की भूमि थी, श्मशान की भूमि थी, जिनसे रास्ते बंद हो गए, ऐसे अलाटमेंट्स किये गये। कई जगह तो ऐसे लोगों को अलाटमेंट हुए जो अनुसूचित जाति व जन-जाति की परिभाषा में नहीं आते थे और भूमिहीन किसान नहीं थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के जितने केसेज हुए हैं, उन सबकी इन्क्वायरी होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उन गलत अलाटमेंट्स को कैंसिल किया जाना चाहिए। कई जगह ऐसा देखा गया है कि जो लोग सवर्ण हैं, सक्षम हैं, वे हरिजनों को जमीन पर कब्जा करने नहीं देते। अगर कब्जा होता है तो फसल काटने नहीं देते। इसलिए एक ऐसी मशीनरी इवाल्व की जानी चाहिए, जो इन सब बातों को देखे। उसमें जिला एडमिनिस्ट्रेशन को कान्फीडेंस में लिया जाना चाहिए, कलेक्टर्स स्वयं देखे। जहां भी ज्यादतियां हुई हैं तो उनके साथ न्याय करना चाहिए। अपील के केसेज-3-3, 4-4 साल तक चलते रहते हैं। उस बीच में जो अनुसूचित जाति व जन-जाति तथा वीकर सैक्शन्स के लोगों को जमीन नहीं मिल पाती और 4-5 साल तक वे काबिज नहीं हो पाते। उनका तो नुकसान होता ही है साथ ही जो प्रोडक्शन होना चाहिये वह नहीं हो पाता। इसके अलावा सरकारी मशीनरी का डीसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। एस डी० ओज. होते हैं ए० डी० एम० होते हैं उनकी जिम्मेदारी को डीसेंट्रलाइज करके अलग-अलग जगह ऐसे केसेज को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए ताकि लोगों को सस्ता न्याय मिल सके।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

बहुत से केसेज अभी म्यूटेशन के पड़े हुए हैं, और जांच की जाए तो काफी केसेज हैं जो म्यूटेशन के अन्तर्गत दर्ज करने चाहिए। पटवारी एक अहमियत रखता है उस पर निगाह रखनी चाहिए। जिला स्तर पर कोई इन्सपेक्शन नहीं होता। इन्सपेक्शन के ऐसे नियम बनने चाहिए कि जिलाधीश और ए० डी० एम० को जल्दी से जल्दी अपनी तहसीलों का इन्सपेक्शन करना चाहिए ताकि पटवारियों और अमीनों में भय रहे। अभी भी राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर एस० डी० ओ० मुख्यालय नहीं है, कोर्ट्स अलग-अलग हैं, तारीखें मिलती रहती हैं। भवानी मंडी एक बहुत बड़ी मंडी है, वह औद्योगिक टाउन बनता जा रहा है लेकिन आज भी वहां एस० डी० ओ० का मुख्यालय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका इस पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है, बिराजिए।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं समाप्त कर रहा हूं। विरोधी दल के नेता ने इस बात को स्वीकार किया था कि भवानी मंडी में रेवेन्यू कोर्ट होना चाहिए और एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर भी होना चाहिए लेकिन वित्तीय साधनों के अभाव में वह उस समय नहीं कर सकें। मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उस तरफ ध्यान दें। अंत में निवेदन करूंगा कि ..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए।

श्री ओंकारलाल चौहान : रेवेन्यू बोर्ड की ब्रांच जयपुर में होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कटौती प्रस्ताव नहीं है, केवल सैटलमेंट विभाग के संबंध में है।

श्री ओंकारलाल चौहान : इस तरह दो, तीन मिनट में तो अपनी बात कहना मुश्किल होता है। फिर तो हमारा आना बेकार है। मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। रेवेन्यू बोर्ड की ब्रांच जयपुर में होनी चाहिए क्योंकि लोगों को परेशानी होती है।

श्री उपाध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव पर ही बोलें और किसी पाइन्ट पर नहीं।

श्री ओंकारलाल चौहान : तो कृपया रेवेन्यू बोर्ड की ब्रांच जयपुर में कायम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान छोटे-छोटे रजवाड़ों से मिलाकर बना है। भूतपूर्व राजा महाराजाओं में से किन्हीं की छोटी स्टेट थी, किन्हीं की बड़ी स्टेट थी। मिसाल के तौर पर बूंदी, झालावाड़, सिरोही, डूंगरपुर आदि स्टेट्स बहुत छोटी थीं लेकिन केंद्रीय सरकार ने उनको जिला मुख्यालय मान लिया। कुछ स्टेट्स बहुत बड़ी थीं जैसे जयपुर, उदयपुर इनकी बहुत लम्बी-चौड़ी सीमायें हैं। आबादी के लिहाज से तो जयपुर जिला दुनिया के जिलों में दूसरे नम्बर पर है, पहले नम्बर पर चौबीस परगना जिला है, उसके बाद संसार के जिलों में जयपुर आकार व जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर आता है। जयपुर जिले की विशालता के कारण ही जयपुर जिले में 15 अधिकारी ऐसे हैं जिनकी संख्या दो-दो है। मिसाल के तौर पर शिक्षा अधिकारी जयपुर जिले के लिए दो हैं एक ईस्ट के लिए दूसरा वैस्ट के लिए। इसी तरह से कृषि अधिकारी, सहायक

(श्री मूलचन्द सामरिया)

रजिस्ट्रार आदि फर्स्ट व संकिण्ड कहलाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 15 अधिकारी ऐसे हैं जिनमें से कुछ जयपुर जिले के एक भाग के लिए काम करते हैं और कुछ दूसरे भाग के लिए, जो दौसा सब-डिविजन और बाकी तहसीलों के लिए लगाए जाते हैं छोटे जिलों में लोगों का जिला प्रशासन से सीधा सम्पर्क रह सकता है, वे अपनी समस्याओं को आसानी से इन तक पहुंचा सकते हैं और जिला प्रशासन भी इफेक्टिव असरदार तरीके से कार्यवाही कर सकता है, जब कि बड़े जिलों में उतनी असरदार कार्यवाही के लिए समय नहीं मिल सकता है। दूरी की वजह से समय नहीं मिल सकता है, काम की अधिकता की वजह से प्रशासन के लोगों को भी काम निपटाने के लिए उतना समय नहीं मिलता जितना कि छोटे जिलों के लोगों को मिल जाता हैं। इसलिए जयपुर जिले को निश्चित तौर से दो हिस्सों में बांटा जाय। सब-डिविजन दौसा अपने आप में राजस्थान के बहुत जिलों से बड़ा है। उसमें पड़ने वाली तहसीलों की आबादी प्रश्नों के द्वारा मैंने पूछी है, आबादी के लिहाज से कई जिलों से वह बड़ा है।

पशु संख्या भी कई जिलों से ज्यादा है। स्कूल व कॉलिज में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बहुत जिलों से ज्यादा है। आवागमन के साधन अच्छे हैं, जिला मुख्यालय तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, दौसा ऐसा स्थान है जो रेल व रोड से जुड़ा है। एक तरफ सवाई माधोपुर जिले से मिला हुआ है, दूसरी तरफ अलवर जिले से मिला हुआ है। अलवर से आने वाला आदमी मामूली शिकायत के लिए जयपुर आता है तो वह खर्चीली व्यवस्था होती है। मैं आशा करता हूं कि हमारी जनता सरकार गांधीजी के रास्ते पर चलकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए काम करना चाहेगी। मैं निश्चित तौर पर यह मांग करना चाहता हूं कि दौसा को आप जिला मुख्यालय बनाइये। जयपुर जिला बहुत बड़ा जिला है आबादी की दृष्टि से, सीमा की दृष्टि से भी बहुत बड़ा जिला है। दौसा से जिला मुख्यालय दूर होने के कारण लोग आकर अपने दुःख दर्द नहीं कह सकते हैं। इसलिये जनता के दुःख दर्द को दूर किया जा सके, इसके लिये दौसा को जिला मुख्यालय बनाइये। अगर आप अच्छे काम करना चाहते हैं, जैसी कि आपने घोषणा की है कि हम रचनात्मक कार्य करेंगे तो आपको भूतपूर्व कांग्रेस राज्य की प्रक्रिया को चेन्ज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि दौसा के लोगों के मन में भारी रोष है और दौसा सब-डिविजन के लोगों को इसके लिये आन्दोलन का रुख अपनाना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी दौसा को जिला मुख्यालय बनावें। अगर इसमें आपने ज्यादा देर की तो मैं निश्चित रूप से यह कह देना चाहता हूं कि दौसा के लोग इसके लिये भारी आन्दोलन करेंगे और फिर बाद में आपको उनकी यह मांग माननी पड़ेगी। इसलिये आप समय रहते इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें। जरा आप ठन्डे दिल से सोचें, उपाध्यक्ष महोदय, अकेले दौसा सब-डिविजन के 19 एम० एल० ए० हैं। दूसरे जिलों के आपको इतने एम०एल० ए० नहीं मिलेंगे। आपको राजस्थान के कई मुख्यालय के अन्तर्गत इतनी कोन्स्टी-

(श्री मूलचन्द सामरिया)

ट्यूएंसीज नहीं मिलेंगी। आज दौसा सब-डिवीजन के लोगों को इतनी दूर से सरकारी काम से जयपुर आने में परेशानी होती है दूसरी तरफ राज्य सरकार ने दौसा के सब-डिवीजन के कई अधिकारियों का हैडक्वार्टर जयपुर में कर रखा है, उनको अपने कार्य के लिये दौसा के गांवों में जाने में असुविधा होती है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप दोनों तरफ की दुविधा को मिटाने के लिये दौसा को जिला मुख्यालय बनाने की व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक मिनट और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। श्री अजीतसिंह !

श्री अजीतसिंह (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने भू-राजस्व के अन्दर जो ढाई एकड़ पर लगान की छूट दी है उसके बारे में मैंने एक कटौती प्रस्ताव दिया है। बजट भाषण के अन्दर पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया कि वह कहां-कहां पर किस प्रकार से लागू होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर टौंक में लोग बहुत ही गरीब हैं। वह लोग नदी की बैल्ट पर खरबूजों की खेती करते हैं, तालाबों की जमीन पर खेती करते हैं। उन लोगों को जमीन वहां पर पांच साल के लिए अलॉट की जाती है। वह सभी लोग, जो वहां पर खेती करते हैं, इस ढाई एकड़ जमीन में कवर हो गये हैं। मैं यह बात पूछना चाहूंगा कि ऐसे गरीब लोगों को आपने कवर किया है या नहीं, इसके लिए आप यहां पर स्पष्ट घोषणा कर दें। अगर आपने उनको कवर किया है तो उन्हें निश्चित रूप से राहत मिलेगी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि टौंक में जो लोग नदी की बैल्ट में खेती कर रहे हैं उन्हें ढाई एकड़ वाली छूट में शामिल करने वाले हैं या नहीं ? उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों के लिए यह एक बहुत ही चिन्ता का विषय बन गया है। इसके अलावा मेरा निवेदन है, जैसा कि यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें और अधिक छूट दी जाय जिससे कि गरीब काश्तकारों को राहत मिले। वैसे भी, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अन्त्योदय योजना के द्वारा गरीब को ऊपर उठाने के लिये विचार कर रही है। तो मेरा निवेदन है कि हमारे यहां जो काश्तकार गरीब हैं बेचारों को अधिक से अधिक छूट देकर लाभ पहुंचाया जाना चाहिये। उन लोगों को लगान देने में बहुत भारी असुविधा होती है और आपका भी इन छोटी-छोटी जोतों पर लगान की वसूली करने में ज्यादा खर्च होता है। अगर आप लेण्ड रेवेन्यू में अधिक छूट देने की कृपा करेंगे तो गरीब काश्तकारों को काफी राहत मिलेगी और आपके अधिकारियों की परेशानी में भी कमी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैंने कटौती प्रस्ताव जो दिया है वह राजस्व रिकार्ड में सुधार के बारे में दिया है। मेरा निवेदन यह है कि जब इमर्जेन्सी लगी हुई थी तब बहुत से लोगों को गरीब व कमजोर वर्ग के नाम पर अन्धाधुन्ध अलाटमेन्ट कर दिये गये थे। इसमें काफी गड़बड़ियां हो गयीं और एक की जमीन का दूसरे को अलाटमेन्ट हो

(श्री अजीतसिंह)

गया जिससे काफी केसेज बन गये। लोग स्टे ले आये। आज स्थिति यह है कि गरीब लोग बहुत भारी परेशान हैं क्योंकि रेवेन्यू रिकार्ड में काफी गड़बड़ियां हैं, जमीन दर्ज नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अमीनों के यहां जो रेवेन्यू रिकार्ड है अभी तक वह ठीक नहीं इसलिए यह समस्या वहां पर बनी हुई है। जब तक रेवेन्यू रिकार्ड, जो अमीनों के पास है, ठीक नहीं होंगे तब तक काश्तकारों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला इसलिए निवेदन है कि आप रेवेन्यू रिकार्ड को जल्दी से जल्दी दुरुस्त कराने की कृपा करें। इसके अलावा सिवाय चक जमीन के और चरागाह जमीन वगैरह के अन्दर अलाटमेन्ट हो गये हैं उन्हें रेवेन्यू रिकार्ड में तुरन्त दर्ज कराने की व्यवस्था करावें। अभी आप अभियान चलाने जा रहे हैं लेकिन जब तक आपके रेवेन्यू रिकार्ड में दुरुस्ती नहीं होगी तब तक आपका यह अभियान किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक कटमोशन मेरा और है वह गिरदावरों के सम्बन्ध में है। मैं आपसे, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि अब गिरदावरों के पास कोई विशेष काम नहीं है न उनका कोई आफिस है, न ही उनके बैठने को टेबल कुर्सी है, न जाजम है। उनकी हालत एक चपरासी की तरह है। इसलिए मेरा रेवेन्यू मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि आप उनको पूरा काम दीजिये और रहने को मकान और बैठने को ऑफिस और टेबल कुर्सी वगैरह दीजिये ताकि वह लोग काम करें अन्यथा तो वह डाक इधर की उधर करते रहते हैं। आप उनको स्पेसिफिक ड्यूटी दीजिये अन्यथा आप इस पोस्ट को को ही हटाइये ताकि राजस्व कोष में बचत हो। गिरदावरों की ड्यूटीज ठीक तौर से निश्चित करके उनको पूरा आफिस वगैरह दीजिये ताकि वह लोग सरकार के लिए उपयोगी सिद्ध हों!

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम करणसिंह !

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां पर राजस्व मन्त्रीजी जितने भले और सीधे हैं उतने ही इनके नीचे काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी तीरन्दाज हैं। अगर मन्त्री महोदय इन तीरन्दाजों से बच कर निकल गये तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वही हालत हो जायेगी जैसी कि आज तक होती आई है। अगर, मन्त्रीजी, आप इनके तीरों से बच निकले तो राजस्थान के अन्दर बहुत भारी मात्रा में काम हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर गड़बड़ी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में अगर कोई करता है तो वह है पटवारी। लेकिन यों देखें तो आपके राजस्व विभाग में नीचे से लेकर, यानि पटवारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से निवेदन कर दूं कि जब कभी तहसीलों में रिश्वत ली जाती है तो यह कहा जाता है यह आपके पुष्प चढ़ाये जाते हैं। यह पुष्प बड़े से बड़े अधिकारी और मन्त्रीजी तक के गुलदस्ते तक अगर पहुंचता है तो फिर इस भ्रष्टाचार का कोई अन्त नहीं है। आज यह कहा जाता है कि पटवारी से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर तक इस भ्रष्टाचार के कीचड़ में पड़े हुए हैं। अगर आपने भी इस भ्रष्टाचार को नहीं मिटाया तो आप भी इस कीचड़ में फंस जायेंगे।

(श्री रामकरणसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे मण्डार गांव के सरपंच ने म्यूटेशन सम्बन्धी एक फाइल, जो कि आपके तहसील रजिस्टर में थी, वहां से चुरा ली। उसके बाद में उस म्यूटेशन रजिस्टर में फर्जी अपना और अपने लोगों के नाम उस सरपंच ने पटवारी के फर्जी दस्तखत करके फर्जी नक्शा बनाया, पटवारी के फर्जी दस्तखत करके उसने म्यूटेशन कर लिया। उसकी रिपोर्ट हुई और उसके बाद उस सारे मामले की छानबीन हुई। उपाध्यक्ष महोदय, सरपंच ने तहसील के अन्दर रजिस्टर चुराया, चोरी साबित हो गयी, कलेक्टर साहब को और सभी बड़े बड़े संबंधित अधिकारियों को पता लग गया, उनके ध्यान में आ गया पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आज तक इस चोरी के केस की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करायी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस केस पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करावें। वैसे तो हमारे मुख्य मन्त्री जी ने यह घोषणा की कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में सख्त एक्शन लूंगा पर अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस सरपंच के खिलाफ में निश्चित रूप से कार्यवाही करें मैं यहां पर यह भी आगाह करना चाहता हूं कि आज वह सरपंच किसी तरह बचना चाहता है। वहां पर बोली लग रही है। लोग कहते हैं जो बड़े सो पावे। उसने कहा है कि मेरा कुछ भी बाल बांका नहीं हो सकता है। कोटपूतली में मन्डार का सरपंच आप इस भ्रष्टाचार की बोली 'जो बड़े सो पावे' को बन्द करायें और दोषी व्यक्ति के खिलाफ में तुरन्त कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर बन्दोबस्त का तो कमाल ही हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक तरफ तो अति वृष्टि के कारण और बाढ़ के कारण हालत खराब हो गयी है दूसरी तरफ बन्दोबस्त हुए एक साल हो गया है लेकिन अमीनों ने पर्चा तक नहीं दिया। सौदा होता है। कोटपूतली के लिये 20 तारीख दी गयी, लेकिन नहीं दिये गये। यह कहा जाता है कि आने-जाने में 20 रुपये खर्च होते हैं तो कहते हैं पचास रुपये खर्च होंगे। हजारों रुपये खर्च होंगे, तारीख देते जावेंगे। इसलिये पचास रुपये हम को दे दो। 30 हजार का सौदा हुआ है, यह मैं जानकारी दे रहा हूं। जिन्होंने सौदा किया है 30-30 हजार जिन्होंने दिये हैं उनको मैं सामने पेश करने के लिये तैयार हूं। यदि झूठ है तो मैं सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। यदि मैं सच हूं तो आप उन कमचारियों और अधिकारियों को नौकरी से निकालिये। लेकिन आप भले आदमी हैं, आप कुछ नहीं करेंगे। यही नहीं उन भ्रष्टाचारियों के कई काले कारनामे मैं आपको बता सकता हूं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय की घंटी का मुझे डर है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : वह बज रही है।

श्री रामकरणसिंह : कोटपूतली तहसील में सबसे ज्यादा लगान है। गरीब गरीब होता जा रहा है मालदार मालदार होता जा रहा है। टैक्स के बोझ से जो दबे हुए हैं

(श्री रामकरणसिंह)

आप उन पर और ज्यादा लाद रहे हैं। दूसरे टैक्सों के मुकाबले में आप लगान को भी कम करें।

राजस्व के मामले निपटाने के सम्बन्ध में दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं बहुत हद तक उनसे सहमत हूं। कई जगह जिला मुख्यालय दूर हैं। आप कोटपूतली के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उधर बहरोड़ है और उधर बानसूर, थानागाजी। आने जाने के साधन बहुत हैं। वहां जाकर तहसीलों के मामले निपटाये जायं तो आपकी जो पोलिसी है कि जनता को सस्ता न्याय देंगे यह उसके अनुकूल होगा।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कुछ अलाटमेंट में गलतियां हो रही हैं। 1962 से प्रस्तावित गोचर भूमि के सम्बन्ध में यहां से जवाब नहीं गया, आपातकाल में वह जमीन हरिजनों को नहीं सवर्णों को अलाट कर दी गयी। मेरा निवेदन है कि उसको कैंसिल करें। वह सौदेबाजी करके अलाट कर दी गयी। 1962 में गोचर भूमि प्रस्तावित की थी लेकिन वह मामला यों का यों रखा रहा चाहे पोलिटिकल प्रेशर के कारण समझिये। ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय इन पर गम्भीरता से सोचें।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्व विभाग के सम्बन्ध में 13 कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनके सम्बन्ध में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

आपातकाल में कुछ भूमि सुधारों के सम्बन्ध में प्रगतिशील कदम उठाये गये। उन प्रगतिशील कदमों के अन्दर विशेष तौर से जो सीलिंग के अन्तर्गत प्राप्त हुई जमीन है उसमें जो इवेजन फिक्टिशियस ट्रान्सफर्स से किये गये हैं उनको रिओपन और रिव्यू करने का प्रोविजन था। सिवाणा तहसील में उन गांवों का जिक्र करना चाहता हूं जहां पर जागीरदारों के पास सीलिंग से अधिक जमीन थी लेकिन उनका वेनामी ट्रान्जेक्शन करवा लिया गया। जालोर डिस्ट्रिक्ट में भी केसेज को रिओपन करके उस जमीन का भूमिहीनों को मालिक बनाया जाना चाहिये। सिवाणा तहसील में राठी में गुलाबसिंहजी जागीरदार हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, गांवों के नाम बता देता हूं। राखी, डाबली, समदड़ी, बामसीन, कोटड़ी, मोकलसर। जालोर में आहोर तहसील के जो गांव हैं उनके नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वे हैं : भवरानी, सराणा, सामुजा, भैंसवाड़ा, चांदराई, जोगणी, नीबला, भाद्राजून, सेलड़ी, मालगढ़, अगवटी देबावास, रोडला, वेदाना। इन गांवों के जागीरदारों के बारे में कहना चाहता हूं कि जिन-जिन के पास में सीलिंग से अधिक जमीन थी और जिन्होंने बेनामी ट्रान्जेक्शन्स, फिक्टिशियस ट्रान्सफर्स सीलिंग से अधिक जमीन के किये हैं, उनको रिओपन करके वापस भूमि प्राप्त करके भूमिहीनों को वह भूमि दीजिये, गरीब आदमी को भूमि दीजिये। अन्त्योदय की योजना बना रहे हैं इससे गरीब आदमियों को जमीन मिलेगी अन्यथा किसी प्रकार नहीं मिलेगी। यह भी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्रश्न सामने आवेगा। इसको हल करने के लिये यह सुझाव आपके सामने रखा है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि लैंड जो सीलिंग से प्राप्त करके अलाट की गयी है, उसका पजेशन लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है या जागीरदारों के द्वारा उनको हटा दिया गया है। उनके गांवों के नाम बताना चाहता हूं। वे हैं: कंवला, चूंडा, मालगढ़, नीबला, भवरानी, देबावास, तखाड़ा। ये गांव भी जालौर डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही करने के लिये कदम उठाने चाहिये।

तीसरा कटौती प्रस्ताव मैंने यह रखा है कि बाड़मेर जिले में ऐसे गांव हैं जो 25 वर्ग मील से भी अधिक क्षेत्र में हैं। ऐसे गांवों की मैंने प्रश्न के द्वारा भी सूचना मांगी थी। ऐसे 90 गांव हैं जो 25 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में हैं। मैं चाहता हूं कि उन गांवों का विभाजन होना चाहिये। इसका तात्पर्य यह है कि बिना विभाजन के उनका विकास नहीं हो सकता है। एक गांव का सौ वर्ग मील क्षेत्र है। ऐसे गांव में पंचायत बनायें तो एक बनेगी, दो बन नहीं सकतीं। एक स्कूल खोलेंगे। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि एक स्कूल खोल दिया तो दूसरा कैसे वहां खोलें। ग्रामीण क्षेत्रीय योजना पानी के लिये बनायी तो प्रश्न यह आ जाता है कि गांव में एक पोइन्ट पर पानी पहुंच गया। जब कि पानी के लिये 10-10 मील तक जाना पड़ता है। इसीलिये विभाजन के लिये मैंने जोर दिया है। पहले भी मैंने प्रश्न उठाया था उसके उत्तर में यह बताया गया कि गौर करके ऐसे गांवों का विभाजन करेंगे। मेरा निवेदन है कि ऐसे गांवों का विभाजन नहीं करेंगे तो विकास का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। अन्त्योदय की योजना है, उसमें हर गांव से 5 गरीब आदमी लेना चाहते हैं। इसका मतलब है कि 100 वर्ग मील में से पांच आदमी लेंगे। इस प्रकार बड़े गांवों के लोगों का बड़ा नुकसान होगा। इसलिये उनके विभाजन के लिये कदम उठाने चाहिये। बाड़मेर में विस्तृत गांव हैं उनका विभाजन करके गरीबों को लाभ पहुंचाना चाहिये।

अतिक्रमण के सेक्शन 91 के मामले हैं जिनका रेगुलेराइजेशन करना है। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 2500 मामले हैं परन्तु एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलायी नहीं जाती। मैं निवेदन करूंगा कि ये जो अतिक्रमण के 2500 मामले हैं इनका रेगुलेराइजेशन करने के लिये कलेक्टर को इन्स्ट्रक्शन्स दे दीजिये वरना पैनल्टी देनी पड़ती है, जुर्माना देना पड़ता है। ये मामले रेगुलेराइज हो जायं तो अच्छा है।

चरागाहों के मामले में क्या है कि चरागाहों की जमीन पर बहुत अतिक्रमण किये जाते हैं। बहुत से अतिक्रमण के मामले हैं, परन्तु उनकी पैरवी नहीं हो पाती है। पंचायतें पैरवी नहीं कर पाती हैं। पंचायतों को अधिकार भी है, लेकिन पंचायतें इसके बारे में कार्यवाही नहीं कर सकें तो गवर्नमेंन्ट को इस संबंध में कार्यवाही करके जिन लोगों ने अतिक्रमण किये हैं चरागाह की जमीन पर उन लोगों से अतिक्रमण की जमीन निकलवा कर चरागाह स्थापित करने चाहिए।

अलाटमेन्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में अभी भी बहुत सी जमीन ऐसी है कि जो चौहटन की तहसील में

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

है, वह अलाट नहीं की गई और अलाटमेन्ट रुका हुआ है। यह मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि अलाटमेन्ट की कार्यवाही रुकी हुई है और इसलिए रुकी हुई है कि डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड और डी० पी० ए० पी० के कार्यक्रम के लिए जमीन की आवश्यकता हो सकती है तो डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड और डी० पी० ए० पी० के कार्यक्रम के लिए जितनी जमीन आवश्यक है उतनी रुकवा दी जाये और बाकी बची जमीन है उसका अलाटमेन्ट करना चाहिए। अगर अलाट नहीं करेंगे और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में अलाटमेन्ट ही बन्द हो जायेगा तो जो अन्त्योदय की योजना है वह कैसे सफलीभूत होगी? और हम जायेंगे तो कैसे अलाटमेन्ट कर सकेंगे अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को? इसलिए हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जो जमीनों का अलाटमेन्ट रुका हुआ है वह शुरू कर देना चाहिए ताकि अलाटमेन्ट से गरीब आदमियों को जमीन मिल सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पास-बुक के वितरण के बारे में भी सवाल है। जो पास-बुकें वितरित की गयी हैं मैं जानना चाहता हूं कि कानूनन इनकी वेल्यू क्या है? आज आपने पास-बुकें तो वितरित कर दीं लेकिन कोई भी उनको मान्यता नहीं देता। उनकी कोई कानूनी वेल्यू नहीं है। तो जब कानूनन वेल्यू नहीं है तो मेरा निवेदन है कि आप कोई भी लॉ बनाकर, जिस लॉ के कानूनी अधिकार बनते हैं या कोई राइट्स बनते हैं या लॉ में अमेन्डमेन्ट करके उसकी कानूनी वेल्यू हो इस प्रकार की व्यवस्था करें। पास-बुकें वितरण हो रही हैं उनमें नक्शे नत्थी नहीं हुए हैं और जो डिटेल दी जानी चाहिए वह नहीं दी जाती हैं। इसलिए पास-बुकों में भी सम्पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए। इसके बारे में पूरा जिक्र होना चाहिए।

नामांतरण के मामले बहुत अरसे तक पेन्डिंग रहते हैं इन मामलों में मेरा निवेदन है कि जो पटवारी और रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स हैं उनको इन्स्ट्रक्शन्स हैं 20 दिन रखने के और उसके बाद प्रस्तुत करने के जो इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन का पालन नहीं करे उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि नामांतरण के मामले में पटवारी बिना रिश्वत लिये रहता ही नहीं है और वह इसलिए नहीं रहता कि वह उसमें विलम्ब करता है। तो इस संबंध में 2 अक्टूबर से केम्पेन कर रहे हैं तो जितने भी नामांतरण के मामले हैं वह सब सुलझा देने चाहिए ताकि इल्लीगल रेटीफिकेशन को प्रोत्साहन नहीं मिले।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई!

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय राजस्व मंत्रीजी को शायद पता होगा कि रेवेन्यू लाज को अप-टू-डेट बनाने के लिए राजस्थान लाज कमिशन का गठन किया गया था और उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष रखी गयी। परन्तु उस रेवेन्यू लाज कमीशन की रिपोर्ट का इम्पलीमेन्टेशन आज दिन तक नहीं हुआ। उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान टेनेन्सी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत नये कानून बनने चाहिए थे, उन कानूनों का ड्राफ्टिंग हो गया और सलेक्ट कमेटी भी बनी थी। उसकी रिपोर्ट आ गई लेकिन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कोई कोडीफाइड टिनेन्सी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट नहीं बना। पूरा टिनेन्सी एक्ट बनना चाहिए लेकिन वह नहीं बना। मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि नया रेवेन्यू लाज कमिशन बैठाने की आवश्यकता यदि वह महसूस करें तो दुबारा आज की परिस्थितियों को देखते हुए, रेवेन्यू लाज की रिपोर्ट देखते हुए लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और टिनेन्सी एक्ट दोनों का नये सिरे से नया कन्सोलिडेटेड कानून सदन में प्रस्तुत करें। भिन्न-भिन्न समय पर इनमें संशोधन हुए हैं और अभी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 (ए) में काश्त करने वाले काश्तकारों के हक वापस ले लिए गए और उनको गैर खातेदार बनाया गया। उनका भी संघर्ष गंगानगर में हुआ और अब भी होगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आम किसान सभा में आश्वासन दिया है कि हम उनको खातेदारी हक देंगे। परन्तु जब तक राज्य सरकार उसको कानूनी रूप नहीं दे, 15 (ए) का प्रावधान है या तो इस (ए) को उड़ा दिया जाय या फिर आपको नया टिनेन्सी एक्ट बनाना पड़ेगा। जो टिनेन्सी एक्ट की डेफीनेशन होनी चाहिए उस बारे में जो भी विचारधारा आये उसके अनुसार संशोधन करने की आवश्यकता है। तो, उपाध्यक्ष जी, इस बारे में नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। नयी सरकार आई है और पहली सरकार के रेवेन्यू लाज कमिशन की पूरी रिपोर्ट है और सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी है उसको आपको दुबारा सदन में रखना चाहिए था। अब क्योंकि सदन स्थगित हो रहा है तो विधान सभा में सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट, टिनेन्सी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट कन्सोलिडेटेट फार्म में पेश करें ताकि जो प्राब्लम्स है उनके अन्दर सारे कोडीफाइड लाज आ जायें।

राज्य सरकार ने विभिन्न सर्क्युलर्स निकाले हैं। एन्क्रोचमेन्ट को रेगुलेराइज करने के लिए, ऐसे सैकड़ों सर्क्युलर्स निकाले हैं, लेकिन वहां के अधिकारी उनको समझने में ही असमर्थ हैं। जो राज्य सरकार की भावना थी उसको आप कानूनी रूप से स्पष्ट बता दें जिनको आप फायदा देना चाहते थे वह तो नहीं मिला और बराबर एन्क्रोचमेन्ट्स गोचर जमीनों पर और राज्य की जमीनों पर चलते आ रहे हैं। इनकी कोई सीमा ही नहीं है इसलिए अब राज्य सरकार की स्पष्ट नीति की घोषणा होनी चाहिए कि गोचर लैण्ड का भी किस तरह से क्या करना चाहते हैं। पंचायतों को गोचर जमीन का नक्शा ही सुपुर्द नहीं किया गया और पंचायतों को पता ही नहीं है कि उनकी कितनी गोचर भूमि है।

पास बुकों के वितरण का मामला है। पहले तो पास बुकें वितरित ही नहीं की गयी हैं उसके अन्दर भी लैण्ड रेवेन्यू के ऊपर कोई जोर देकर बैंकों से कर्जा नहीं मिल रहा है।

(1.28 म० प०)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री, सभापति पीठासीन)

बैंक वाले पास बुकों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बारे में आप को पुनर्विचार करना पड़ेगा। जो हमारी मंशा थी कि पटवारियों के पीछे नहीं घूमना पड़ेगा लेकिन फिर भी घूमना पड़ता है और कोई इसको नहीं मानता है इसलिए रिवाइज्ड पास बुक में सारी एन्ट्रीज अप-टू-डेट हो और उसके आधार पर लोन और तकावी उनको मिल सके तब तो हमारी मन्शा को

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पूर्ति होती है नहीं तो नहीं होती है। तो सभापति जी, इस बारे में एन्क्रोचमेन्ट का गोचर लैण्ड का मामला है या गोचर लैण्ड में बहुत सी बस्तियां बसी हुई हैं और उन बस्तियों का भी कोई नक्शा नहीं है, यह समस्यायें हल होनी चाहिए।

जिला जालोर में सैटलमेन्ट 32 साल पहले हुआ है वह दुबारा शीघ्र कराया जाये और वहां का अच्छी तरह से रिकार्ड बनाया जाये। जो भी सारे मामले हैं और जो पासबुक हैं, हमारी सरकार क्या चाहती थी उसकी एन्ट्रीज पूरी होनी चाहिए। तो, सभापति जी इसके अलावा पटवारियों के बारे में भ्रष्टाचार की इतनी शिकायतें आती हैं। पहले नम्बरदारी सिस्टम था वह आपने खत्म कर दिया। पहले तो भ्रष्टाचार नहीं था और न उसकी शिकायत आती थी और अब सारी पावर्स पटवारियों को दे दी इसलिए भ्रष्टाचार हो गया इसलिए जो पहले नम्बरदारी का सिस्टम था उसको दुबारा शुरू किया जाना चाहिए ताकि रकम का मामला है वह जाकर खजाने में जमा करा सकें। पटवारियों के पास न तो मकान है, न तिजोरी है। उसके लिए राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था भी नहीं की है अब की जानी आवश्यक है। इस बारे में पुनः विचार करें। रेवेन्यू का जो मेन्युअल है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आज जो सारी रेवेन्यू की प्रॉबलम है, कानून वगैरह की वह भी नहीं रहे, इस बारे में मैं चाहूंगा आज मंत्री जी कोई न कोई विशेष घोषणा करें और किस तरह का कानून बनाना चाहते हैं काश्तकारों के फायदे के लिये, इसी विधान सभा सत्र में घोषणा कर देनी चाहिये ताकि बराबर सक्यूलर्स और अमेन्डमेंट्स आने बन्द हो जावें। रेवेन्यू बोर्ड अलग फैसला करता है, हाई कोर्ट में वह रद्द हो जाता है। कोई अच्छा फैसला नहीं होता है। रेवेन्यू बोर्ड से एक-एक पेज के फैसले आते है। रेवेन्यू बोर्ड, इतना बड़ा राजस्व मण्डल होते हुए भी फैसले ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है तो इसके लिये सोचने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है इसके लिये लॉ कमीशन का भी दुबारा गठन करना चाहिये वरना आपके सक्युलर्स आये दिन निकलते जायें तो भी कोई काश्तकारों की समस्या हल होने वाली नहीं है।

श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : सभापति महोदय, मुझे मुख्य मन्त्री जी का वह भाषण आज भी याद है जब शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा था कि राजस्थान से भ्रष्टाचार आज से उठ गया है और आज के बाद भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। मैं उस बात की याद दिलाते हुए मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किस प्रकार लोगों ने राज्य की राजस्व भूमि पर कब्जा कर लाखों की सम्पत्ति को हड़प लिया है। इसी प्रकार नाजायज गोचर भूमियों पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है और काश्त कर रखी है। इसी प्रकार आबादी भूमि पर कब्जा करके काश्त करना शुरू कर दिया है और गांव वालों को बरबाद कर दिया है। समय की कमी को देखते हुए अभी इस तरह के सिर्फ तीन उदाहरण पेश करना चाहता हूं। सर्व प्रथम मैं निवेदन करना चाहूंगा नाथद्वारा की उस राजस्व भूमि के संबंध में जिसके लिए जिलाधीश उदयपुर ने शासन सचिव को एक पत्र दिनांक 22-1-73 को लिखा है जिसका विषय है राज्य विरुद्ध श्री

Page No 80

(80)

(श्री राम रघुनाथ)

रघुनाथ पालीवाल व तीन अन्य बाबत बिला नाम भूमि पर बिना आज्ञा करा तामीर। माननीय, वहां दो अन्य संस्थाएं है जिनके अलग अलग से पट्टे श्री रघुनाथ पालीवाल के साथ नाथद्वारा में दिऐ गए। इन संस्थाओं के नाम से जो जमीन दी वह है, महिला केन्द्र को दो बीघा, दूसरी भारत स्काउट्स एवं गाइड लोकल एसोसियेशन को एक बीघा। इसका पट्टा चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर नाथद्वारा टेम्पल ने 23-6-59 को दिया। इस भूमि को इन संस्थाओं के नाम से सिर्फ नाम मात्र का नजराना लेकर दिया गया, पर इन पर कब्जा व्यक्ति विशेष के लोगों ने निजी स्वार्थवश नाजायज फायदा उठाने हेतु किया जो श्री रघुनाथ पालीवाल के घर के रिश्ते वाले हैं। नाथद्वारा तहसीलदारजी ने इसके संबंध में बहुत पहले दिनांक 29-4-65 को एक पत्र जिलाधीश उदयपुर को इन फाइलों के साथ भेजकर लिखा है कि इस भूमि पर जो मोजा सिहांड़ में लाल बाग के सामने खसरा नं० 448, 487, 583 में है पर बेनामी नाजायज कब्जा कर रखा है इस तरह की कार्यवाही करने के बाद वहां के जिलाधीश ने राज्य सरकार को लिखा, जिस पर राज्य सरकार ने यह लिखा, जो बहुत स्पष्ट आदेश है, सभापति महोदय, राज्य सरकार से आदेश क्रमांक प-2/403 राजस्व (ख) (63) दिनांक 13-1-70 प्राप्त हुए जिसमें ठिकाना नाथद्वारा का विलय दिनांक 1-1-59 को ही हो गया था तो ठिकाना नाथद्वारा ने जो पट्टे जारी किये गये थे वे अवैधानिक थे, अतः नियमन नहीं किया जा सकता और नाजायज कब्जे हैं। श्रीमान्, राज्य सरकार से इन कब्जों को नाजायज मानकर आदेश दिया कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। इस हेतु दिनांक 10-2-62 को तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा। माननीय मंत्री महोदय, यह समझ में नहीं आता है कि जो जमीन संस्थाओं को दी गई थी और नियमन इसलिए नहीं हो सका कि पट्टा गलत दिया गया है। जागीर, ठिकाना मन्दिर का विलय 1-1-59 को हो चुका था और यह पट्टा बाद में दिया गया। बाद में दिये गये पट्टे का सरकार ने नियमन नहीं किया और इसलिए नाजायज है। उनमें तामीर करवा कर और बेच कर लाखों रुपयों की गड़बड़ी की है। साथ में यह गम्भीर प्रश्न पैदा होता है कि संस्था की जमीन व्यक्तिगत कैसे हो गयी और किस प्रकार 100-150 रु० की राजस्व भूमि लाखों में बदल गई ?

माननीय सभापति महोदय, ये जमीन उन संस्थाओं को करीब 25) रु० बीघा से दी गई थी जो नजराने के बतौर थे। इस तरह के नाजायज कब्जे और नाजायज गबन और लाखों रुपयों की हेरा फेरी की गई जिसके लिए भूतपूर्व सरकार ने चिन्तित करहो कार्यवाही की और जब स्टेज पर आ गये थे न जाने क्यों कार्यवाही बन्द कर दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री ने अपने सर्व प्रथम भाषण में यह कहा है कि इस राजस्थान में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय पूर्ण जानकारी करके उन व्यक्तियों को सजा दिलवाये जो अपराधी हैं और उनका पर्दाफाश किया जाय।

इसके साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा आपकी सूचना के लिए कि यह जगह राष्ट्रीय मार्ग नं 8 पर है जो बहुत की कीमती जमीन है। इसके बाद आपको मैं बताना

(श्री राम रघुनाथ)
चाहूंगा, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र डेगाना में एक गांव है आलनियावास ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक-दो मिनट में समाप्त कर देता हूं।

गोचर जमीन है और वह गोचर जमीन 10-15 साल से है, वहां अभी तीन चार वर्ष पूर्व से एक आदमी ने नाजायज कब्जा कर लिया और काश्त करने लगा है। तहसीलदार ने कई बार उसकी काश्त जानवरों को खिला दी उसको कई बार बेदखल कर उसका कब्जा हटा दिया। तब के मेड़ता एस० डी० ओ० जिनका कुछ समय बाद ट्रान्सफर हो गया, उन श्री कौशिक साहब ने कुछ ले देकर उसको नियमन करने की कार्यवाही कर दी और तब से वह व्यक्ति, जो गोचर जमीन को काश्त करता था, अब तक करता आ रहा है। वहां का प्रशासन, वहां के जिलाधीश और वर्तमान एस०डी०एम० सारे लोग, ऐसा लगता है, अपने आपको असमर्थ पा रहे हैं कि वे कुछ कर सकें।

इस तरह का एक उदाहरण ऐसे गांव के लिये देना चाहता हूं जिसमें आबादी भूमि को हटाकर, ग्राम गोरडा, तहसील डेगाना में एक व्यक्ति काश्त करता आ रहा है और एस डी०ओ० मेड़ता श्री कौशिक साहब ने, जो अब वहां पर नहीं हैं, उसका नियमन कर दिया जब कि कानून में एस०डी०एम० नियमन नहीं कर सकता। राज्य सरकार की स्वीकृति बिना जमीन किसी को हस्तान्तरण कैसे हो गई है जब कि भूमि काश्त करने के लायक नहीं हैं। ये तीन मामले हैं, शायद राजस्थान में हजारों हो सकते हैं, लेकिन समय की कमी को देखते हुये मैंने ये तीन मामले ही प्रस्तुत किये हैं, ताकि मंत्री महोदय विस्तार से जांच करके प्रकाश डाल सके।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री महोदय से जवाब दिलवावें। आज जो प्रश्न रखे हैं, उनका जवाब मिलना चाहिये····

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल जो किये हैं, उनका जवाब भी देना है। आप कह दें, नोट कर लें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आज तक तो दिया नहीं आज दे दें तो बड़ा सौभाग्य होगा।

श्री सम्पत राम : माननीय डागा जी उधर का एक भी प्रश्न बतायेंगे जिसका जवाब नहीं दिया हो····

श्री मूलचन्द डागा : एक का भी नहीं दिया।

श्री रामरघुनाथ : सभापति महोदय, श्री डागा जी ने जो कहा है, मैं वह पहले ही कह चुका हूं। जब मैंने नाथद्वारा के नाजायज कब्जों के लिये निवेदन किया था। मैं आशा करता हूं, मंत्री महोदय, आप जवाब तो आज देंगे ही देंगे और साथ में यह भी बतायेंगे कि अगर उनके पास अभी सूचना नहीं है तो इसका पर्दाफाश करके पूर्ण कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे।

मैं इसके साथ, सभापति महोदय, मेरे जो अन्य कटौती प्रस्ताव हैं उनमें इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सैटलमेन्ट के बारे में पूर्व माननीय सदस्य ने कहा था

(श्री रामरघुनाथ)
सैटलमेन्ट न होने से गांवों में दिक्कतें आ रही हैं। 20-20 साल हो गये, छोटे मोटे कब्जों के कारण गांवों में झगड़े होते हैं इसलिए सैटलमेन्ट अत्यन्त आवश्यक है और इसको तुरन्त कराया जाय।

इसके अतिरिक्त गांवों में जो आम रास्ते हैं और जो पड़त जमीन है उन पर भी कब्जा करके वह रोक दिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो गोचर, पड़त जमीन और जो रास्ते हैं, उन पर नाजायज कब्जे न हों, इसके लिये पूर्ण व्यवस्था करने के लिये निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवचरणसिंह !

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, एक मिनट में मैं कुछ कहना चाहता हूं...

श्री सभापति : आपका कटौती प्रस्ताव है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : कटौती प्रस्ताव तो है, श्रीमन्।

श्री सभापति : प्रगतिशील दल की तरफ से दो माननीय सदस्यों के हैं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो उनका समय है उसमें से एक मिनट दे दीजिये।

श्री सभापति : एक मिनट दे दूं तो आप बोल ही नहीं सकते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक मिनट में बोल दूंगा, सभापति महोदय।

श्री सभापति : एक मिनट में बोल नहीं सकते हैं।

माननीय शिवचरण सिंह। आप विराजिये।

एक माननीय सदस्य : एक मिनट का टाइम दे दीजिये, सभापति महोदय, इनको।

श्री सभापति : एक मिनट में बोलने का तय कर लिया है आपने ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मंत्री जी, धौलपुर के अन्दर हरिजनों को जमीनें दी गई हैं। तीन गांव हैं। राजाखेड़ा तहसील का ग्राम कठूमरा, राजाखेड़ा तहसील का ही दूसरा गांव महेन्द्रपुरा और धौलपुर तहसील का ग्राम सहायपुरा जहां पर कि हरिजनों को जमीनें अलाट की गई हैं उनको आज तक भी कब्जे नहीं दिये गये हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आपकी सरकार से आया। वहां के तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने जो सूचना दी है वे कागजों पर कब्जे हैं, हकीकत में कब्जे नहीं हैं। ग्राम कठूमरा, ग्राम महेन्द्रपुरा और ग्राम सहायपुरा।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवचरण सिंह।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : मेरा एक कटौती प्रस्ताव है रेवेन्यू पर और एक देवस्थान पर।

श्री सभापति : आपका एक ही कटौती प्रस्ताव है।

श्री शिवचरणसिंह : देवस्थान रेवेन्यू में ही आता है उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है। माननीय मंत्री महोदय के आने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा यह मेरी कामना थी लेकिन आपके चार्ज लेने के बाद भ्रष्टाचार की

(श्री शिवचरणसिंह)
रफ्तार बढ़ी है, पटवारियों को एक दूसरी जगह पर फेंका गया है।

दूसरा मेरा निवेदन है देवस्थान का जो राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 59 है उसका सैक्शन 31 है ...

श्री सभापति : इसमें कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री शिवचरणसिंह : है साहब, वह रह गया होगा, साहब मैंने दिया है।

श्री सभापति : इसमें शामिल नहीं है।

श्री शिवचरणसिंह : आप हुकम कर देंगे, बोल लूंगा। यह सैक्शन 31 है, इसमें यह प्रोवीजन है, कोई भी संस्था हो उसमें 5 हजार से ऊपर बिक्री होती है या खरीद होती है तो राज्य सरकार से परमीशन लेनी पड़ती है। अब कर दिया 5 हजार से 3 हजार। करौली क्षेत्र में केला देवी का मन्दिर है, माननीय मंत्री महोदय को जानकारी है कि वहां खरीद फरोख्त की जाती है। दो अढाई लाख रुपये के नारियल, प्रति वर्ष खरीदे जाते हैं और भी लाखों रुपये की खरीद फरोख्त होती है। सैक्शन 38 के तहत असिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान को सूचना दी गई, यह सारे फैक्ट्स फाइल पर हैं, आडिट रिपोर्ट है, उसके बाद भी सैक्शन 38 के तहत वह कार्यवाही नहीं की गई। चालान नहीं किया।

दूसरी बात अर्ज करूं, इसी प्रकार से सैक्शन 36 में बजट का प्रावधान है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, इस में बहुत बड़ा घोटाला है।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री शिवचरणसिंह : आप उसकी जांच करायें।

श्री सभापति : माननीय रघुनन्दन व्यास।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरा नाम है।

श्री सभापति : माननीय विरोधी दल के नेता ने जो सूची दी उसमें नाम नहीं है। कृपया आप बिराजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह गलत तरीका है।

श्री सभापति : वह आप माननीय नेता से कहें।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं दो मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति : आप कृपा कर के बिराजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह गलत तरीका है।

श्री सभापति : मैं नहीं दूंगा इजाजत। श्री रघुनन्द व्यास!

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : सभापति जी, समय कम है, मेरे दो या तीन कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। हमें नहीं बोलने देना हमारे साथ अन्याय होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आपके जो नेता महोदय हैं श्री परसराम मदेरणा उन्हीं ने पांच नाम बताये, दूसरे नहीं बोलेंगे। इसलिए कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुनन्दन व्यास : आज रेवेन्यू की मांग है। दो अक्टूबर से निर्णय लेने जा रहे हैं मैं कहूंगा कि इस विभाग में सुनवाई नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें। सिरोही जिले में 30 हजार मुकदमे पेंन्डिगं हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं। किसान बरबाद हो रहे हैं। गोचर और कमाण्ड एरिया में यह सारे काम पटवारी के तहत होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम को करने के लिये हम सिरोही जिले से, जालौर जिले से रेवेन्यू इन्सपेक्टर और पटवारियों का स्थानांतरण करवाते हैं तो ही जाकर सुधार हो सकता है। हमारा जो रेवेन्यू बोर्ड है वह रेवेन्यू बोर्ड उन मामलों को निपटाने में मार्गदर्शन देने में अब तक असफल रहा है। इसलिये निवेदन है कि रेवेन्यू बोर्ड को भंग किया जाये और उसके बाद हाई कोर्ट को यह काम सौंप दिया जाये। इसलिये इस पर विचार किया जाये।

दूसरा इन्हीं रेवेन्यू इन्सपेक्टर और पटवारियों के कारण सीलिंग के नाम पर कई घर बर्बाद हो गये, उनके पास एक इंच जमीन नहीं रही। जो जागीरदार थे, हजारों बीघा जमीनें थीं, वे भूखे मर रहे हैं।

पटवारियों का तहसील में ही ट्रांसफर हो मेरा यह निवेदन है। सिरोही जिले और जालौर जिले के बारे में माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करने के बावजूद ट्रांसफर नहीं किये गये। यह 2 अक्टूबर से कार्यवाही शुरू हो रही है मेरा कहना है कि माननीय मंत्री महोदय ने आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण नहीं किये तो यह योजना असफल हो जायगी। इसी बात को निवेदन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री कौशल किशोर जैन।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री खेतसिंह।

श्री परसराम मदेरणा : खेतसिंहजी का समय रामसिंहजी को दे दीजिये।

श्री सभापति : श्री रामसिंह।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूनी) : सभापति महोदय, मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं चाहूंगा, कुछ सुझाव माननीय मंत्री महोदय को मैं दूं।

सभापति महोदय, दो अक्टूबर से सरकार राजस्व अभियान युद्धस्तर पर गांवों में मनाने जा रही है। किसी कार्य को किसी अभियान को युद्ध स्तर पर मनाने से पहले यह जरूरी है कि इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, यह बहुत ही आवश्यक और अहम विषय है। प्रत्येक तहसील के एक एक गांव के अन्दर न तो आप जा सकते हैं, न आपके अधिकारी एस. डी. ओ, और कलेक्टर जा सकते हैं। जो कार्य जल्दी किये जायेंगे उनमें अनियमिततायें होंगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जो समय हमें मिलना चाहिये गांव में जाने का वह हम भी वहां जाकर अपना समय नहीं दे

(श्री रामसिंह विश्नोई)

पायेंगे, क्योंकि विधान सभा चल रही है। इसके शीघ्र बाद ही जो प्रोग्राम रखा है वह हम विधायकों के लिये भी सुविधाजनक नहीं रहेगा तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस अभियान को 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी की पुण्य तिथि से मनाने जा रहे हैं उसको आप उस रूप में नहीं मना कर कायदे से नियमानुसार करावें ताकि गांवों के अन्दर जो कई वर्षों से मामले उलझे हुए हैं उनका सही ढंग से निपटारा किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जमीन सम्बन्धी अधिकार एस. डी. ओ. और कलेक्टर को जिले के अन्दर हैं। उसके लिए मैं एक सुझाव दूंगा कि एक महीने में पांच दस दिन नियत कर देना चाहिए। वह लोग पर्टीक्यूलर पंचायत मुख्यालय में जाकर प्रत्येक दिन वहां पर जो आस पास के गांवों की समस्या है रेवेन्यू के सम्बन्ध में उसका निपटारा सरपंच, विधायक, प्रधान और दूसरे अधिकारियों के साथ में बैठकर करें। गांवों में रेगूलेराइजेशन के केसेज कई वर्षों से अटके हुए हैं। उसका निपटारा आप केवल दो चार घण्टों में मौके पर करा दें यह सम्भव नहीं है। यह निपटारा होगा नहीं और लोग परेशान होंगे और दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। इसलिए इस अभियान को जल्दी में नहीं कर के धीरे-धीरे इस प्रकार से किया जावे ताकि गांवों के अन्दर ज्यादा दिक्कत नहीं हो और लोगों को आराम से अपनी जमीन को जोतने का, कमाने और दूसरे कार्य करने का अवसर मिल सके।

दूसरा मेरा निवेदन यह है, सभापति महोदय, बिलाड़ा पंचायत समिति में कापरडा गांव है वहां के सरपंच ने दो ढाई हजार बीघा जमीन-नमक उत्पादन सहकारी समिति के नाम से ले रखी है। उसमें से जमीन को सीलिंग के अन्तर्गत लेकर उस जमीन पर भेड़ों और पशुओं को चराने का फैसला हो चुका है, लेकिन सरपंच ने अभी तक अपने कब्जे में ली हुई है और भेड़ों व पशुओं को चराने से रोकता है।

श्री सभापति : इस विषय में कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : दो कटौती प्रस्ताव हैं मेरे, सभापति महोदय।

श्री सभापति : इस विषय में नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं निवेदन कर रहा हूं, सभापति महोदय, वह जमीन, दो ढाई हजार बीघा जमीन उस सरपंच ने ले रखी है, वह मवेशियों को, भेड़ों को चराने से रोकता है। फाटक बना कर अनियमित तरीकों से फाटक वसूल करता है। उसके खिलाफ कार्यवाही की जावे और उसकी हदबन्दी की जावे। उस जमीन को सरपंच से छुड़ावें।

आखिर में एक ही बात और निवेदन करना चाहूंगा। बिलाड़ा के अन्दर नाडी की जमीन है वहां पर बस स्टेंड है। वह जमीन नाडी की वजह से अभी तक आबादी में कन्वर्ट नहीं हुई है। उस पर कई लोगों ने मकान बना लिए हैं लेकिन आबादी के अन्दर कन्वर्ट नहीं की है। भूतपूर्व सरपंच ने जमीन के पट्टे दिए हैं। यह 15-20 साल का मामला है, लेकिन अभी तक 15-20 साल से लोगों को बराबर

(श्री रामसिंह विश्नोई)

तंग किया जा रहा है, हजारों रुपयों का जुर्माना किया है। कायदे से सारी कार्यवाही करने के बाद भी उस जमीन को आज तक आबादी में कन्वर्ट नहीं किया गया है। वहां की जनता बहुत परेशान है। मैं चाहता हूं कि वह जमीन आबादी में कन्वर्ट की जाय, उसका फैसला किया जाय।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे वहां पर गांव करनियाली व अन्य ऐसे गांव भी हैं जहां 91 के हजारों कैसेज काश्तकारों पर बनाए गए हैं। हम चाहते हैं, माननीय सभापति, करनियाली में या तो सैटलमेंट किया जाय या जब तक सैटलमेंट नहीं हो, धारा 91 के जो भी कैसेज चल रहे हैं उनको रोक दिया जावे और जब तक यह सैटलमेंट नहीं हो जाता है, इस तरह से उनसे वसूली नहीं की जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आखिर में ......

श्री सभापति : और कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है, माननीय सदस्य।

माननीय श्री परसराम मदेरणा !

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय सभापतिजी, भूमि सुधार के बारे में सरकार ढिलाई बरत रही है, इस सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव है। जनता सरकार बनने के बाद राज्य के मुख्य मंत्री ने इस सदन में भी एलान किया था और यह घोषणा की थी कि दो ऐतिहासिक घटनायें राजस्थान में अभी चन्द दिनों में घटेंगी। एक तो राजस्व का अभियान और दूसरा अन्त्योदय योजना। राजस्व का अभियान सुचारु रूप से चलाने के लिए जनता अदालतें लगाई जायेंगी। जनता अदालतों का यह अभिप्राय मैं समझा हूं, माननीय सभापति महोदय, जनता के प्रतिनिधियों को उसमें सम्मिलित किया जायेगा। लेकिन 15 आइटम्स को लेकर जो आप राजस्व अभियान चलाने जा रहे हैं, राजस्व मंत्री महोदय उनमें कहीं पर भी एम० एल० ए० किसी भी एडवाइजरी कमेटी का मेम्बर नहीं है। खातेदारी अधिकारी देने के सम्बन्ध में तहसीलदार का मामला है इसमें एम० एल० ए० कहीं पिक्चर में नहीं आता है। म्यूटेशन के सम्बन्ध में भी इन 15 आइटम्स में उल्लेख किया गया है। म्यूटेशन के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई जनता अदालत लगा कर कोई नया काम किया जा रहा हो, ऐसा नहीं। यह केवल पोलिटिकल स्टण्ट है। हमने सन 75 में अभियान चलाकर इस काम को किया था और 9 लाख, करीब साढ़े नौ लाख म्यूटेशन के मामले निपटाये थे। अगर हार्डली बाकी होंगे तो करीब पचास साठ हजार मामले ऐसे हो सकते हैं जिनका म्यूटेशन नहीं है। लेकिन इस मामले में भी एम० एल० ए० कहीं नहीं है, एम० एल० ए० कहीं इन्वोल्व्ड नहीं है। पंचायत में निश्चित रूप से म्यूटेशन जायेगा। अगर पटवारी भेजेगा तो लैंड रेवेन्यू मेन्यूअल में एक पीरियड प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि इतने दिनों में पटवारी बना कर इंसपेक्टर के पास भेजेगा। इतने दिन में पंचायत समिति के पास जायेगा। यह सब स्टेट्यूटरी प्रोविजन्स हैं जिनमें टाइम लिमिट है। उसको जनरलाइज करके किस प्रकार से कर सकेंगे, यह मेरी समझ के बाहर की बात है।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसी प्रकार से तीसरा बिन्दु भूमि आवंटन का है। माननीय सभापतिजी, भूमि आवंटन के रूल्स बने हुए हैं, लैंड रेवेन्यू (अलाटमेंट आफ एग्रीकल्चरल लैंड) रूल्स। इसमें निश्चित तौर पर सिवाय चक गवर्नमेंट की है। उसकी एडवाइजरी कमेटी में एम. एल. ए. सदस्य है, प्रधान भी है जो अब रहा नहीं और सरपंच भी सदस्य है इस तरह से जितने भी बिन्दु लिए गए हैं वे सब स्टेट्यूटरी प्रोविजन्स में आते हैं, उनको आप किस तरह से जनता अदालत में कर सकेंगे ?

इसी तरह से इसमें मकान बाडों के रेगुलेराइजेशन का बिन्दु है जो तहसीलदार का मामला है। भूमि को सेट अपार्ट करने की पावर्स कलेक्टर को है और कलेक्टर को ही इस काम को करना है। अब एक कलेक्टर कितनी जगह बैठ सकेगा ? एक जगह ओपन कोर्ट लगा कर सेट अपार्ट कर सके, यह मुझे पोसिबल नहीं लगता। म्यूनिसिपैलिटी की जमीन है, यू आई. टी. है, ग्राम पंचायतें हैं, उनके अधीन की जमीन को सेट अपार्ट करना चाहते हैं, यह इस तरह से ओपन कोर्ट में एक जगह बैठ कर कर सके, मुझे यह सम्भव नहीं लगता।

अतिक्रमण के मामले में सेक्शन नाइन्टी-वन की ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग को तहसीलदार को एक्सरसाइज करना है। इसी तरह से यूसूफेक्टो मोर्टगेज में ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं जिनमें सेक्शन 43 में कोई एम एल. ए. पिक्चर में नहीं आता।

इसी तरह से काश्तकारों को भूमि अवाप्ति में ली गई भूमि के लगान में कमी करने का बिन्दु है जिसमें लैंड रिकार्ड को अपटूडेट करने का प्रश्न है। इसी तरह से कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण सम्बन्धी मामलों को निपटाना है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें सर्टेन पावर्स डेलीगेट किए हुए हैं उसमें एम. एल. ए. पिक्चर में नहीं है। बाकी बैंकिंग संस्थानों से ऋण दिलाने के सम्बन्ध में अगर एप्लीकेशन्स आई हुई हैं और एप्लीकेशन्स में अगर जमाबन्दी की नकल उनको समय पर नहीं मिल सकी है तो यह कमेटी निश्चित तौर पर जो ऋण लेने वाले हैं, उसको नकल दे इसके साथ राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता समापन) अधिनियम, 1976 के तहत सर्टीफिकेट देते हैं इसमें भी एम. एल. ए. के सहयोग और परामर्श का एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। इसी तरह से वृद्धावस्था पेंशन का मामला है, यह फाइनेंस डिपार्टमेंट का मामला है। ठीक है, उस आदमी की एलीजिबिलिटी को आइडेंटीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से चौदहवें नम्बर पर पीने के पानी की व्यवस्था का सवाल है। यह इतना बड़ा अहम सवाल है कि जिसमें साढ़े चार सौ करोड़ का प्रश्न है। हर आदमी चाहता है कि हमारे यहां पर नल हो, रीजनल पाइप लाइन हो। इसमें क्या कर सकेंगे ? इसी तरह से जनता के अभाव अभियोग के सम्बन्ध में है। इसमें रेवेन्यू रिकार्ड में बैकलाग रह गया है उसको ठीक करने का प्रश्न है। इस तरह से मैं देखता हूं कि यह न कोई जनता अदालत है और न जनता की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। यह केवल पोलिटिकल स्टण्ट है। जब मैं यह बात कह रहा हूं तो माननीय राजस्व मंत्रीजी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इनमें कहीं भी एम. एल. ए. का इन्वाल्वमेंट नहीं है। फिर आपने यह समय जो चूज किया है, मेरी समझ में राजस्थान के अन्दर अक्टूबर महीने में जो आपने यह अभियान

(श्री परसराम मदेरणा)

चलाने का निर्णय किया है, राजस्थान का किसान अक्टूबर महीने में ज्यादा व्यस्त है। आज जो अन्त्योदय योजना की बात कह रहे हैं, गांव में आज एक आदमी को पांच रुपया रोज मिल रहा है उस व्यक्ति को जो सबसे भूखा है, अंतिम व्यक्ति। तो आप आज यह अभियान चलायेंगे तो पांच रुपये रोज की आमदनी से महरूम रख कर भूमि आवंटन करने के लिए बुलायेंगे। आज चूंकि खेती हुई है इसलिए कोई ट्रेसपास है उसकी भूमि का कब्जा ले नहीं सकते। मैं समझता हूं कि इस तरह के अभियान राजस्थान में कभी भी चलाये हैं तो वह मार्च और जून के महीनों में चलाये हैं या मई और जुलाई के बीच में चलाये गये हैं। बाकी काम तो जिन अधिकारियों को करना है, वे बैठ करके कर सकते हैं। ढाई गुना लैण्ड रेवेन्यू देकर उनको खातेदारी राइट्स लेने का हक है। तो फिर मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कौन सा अभियान है? खातेदारी के कोई केसेज भी नहीं होंगे। हार्डली कोई केस होगा। दो लाख ऐसे लोगों से, जो इल्लीगल थे, ढाई गुना लैण्ड रेवेन्यू लेकर उन सब को खातेदारी दे दी गई है और एक-दो साल में यह उनको कन्फर्म भी कर दी गई है। यह कोई समस्या नहीं है। राजस्थान में जनता अदालत के नाम से आपकी यह जो राजनैतिक परेशानी है, उससे शायद जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का मुंह अपने गांवों की ओर मोड़ा है। वास्तव में भूमि-सुधारों के सम्बन्ध में मैं तो यह सोच रहा था कि आज सीलिंग कानून जो आज लागू हैं उस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या करना चाहती है? जैसा कि राजस्व मंत्रीजी जानते हैं, राजस्थान में भूमि सीलिंग के दो कानून अभी फोर्स में है। पहले के 33 (डी। के नीचे जो भूमि की सीलिंग थी, अधिकतम सीमा, वह नया कानून 1973 में बना रिपीलिंग क्लाज के सम्बन्ध में, उसका पूरा रिपीलिंग नहीं किया गया। राज्य सरकार उसके बारे में क्या विचार रखती है? पुराने कानून के अन्दर लाइबिलिटीज इन्कर होती है। सरकार का राइट हो गया है। सैक्शन 6 के अन्तर्गत जमीन रिज्यूम की जानी है। यह आदेश है। पुराने सीलिंग का केस पेन्डिंग है वह डिस्पोज आफ हो गया है। एक पेंडिंग केस का भी निर्णय हो गया है। उसके बाद यह मामला हाई कोर्ट में उठा। हाई कोर्ट ने 22-12-75 को यह फैसला कर दिया पेन्डिंग केसेज के सम्बन्ध में कि पुराने कानून के अन्तर्गत जो कार्यवाही हो रही है वह ठीक है। फिर यह मामला डी० बी० में गया। कई दिनों तक वहां पर मामला लगातार सुना गया। उसका पांच जजों की बेन्च ने 76 के अन्त में फैसला दे दिया और उसमें उन्होंने यह कहा है कि चाहे केस पेन्डिंग नहीं हो तो भी लाइबिलिटी इन्कर हो गई है और उसी दिन से वह जमीन सरप्लस में राज्य सरकार में अधिकरण हुई या की हुई समझी जाए, क्योंकि राज्य सरकार का राइट एक्रू हो गया है। उस सम्बन्ध में, पेन्डिंग केसेज के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया था? राजस्व मंत्रीजी यह नीति सम्बन्धी मामला है। उस फैसले की स्टडी के बाद इस जजमेन्ट के इम्पलीकेशन के बाद नये केसेज को रि-ओपन किया जाए। जो नोटिफिकेशन 1-4-66 का है, नये केसेज का सम्बन्ध नहीं है, पुराने केसेज के सम्बन्ध

(श्री परसराम मदेरणा)

में यह मामला है तो हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि 1-4-66 को, इस डेट को जो जमीन सरप्लस थी लैण्ड होल्डर की, जो सीलिंग एरिया मुकर्रर किया था, उससे ज्यादा जमीन है तो वह जमीन सरकार में वेस्ट होगी। इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार की क्या नीति है ? इस फैसले के ऊपर कार्यवाही करने के लिए क्या आपने आदेश दिए हैं ? आदेश नहीं दिए हैं, तो क्यों नहीं दिए ? यह मैटर मंत्री मण्डल के समक्ष विचाराधीन था। क्या उस पर निर्णय लिया गया है ? और निर्णय लिया गया है तो क्या निर्णय लिया गया है ? और नहीं लिया गया है, तो राज्य सरकार की क्या नीति है ?

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लैण्ड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजीशन आफ एस्टेट एक्ट जो भूतपूर्व राजाओं के सम्बन्ध में कानून बना हुआ है उस कानून के अन्तर्गत 53298 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर ली थी। उस भूमि का अधिग्रहण करने के बाद ट्रान्सफर स्टे आर्डर के लिए हाई कोर्ट में गया। जहां तक भूमि के कब्जे का सवाल है, वह भूमि हमारे पास में है। राज्य सरकार ने अब इस प्रकार के आदेश निकाले है। जोधपुर के भूतपूर्व महाराजा की पाली में 7 हजार बीघा जमीन थी, उसका हाई कोर्ट से स्टे मिला, उसके पहले ही सरकार ने उसका कब्जा ले लिया था, तहसीलदार और एस० डी० ओ० ने। अब यह आदेश निकाला है कि क्योंकि हाई कोर्ट ने ट्रान्सफर को काश्त से महरूम नहीं किया है। परन्तु यह प्रश्न कहां आता है ? हाई कोर्ट से स्टे आर्डर आवे उसके पहले ही यह पजेशन ले लिया गया था। पजेशन लेने के बाद आज यह कहना कि स्टेटस को मेन्टेन किया जाय, रखा जाय, इस प्रकार के आदेश सेक्रेटेरियट से जावें, कानून के खिलाफ और फिर यह सरकार अपने को न्यायप्रिय कहती है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : क्या आर्डर है ? पढ़िए।

श्री परसराम मदेरणा : प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री माणकचन्द सुराणा : आपने रखी है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसके अन्दर है। सभापति महोदय, जैसा कि सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, रेवेन्यू लाज कमीशन ने कुछ सिफारिशें की हैं। इन्टरमीडियरीज की समाप्ति के बाद, राजस्थान भू-सुधार का एक चरण पूरा हुआ है। टिनेन्सी एक्ट की बहुत सी धाराएं रिडन्डेन्ट है। इसकी वजह से दूसरा टिनेन्सी बिल आज की मौजूदा परिस्थिति में लाया जाना चाहिए। इस बिल को प्रवर समिति ने सदन में प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन अब क्योंकि नई विधान सभा है, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या सोचती है ? क्या यह बिल लेप्स हो चुका है इस नई असेम्बली बनने के बाद या फिर से इस बिल को रखेंगे या फिर से सलेक्ट कमेटी को रेफर करेंगे ? लेकिन मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब समय आ गया है कि यह जो पुराना टिनेन्सी एक्ट है, उसकी पचास धाराएं आज किसी काम की नहीं है। यह बिलकुल जम्बल्ड लॉ है। नया जो बिल आया है, उसमें करीब 80-85 धाराओं को डिलीट कर दिया है। इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री

(श्री परसराम मदेरणा) ।

जी कोई कदम उठायें , या तो सलेक्ट कमेटी को रेफर करें या और विचार करें। सलेक्ट कमेटी में विचार नहीं कर सकें तो राज्य सरकार इसको लेकर एक पूरा सत्र इसके लिए निर्धारित करे। यह जो पूरा बिल है, इसके लिए इस हाउस की 20–25 मीटिंग होंगी। इसलिए एक अलग से सत्र बुलाया जाकर इस नये टिनेन्सी एक्ट को इस सदन में पारित कराना चाहिए।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने, मैंने जैसा अखबारों में पढ़ा था, मुख्य मंत्री बनने के बाद, 26 या 27 जून को एक स्टेटमेन्ट दिया था । उनके स्टेटमेन्ट से ऐसा प्रकट होता था कि कॉलोनाइजेशन एरिया के अन्दर कुछ लोगों, जिन्होंने जमीन का डि-कॉलोनाइजेशन कराया है, को खातेदारी अधिकार मिल गया। वह खातेदारी अधिकार को जानबूझ कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है। वह वक्तव्य मैंने अखबारों में पढ़ा। मैं सदन की जानकारी के लिए यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि कॉलोनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 15 (ए) के अन्तर्गत चाहे आर. सी पी. एरिया के अन्दर बीकानेर स्टेट की खातेदारी हो, वे भी आज खातेदार नहीं हैं। जो धारा 15 टिनेन्सी एक्ट खातेदारी राइट्स को कनफर करता है, वह 58 में ले लिये। इसके अलावा राज्य सरकार का 53-54 में आदेश हुआ। वह यह हुआ कि जो 10 गुना लगान जमा करायेगा, उसको खातेदारी मिल जाएगी। इससे 103 लोगों को खातेदारी मिल गई। इस तरह से नौहर और भादरा को डि-कॉलोनाइज किया गया। फिर वापस लिया गया। दूसरा यह हुआ कि जिनका आर. सी. पी. एरिया में नहीं था, उनको खातेदारी मिल गई। कॉलोनाइजेशन को रेफर किया तो भी उनको खातेदारी मिल गई। मुख्य मन्त्री जी ने यह उनके और नजदीक जाने के लिए किया होगा। प्रश्न जिसका मैंने पहले ही सदन में उठाया है। कॉलोनाइजेशन मिनिस्टर कैसे कर देगा, 15 (ए) जब स्टेट्यूट बुक पर है। अगर 15 (ए) में अमेण्डमेन्ट करते हैं तो बीकानेर स्टेट के जो लोग हैं, बीकानेर में दो तरह की खातेदारी थी 8 हजार ऐसे लोग हैं जो अरेंट व्हाइल स्टेट में खातेदार दर्ज नहीं हैं। यह हैरिटेबल और ट्रांसफरेबल राइट्स, बीकानेर में नहीं थे। 15 (ए) में यह कहा है कि राजस्थान कैनाल एरिया में कोई भी राइट कवर होते नहीं हैं, इस बारे में अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई। चैलेंज हुआ है। वह पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। सबसे बड़े वकील नीरेन डे को किया है। अगर खातेदारी हो जाती है, अगर 15 (ए) स्ट्रक डाउन होता है तो मोहनगढ़ तक जहां अभी सैटलमेण्ट नहीं हुआ है, हजारों बीघा जमीन के भू-पति बने बैठे हैं, वह अवाप्त करने से उनको कम्पेनसेशन देना पड़ेगा। उसकी कास्ट कोई सवा सौ करोड़ कम्पेनसेशन देना पड़ेगा। 15 (ए) में आप अमेण्डमेन्ट करने जा रहे हैं। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि इम्प्लीकेशन को समझने के बाद स्टेटमेन्ट देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1975 के बाद यही स्टेटमेण्ट दिया। इस सम्बन्ध में कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं है। उन्होंने रोका है। इसलिए हम स्ट्रक डाउन करने की पोजीशन खड़ी करें। 8 अगस्त, 75 को नये रूल बने। तो उनमें रूल्स का इम्प्लीमेण्टेशन रहेगा। दूसरा जो मोहनलाल सुखाड़िया; भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का 25 मार्च, 1970 का बयान था उसके अन्दर कहा गया

(श्री परसराम मदेरणा)

था चूंकि खातेदारी मिल जानी चाहिए। और 15 (ए) की वजह से नहीं मिल रही हैं। इसलिये हम एक रास्ता निकाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से यह समस्या खड़ी हो गई थी। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से बचते हुए हाउस में जो निश्चय लिए गये उनकी अनुपालना कर सकें उसके लिए हमने रूल्स बनाये। हमारे खिलाफ आरोप लगा सकते हैं। वह अप्रेल महीने में बनाये। आज मैं चुनौती से यह कह सकता हूं, मेरी यह चुनौती है कि इससे ज्यादा अच्छे काश्तकारों को न्याय देने वाले रूल्स वर्तमान सरकार बना दे? उनको स्टेटमेण्ट देना चाहिए कि उन रूल्स में जो हमने अमेण्डमेंट किये थे उनका इम्प्लीमेण्टेशन रोका है वाहवाही लूटने के लिए यह सोचा होगा कि प्रयत्न करेंगे। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा है। सदन में काफी चर्चा हुई थी। बड़े बड़े भूपतियों राजाओं की स्ट्रेन्थ थी। चाहे वह सत्ता का वहां वायोलेशन करें। 35-55 करने को गये थे। यह फोर्जरी है। यह केस मैंने सी० बी० आई० को दिया था। यह बड़े बड़े पूंजीपति और राजा महाराजा थे। उस मामले की सी0 बी0 आई0 के अन्दर जांच हो रही है इसलिए आप 15 (ए) अमेण्ड करेंगे तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकेंगे डेढ़ हजार मुरब्बा जमीन है। अगर सीलिंग लॉ आप उन पर लागू करेंगे तो करोड़ों रुपया देना पड़ेगा।

माननीय सभापति जी, आपके पास गोचर जमीन है, चरागाह की जमीन हैं। इसके लिए मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि जगह जगह अतिक्रमण हो रहे हैं। चरागाह की जमीन कम्युनिटी लैण्ड है। जंगलात की भूमि पर, चरागाह की भूमि पर समय समय पर विभिन्न पत्रावलियों पर, विभिन्न फाइलों पर सरकार की नीति स्पष्ट रही है। मैं आज यह निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि हमारी पार्टी के सदस्य बोल नहीं सकते हैं साढ़े 4 बजे बुलेटिन लगने वाला है, जहां पर ट्रेसपास हुआ है, जिनकी शिकायत की स्थिति में 91 के अन्दर फसल कुर्क करने का प्रावधान संशोधन इस में रखा था, उसका उद्देश्य जिस गोचर भूमि पर कब्जा किया है, उस पर पजेशन करने का था। अगर जंगलात भूमि पर और गोचर भूमि पर ट्रेसपास हुआ है तो उन पर निश्चित तौर से कार्यवाही करेंगे। जहां तक ये आदेश राज्य सरकार ने दिये हैं, उनकी मेरे पास प्रतिलिपियां हैं, सर्टीफाइड कापी नहीं हैं। मुझे जो पार्टी ने दिये हैं, मैं उन्हें सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : वह प्रमाणित नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आदेश नम्बर तो हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा ; मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य जो रख रहे हैं उसको हम प्रमाणित मानकर ही चलेंगे। वे भूतपूर्व मन्त्री भी हैं।

श्री सभापति ; मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य उसको प्रमाणित कर दें

श्री हरजीराम बुरडक !

(अनुपस्थित)

श्री विट्ठल प्रसाद !

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है कि नगरपालिका सीमा के अन्दर जिन काश्तकारों के खेत आये हुए हैं उनको खातेदारी अधिकार प्रदान किये जायं। जोधपुर शहर के आस पास कुछ गांव ऐसे हैं जिनके अन्दर मगरा, सूंथला पूजला, मंडोर, चौपासनी, बागां, व्यासजी का तालाब आदि ऐसे गांव हैं यहां पर ऐसे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं जिनके कब्जे उनके खेतों पर पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं और काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व के हैं। उसके बावजूद भी उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये हुए हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने चाहिए। उनकी भूमि जहां-जहां अवाप्त कर ली गई वह वापस दिलायी जानी चाहिए अथवा उसका मुआवजा दिलाया जाए सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसका उत्तर देने की कृपा करें।

इसके अलावा जिन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कब्जे दिलाये गये थे, उन खेतों पर जनता सरकार के आने के बाद दूसरे लोगों ने वापस कब्जे कर लिये हैं। उनके कब्जे वापस दिलवाये जाय पुलिस फोर्स के जरिये ताकि कोई भय नहीं रहे अदरवाइज वे लोग फिर कब्जा कर लेंगे।

जो सीलिंग की भूमि का आवंटन किया गया था वह भी उन लोगों से छीन ली गई है। उन पर उनका वापस कब्जा दिलाया जाना चाहिए, अभियान के अन्दर और जागीरदारों पर बन्दिश लगाई जानी चाहिए जिससे वे दुबारा कब्जा नहीं कर सकें। जो उनकी इस तरह की आदतें पड़ी हुई हैं उनकी वजह से किसानों को और शिडयूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जो तकलीफें हो रही हैं उनको मिटाया जाना चाहिए।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175, 212 223 और 225 में संशोधन किया जाय कि जिससे कोई भी व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर किसी अदालत में मुकदमे नहीं दायर कर सके।

श्री सभापति : इस बारे में माननीय सदस्य आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री नरपतराम बरवड़ : लेकिन यह उनके हित की बात है।

श्री सभापति : हित की बात है तो आपको लिखकर देनी चाहिए।

श्री नरपतराम बरवड़ : तो मेरा निवेदन है कि इन धाराओं के तहत संशोधन कर दिया जाय ताकि इन लोगों के खिलाफ कोई दावा नहीं कर सके और न स्थगन आदेश ला सके, न रिवीजन हो और न कोई अपील भी होनी चाहिए अन्यथा शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग अदालतों में बरबाद होते रहेंगे और अगर वे जीत भी जाते हैं तो भी उनका कब्जा बरबादी के कारण नहीं के बराबर रहता है।

(समय - समाप्ति - सूचक घंटी)

ऐसी स्थिति में इन धाराओं में संशोधन किया जाना बहुत ही आवश्यक है।

श्री सभापति : माननीय श्री मनोहरसिंह मेहता !

श्री मनोहरसिंह मेहता (माडलगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात दो मिनट में ही समाप्त करूंगा। मैं आपके मार्फत माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सचमुच में ग्रामों को और ग्राम सभाओं को मजबूत करना चाहते हैं तो जिस क्षेत्र की जितनी लैण्ड रेवेन्यू है वह आप उसके विकास के लिए दीजिये, पंचायतों को दीजिये। आज पंचायतें निर्जीव पड़ी हुई हैं और कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, इसलिए यह मेरी प्रार्थना है।

एक छोटी सी प्रार्थना मेरी यह है कि आपने जो लगान छोड़ा है, उससे मेरे क्षेत्र में किसानों की प्रतिष्ठा को आंच आई है, इसलिए उसको वापस लागू कर दीजिये और वहां के विकास में योग दीजिये।

श्री सभापति : माननीय श्री जगदीश सिंह !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री एच. एन. शर्मा !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री ईश्वचन्द्र !

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, मेरे चार कटौती प्रस्ताव है और मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा। सबसे पहले मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड का जो मौजूदा कम्पोजीशन है उसको बदलना अत्यन्त आवश्यक है। मैं इस सदन में निरन्तर बोलता रहा हूं कि ऐसे स्थानों में जहां पर कि ज्यूडिशियल फंक्शन्स को परफॉर्म करना पड़े उन स्थानों को आई. ए. एस. अधिकारियों से मुक्त रखना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की भूमि सुधार की बात करना बेकार है। मैं समझता हूं रेवेन्यू बोर्ड कोई सार्थक भूमिका अदा नहीं कर सकता है। अभी जो रेवेन्यू बोर्ड में आई. ए. एस. अधिकारी हैं उनको यह मालूम नहीं कि मूंगफली जमीन के अन्दर पैदा होती है या पेड़ पर लगती है, अरहर की दाल का पौधा कैसा होता है, तुअर का कैसा होता है, मसूर की दाल का पौधा कैसा होता है और बैठे हैं खेतों का और फसलों का फैसला करने के लिए। मैंने पहले भी निवेदन किया कि ऐसी जगहों में चाहे रावत भाटा का एटमिक पावर प्रोजेक्ट हो या और इसी प्रकार की जगह हो पता नहीं कहां से लाकर, ऑफिसर रखते है, कहीं पर स्थान नहीं मिले तो उन आई. ए.एस. आफिसरों को रेवेन्यू बोर्ड में रख देते हैं। कहीं पर किसी केस में एक पॉलिसी अपनाते हैं तो उसी प्रकार के केस में दूसरी पालिसी होती है, इसलिए जो लोग जमीनों से कटे हुए हैं, जिनका जमीनों से कोई रिश्ता नहीं है उस किस्म के आई. ए. एस. आफिसर आज रेवेन्यू बोर्ड में कब्जा जमाये बैठे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो वकील लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और दूसरी जगह वकालात करते हैं, जिनका काश्तकारों से सीधा सम्बन्ध है, उनको रेवेन्यू बोर्ड में लगाया जाना चाहिए, आधे से अधिक स्थानों पर उनको लगाना चाहिए और बाकी के स्थानों पर ज्यूडिशियल आफिसरों को लगाना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय। कई ऐसे लोग हैं जो काश्तकारों की प्रोब्लम को समझते हैं

(श्री ईश्वरचन्द्र)
तो सरकार क्यों नहीं उनको मौका दे रही है यह मेरी समझ में नहीं आता।

दूसरी बात धारा 175 के मामले हैं, इस सम्बन्ध में मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि आपातकाल के अन्दर हजारों काश्तकारों को बेदखल किया गया चाहे अनुसूचित जाति के हों अथवा सवर्ण हों, उनके पास रजिस्ट्री है, चिट्ठी है, फिर भी उनको बेदखल किया जा रहा है। उन लोगों को वापस जमीन मिलनी चाहिए। झालावाड़ जिले में इस तरह के कई केसेज हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में एक कमेटी नियुक्त करे। जिन आधारों पर यह प्रकरण चलाया गया है उसको खत्म किया जाय। जो भूमि अवाप्त कर ली गई है वह किन लोगों को दी जाय, उन्हीं लोगों को वापस दी जाय या जिनको बेच दी गई है उन्हें दी जाय, ये बहुत ही टिक्लिश प्रावलम्स हैं, इनमें कई समस्यायें आ रही हैं, इसकी ओर मंत्री महोदय को विशेष ध्यान देना चाहिए।

अब मैं अपने क्षेत्र भवानी मंडी की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। भवानी मंडी में एस० डी० ओ० की कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। 100 मील की दूरी से एक आदमी झालावाड़ में आता है। उसके आने जाने के अंदर कम में कम 20-25 रुपये खर्च होते हैं। उसके बाद एस० डी० ओ० कोर्ट की जैसी परम्परा है कि एस० डी० ओ० कभी कुर्सी पर बिराजमान नहीं होता है। उसका सामना करना पड़ता है मैंने कभी नहीं देखा कि वह गवाहों के बयान लेता हो या वहां पेशी होती हो। हजारों रुपये काश्तकार के बरबाद होते हैं। ग्राम दुधालिया, चौमहला, गंगधार, सुनेल, पिड़ावा एक विस्तृत क्षेत्र है, इसलिए भवानी मंडी में एस० डी० ओ० की कोर्ट की स्थापना करना जरूरी है। मैं एक शेर कहूंगा:

रकबा तुम्हारे गांव का मीलों हुआ तो क्या,
रकबा तुम्हारे दिल का दो इंच भी नहीं।

तो राजस्व मंत्री आप अपने दिल का रकबा बढ़ाइए। मंत्री महोदय, भवानी मंडी के लिए जवाब दें। इसके बाद भी वहां कोर्ट की स्थापना न हो तो मेरी समझ में नहीं आता, मैं कोई धमकी वाली बात नहीं करना चाहता। कांग्रेस सरकार की तरह केवल आश्वासन न दें।

दूसरी बात, सुनेल के अंदर सब-तहसील का होना आवश्यक है। सुनेल और पिड़ावा में 20 मील का डिफरेंस है। सुनेल पहले भी तहसील बन चुका है, इसलिए वहां सब-तहसील होना जरूरी है।

श्री सभापति : श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : मेरा एक कटौती प्रस्ताव इस बारे में है कि जैसलमेर जिले में जो नहरी क्षेत्र है वहां के लोगों को खातेदारी दी जानी चाहिए, दूसरा पुनः सेटलमेंट के लिए हैं।

श्री सभापति : दोनों बातें एक ही में हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : जी हां। समस्या यह है कि जब से जैसलमेर रियासत बनी, जब से लोग वहां आबाद हुए जब राजस्थान भी नहीं बना था, उससे पहले जो कई पीढ़ियों के लोग आबाद थे, वे लोग शुरू से ही किसान थे, शुरू से ही जमीन को बोते थे, काबिज थे, जमीन के मालिक थे,

(श्री किशन सिंह भाटी)

लेकिन जैसे ही काश्तकारी कानून 1955 आया उसको रिट्रास्पेक्टिव तारीख से गैर खातेदार घोषित किया गया। राजस्थान नहर उसके बाद में आती रहेगी। कल नहर मंत्री ने कहा था कि 1977-78 के बजाय राजस्थान नहर 1983-84 तक आ जाएगी, पता नहीं कब आएगी लेकिन उससे जो नुकसान होता है, उसको पहले ही लागू कर दिया। काश्तकारी कानून में धारा 15(ए) को जोड़ दिया गया। धारा 15(ए) से हमारे इलाके के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। नोखे का क्षेत्र, मोहनगढ़; रामगढ़, एक क्षेत्र जो करीब 200 मील एरिया का है वहां 150–200 गांव हैं; वहां के लोग जो हजारों वर्षों से थे, जमीन के जो मालिक थे, उनके मालकाना हक थे, जैसलमेर स्टेट के समय से लेकर उन लोगों को रिट्रास्पेक्टिव तारीख से गैर खातेदार घोषित किया गया। इसलिए राजस्व मंत्री नोट करें। मैं चाहूंगा कि 15(ए) को टिनेन्सी एक्ट से हटाया जाय और उन्हें खातेदारी दी जाए। गैर खातेदार रखने से यह नुकसान होता है कि न खेती को सुधार सकते हैं, न कुए खोद सकते हैं, न मवेशियों की सार सम्भाल कर सकते हैं और न खेती के इक्विपमेंट के लिए लकड़ी काट सकते हैं जैसे दूसरे खातेदार काटते हैं वह भूमि अधिग्रहण करने पर क्षति पूर्ति न दी जाती है। इसलिए धारा 15 (ए) राजस्थान काश्तकारी कानून से हटा दें। कोलायत के कोई 45 गांव हैं भूतपूर्व जैसलमेर रियासत के हैं वहां आए है। उनको और नाचना और रामगढ़ के लोगों का धारा 15(ए) से हटाकर खातेदारी हक दें। अन्त्योदय का कार्यक्रम चल रहा है, यह 13 बिंदुओं को लेकर किसान के फायदे के लिए हुआ है। आपने कहा अतिक्रमणों को रेगुलेराइज करेंगे, खातेदारी दी जाएगी लेकिन मेरे क्षेत्र में उल्टी नाव चल रही है। उनका तो संवत् 2012 से कब्जा है सेटलमेंट रिकार्ड में भी अतिक्रमी दर्ज है, राजस्व में हैं, आज तक तहसील रिकार्ड में काबिज हैं। पिछली सरकार ने भी उनको नहीं हटाया। इस अन्त्योदय कार्यक्रम में 40 गांवों में बेदखल किया गया। गत माह की 28 तारीख को खड़ी फसलों को कुर्क किया गया। मंत्री महोदय के पास गए थे उन्होंने आदेश भी निकाले, लेकिन अभी-अभी मुझे तार प्राप्त हुआ है, वह स्टे आर्डर जयपुर में ही पड़ा है। आज से 15 दिन पहले का आदेश अभी नहीं मिला है। अन्त्योदय योजना दूसरी जगह और हुई है, मेरे यहां उल्टी मत कीजिए। जो 50 वर्ष से काबिज हैं, उनको कानूनन आप नहीं हटा सकते, वे नियमन के अधिकारी हैं। नियमन की जिए, खातेदारी दीजिए।

जैसलमेर का इलाका ऊबड़-खाबड़ इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, लोग पढ़े-लिखे नहीं थे लिहाजा जो अमीन गए उन्होंने सही एन्ट्रीज नहीं की, धोरे थे। जिस समय गए थे उस समय फेमिन था, इस कारण से जितनी काश्त शुदा जमीन किसान के कब्जे में थी, जितनी पर फसल थी, उतनी बता दी। मगर 100 बीघे का कब्जा शुदा खेत था और 2 बीघा में फेमिन में काश्त करता, तो बाकी में फसल नहीं बोता था। मेरे यहां के लोग नामेडिक हैं तो उनकी एन्ट्री, जितने वे काबिज थे उसका बीसवां हिस्सा भी नहीं हुआ। अभी उसको समरी को आधार मानकर, जो 25 वर्ष से काबिज हैं, जो खेती करते हैं उनकी सारी अपीलें खारिज की गई हैं। फेमिन ईअर का आधार

Page No 96

(96)

(श्री किशनसिंह भाटी)

मानकर जो 100 बीघा के मालिक थे उनकी 5 बीघे की एन्ट्रीज हैं। अभी भी काबिज हैं, इसलिए उनका पुनः सैटिलमेंट करवाना चाहिए। उस इलाके की विशेष समस्यायें हैं। हर खेत में तीन महीने आंधी चलती है। यदि किसान गांव में मवेशी के पीछे जाए, एक फलांग के बाद वापस आए तो फुटप्रिन्ट्स ही मिट जायेंगे। एक साल में एक दो फीट रेत ऊंची चढ़ती है। क्योंकि जिस खेत में कटाव होता है, उस खेत को हर तीसरे साल छोड़ना पड़ता है और वापस उसमें घास होती है, रेत जम कर खेती काबिल होता है इस प्रकार रोटेशन से खेती होती है। उस समय कम खेती थी, उसकी एन्ट्रीज की गई इसलिए वहां रोटेशन, आंधी को देखते हुए, खेती की भूमि के कटाव को देखते हुए, वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, रेवेन्यू की बातों से वाकिफ नहीं थे, उनका सेटलमेंट पुनः होना चाहिए। धारा 15 ए हटानी चाहिए और 40 गांवों के लोगों को अभी बेदखल किया गया है, फसलें कुर्क की गई हैं, उसके लिए तुरन्त आदेश जारी करें, बेदखली को रोकें वरना अन्त्योदय कार्यक्रम और भूमि-सुधार दूसरी जगह तो लागू हुआ परन्तु मेरे यहां किसान को बरबाद करके उल्टे परिणाम लायेंगे।

श्री सभापति : श्री हीरालाल !

श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र किसानों का है। खेती के अलावा काश्तकार के पास आजीविका का दूसरा माध्यम नहीं है। मैं आपका ध्यान सीलिंग कानून की ओर दिलाना चाहता हूं। सीलिंग कानून आपने लागू किया, बहुत अच्छा, इसका स्वागत है लेकिन जिस तरह से इसको लागू करने में अनियमिततायें बरती गई हैं, उससे किसान बहुत परेशान है। उस परेशानी से किसानों को आए दिन थानों, तहसीलों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आज सीलिंग के अन्दर कितने ही ऐसे केसेज हैं जिनमें तहसीलदारों ने और पटवारियों ने बहुत भारी गड़बड़ी की है। जिस जमीन को किसान नहीं देना चाहता था उसकी वह जमीन तो ले ली, और जिसे वह देना चाहता था वह जमीन उन्होंने नहीं ली। इस कारण से आज किसानों में भारी असन्तोष है। आज राजस्व विभाग में तहसीलदारों और पटवारियों की इन्हीं अनियमितताओं के कारण किसान को परेशान होकर कोर्ट में जाना पड़ा है। जब उन्हें ज्यादा परेशान किया गया तो किसान के पास कोई चारा नहीं रहा इसके सिवाय कि वह कोर्ट में जाय। आज पटवारी ने कई खातों में खाते नम्बर बदल दिये है। खाते नम्बर बदलने से काफी दिक्कतें जमीनों के बारे में आ गयीं और आज हमारा गरीब किसान अदालतों में चक्कर काट रहा है। आज सीलिंग के अन्दर जो जमीन ली थी, वह उन्होंने दूसरे को ही अलॉट कर दी। जब कि, सभापति महोदय, यह सीलिंग कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सीलिंग की जमीन अगर कोई विवादग्रस्त है तो उसका अलॉटमेन्ट नहीं हो सकता है। लेकिन इन तहसील के पटवारियों ने, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने एक ही भूमि तीन तीन लोगों के नाम अलॉट कर दी। कई मामले इस प्रकार के हैं कि एक ही जमीन के तीन मामले कोर्ट में चल रहे हैं। तीनों लोगों

(श्री हीरालाल आर्य)

के नाम, सभापति महोदय, इस प्रकार हैं, एक तो वह जिसकी कि भूमि है, दूसरा वह जिसके पास उसने पहले कभी गिरवी रख दी थी और वह बरसों से उस पर काश्त कर रहा है तीसरा वह जिसको अभी नयी अलॉट हुई है। तो इस प्रकार कई झगड़े हो गये और आज इन्हीं झगड़ों की वजह से सीलिंग के केस अदालतों में चल रहे हैं। इन सब के अदालतों के अन्दर चलने का कारण पटवारी और तहसीलदार का गलत अलॉट-मेन्ट करना व म्यूटेशन में गड़बड़ियां करना है।

सभापति महोदय, हमारे यहां का किसान एक ऐसा व्यक्ति था जो कि शान्ति से बैठकर जीवन-यापन करता था। उनके आपस में कभी झगड़े नहीं होते थे और वह लोग कभी अदालतों में नहीं जाते थे। पर इन राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों ने सीलिंग एक्ट के तहत जबरन इधर-उधर के अलॉटमेन्ट करके, जबरन जमीन जो किसान नहीं देना चाहता था उसको सीलिंग में लेकर और जो देना चाहता था उसकी वह जमीन नहीं लेकर किसान को बुरी तरह से परेशान किया। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जितने सीलिंग के मामलों के अन्दर गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच कराकर दोषी अधिका-रियों और कर्मचारियों को दण्ड दिया जाय।

सभापति महोदय, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव यह है कि सीलिंग के अन्दर विधवाओं और नाबालिगों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इसके बारे में मेरा यह निवेदन है, सभापति महोदय, विधवाओं का नाम दर्ज नहीं करने और नाबालिग बच्चों के नाम सीलिंग में जमीन देने का कोई प्रावधान नहीं रखने के कारण उनको बहुत दिक्कत हुई है। अगर कोई आज बालक है तो क्या वह हमेशा ही बालक रहेगा? वह बड़ा होकर बालिग नहीं होगा? इसके अलावा इनके घर पर कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही थी कि जिससे वह उस फैक्ट्री पर अपना जीवन-यापन कर लें। वह तो बेचारे खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन नाबालिगों को यूनिट माना जाना चाहिये। इसके साथ ही विधवाओं को भी यूनिट माना जाना चाहिये।

श्री सभापति : इस पर आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य : सीलिंग पर मेरे कटौती का प्रस्ताव है।

श्री सभापति : सीलिंग कानून में संशोधन हो, इसके लिये नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य : किसानों की बात पटवारियों और तहसीलदारों ने नहीं मानी। जोर जबरदस्ती की। सीलिंग कानून में विचार करने की आवश्यकता है। इसमें राहत दी जाय किसानों को। जो लोग पैसे वाले थे, जो लोग उनके मित्र थे, धनवान थे, जिन्होंने पैसे दे दिये, जिनके पास जमीन है जो बाहर के थे उनके नाम अलॉटमेन्ट हो गये पर बेचारे स्थानीय गरीब लोगों को कोई जमीन का अलाटमेन्ट नहीं हुआ। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें जो भी अनियमिततायें हुई उनकी जांच की जानी चाहिये और दोषी अधिकारियों के खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, एक मिनट और। इसके अलावा, सभापति महोदय, अभी पिछले समय जो अलॉटमेन्ट किये थे जमीनों के हमारे यहां इन्द्रगढ़ नायब तहसील में बाबई और बलवन कई गांव और हैं जहां पर अलॉटमेन्ट हुए वह इतने गलत हुए कि जो किसान बरसों से, करीब 10–15 सालों से खेती उस जमीन पर कर रहे थे उन लोगों ने वहां पर कुए बनवा लिये पर उस जमीन का वहां के नायब तहसीलदार ने पुलिस को साथ लेकर अलॉटमेन्ट दूसरे लोगों के नाम करवा दिया था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस सारे मामले की जांच करावें और जो बेचारे लोग बरसों से जिस जमीन को जोत रहे थे वह जमीन उन्हीं के नाम अलॉट होनी चाहिये। और इस मामले में जो दोषी व्यक्ति हों उनके खिलाफ में कार्यवाही की जाकर जो पहले बरसों से उस जमीन पर काश्त करते थे उन्हें वह जमीन दिलायी जावे तथा उन्हें खदेड़ा नहीं जाय।

श्री सभापति : श्री ओमप्रकाश!

(अनुपस्थित)।

श्री निर्मलकुमार!

(अनुपस्थित)

श्री नवरंगसिंह!

श्री माधोसिंह (रेवदर) : सभापति महोदय, मेरा भी कट मोशन दिया हुआ है।

श्री सभापति : श्रीनवरंगसिंह। माननीय सदस्य माधोसिंह जी, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : सभापति महोदय, मेरा कट मोशन है। आप चाहें तो सभी बोल चुकें उसके बाद में बोलने दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं बिलकुल आपको बोलने का मौका नहीं दे सकता हूं। आज पहले ही आपके नेता महोदय से बात हो चुकी है। उन्होंने जिन-जिन के नाम दिये हैं उनको ही बोलने दिया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : आप बता दें कि किन-किन व्यक्तियों के नाम बोलने के लिये दिये गये हैं।

श्री सभापति : आप विराजिये। मैं आज एक मिनट का भी समय नहीं दे सकता क्योंकि आज चार बजे बुलेटिन लगने वाला है। श्री नवरंगसिंह!

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदय, आज की मांग पर मेरे चार कट मोशन हैं। पहला तो हमारे तहसील उदयपुर (शेखावाटी) में इन्तकाल का है। एक व्यक्ति जिसको मरे तीस साल हो गये, 30 साल हो गये हैं पर वह जमीन अभी तक उसी व्यक्ति के नाम चली आ रही है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री महोदय को वह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों की मृत्यु हो गयी है उनकी जमीनों का म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ? आज पटवारी और तहसीलदार द्वारा चाहे कोई कारण हो, चाहे कोई प्रलोभन हो या लालच हो किसी के मर जाने के बाद भी वह जमीनें जिसको मिलनी चाहिये उनके नाम वह जमीन नामान्तरकरण नहीं की जाती हैं जिससे काश्तकारों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है। एक तो काश्तकार को जमीन नामान्तरण नहीं होती है दूसरे उस जमीन के माध्यम

(श्री नवरंगसिंह)

से जो वह दूसरे फायदा उठा सकता है वह नहीं उठा पाता है। अभी, सभापति महोदय, जब सन्जय गान्धी ने अपने कांग्रेस राज्य में एक अभियान चलाया था तब उसमें कई लोगों को जमीन अलॉट की गयी थी लेकिन उनके नाम उन अलॉटमेन्ट की हुई जमीनों का म्यूटेशन नहीं होने के कारण वह सिर्फ कागजी घोड़े की तरह ही होकर रह गयी। अगर आप भी उसी तरह जो अभी आगे अभियान अक्टूबर से चलाने वाले हैं उसमें उसी पेटर्न पर कार्यवाही करना चाहते हैं तो आपका भी अभियान संन्जय गांधी के अभियान की तरह असफल और कागजी घोड़े की तरह होकर ही रह जायेगा। इसलिये मेरा माननीय राजस्व मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि वह इस अभियान को बहुत ही सावधानी से चलावें। आप अभी से अपने नीचे के अधिकारियों को इसके लिये अच्छी तरह से सचेत कर दें।

सभापति महोदय, इसके अलावा जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह है कि आज अदालतों में काश्तकारों के बीसों, तीसों सालों से कोर्ट में केस चल रहे हैं पर अभी तक उनका फैसला नहीं हुआ है। उसके लिए मेरा निवेदन है कि आप अब टिनेन्सी एक्ट में ऐसे संशोधन करायें कि जिससे काश्तकारों के हक में फैसला हो। सभापति महोदय, हमारे झुन्झुनू जिले में पिछले चालीस साल, 45–साल से कोई सैटलमेन्ट नहीं हुआ है और जो पहले कभी भी सेटलमेन्ट हुआ तो सही नहीं हुआ। यों ही लोगों को जमीन बिना नाप तोल के दे दी जाती थी और यही कारण है कि आज हमारे जिले में सीर के बहुत झगड़े पैदा हो गये हैं, काश्तकारों के बीच में रास्तों के झगड़े पैदा हो गये हैं और आज कई केसेज अदालतों में चल रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप इस टिनेन्सी बिल में संशोधन करके, इसमें सुधार लाकर काश्तकार को राहत पहुंचावें। आज वहां पर, सभापति महोदय, दस-दस और पांच-पांच बीघा जमीन के सैकड़ों केसेज चल रहे हैं। सैकड़ों लोगों को फर्जी जमीनें अलॉट करदी गयी हैं और इससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ है पर आज तक शिकायतें होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसलिये मेरा, सभापति महोदय आपके माध्यम से राजस्व मन्त्रीजी को यह निवेदन है कि सर्व प्रथम हमारे यहां पर जो टेनेन्सी एक्ट है उसको बदला जाना चाहिये। वह सुधार भी आप ऐसा करें कि जिससे किसानों को अपना हक मिले।

इसके अलावा मैंने एक कटौती प्रस्ताव नवलगढ़ के एस० डी० ओ० साहब के खिलाफ में दिया है उसमें हमारे नवलगढ़ में जो एस० डी० ओ० श्री जगदीशप्रसादजी शर्मा हैं वैसे तो मैं इस सदन में उनके किस्से बता चुका हूं। जब हमारे यहां पर चुनाव हुए थे तो इन महाशय ने यह कहा था कि आप केशरदेव मिन्तर को वोट दें। और मिन्तर के लिये उन्होंने खुल कर प्रचार किया। उन्होंने यह कहा कि आप तो समझो कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं आप मुझे वोट देना समझ कर मिन्तर को वोट दें। अभी जब हमारे मुख्य मन्त्रीजी वहां पर गये थे तो उनके सामने भी मैंने यह सूचना दी थी और उन्हें यह बताया कि उन्होंने किस तरह से आपातकाल में लोगों के साथ ज्यादतियां कीं। एक व्यक्ति को आपातकाल में बन्दी बना लिया बिना केस के। और

(श्री नवरंगसिंह)

बाद में जब उनको पैसा मिल गया तो उन्होंने उसे छुड़ा दिया। इसका कहीं भी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। इस प्रकार उन्होंने खूब भ्रष्टाचार फैला रखा है। अभी जब नगरपालिकायें भंग हुईं तो उन्हे वहां पर एस० डी० ओ० होने के कारण प्रशासक बनाया तो उन्होंने वहां पर एक मालियों को घास के मामले को लेकर परेशान किया। इसके बाद मैंने मुख्य मन्त्रीजी से बात करके इन्हें वहां पर प्रशासक के पद से हटवाया पर अभी वहां पर इलेक्शन होने के लिये वोटर लिस्ट बनी है उसमें उन्होंने कई नाम गायब कर दिये हैं और कई व्यक्तियों के नाम हटा दिये हैं। जो कि वहां पर बरसों से रह रहे हैं उनका नाम उन्होंने नहीं लिखा। अपनी मनमानी कर रहे हैं।

माननीय गृह मंत्रीजी अभी नवलगढ़ गये थे, वहां के लोगों ने गृह मंत्रीजी के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जांच करवायी जायगी और इमर्जेन्सी में ज्यादतियां की हैं उनको निलंबित करके जांच करवायी जायगी। माननीय मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करूंगा कि काश्तकारों के हकों का ध्यान रखते हुए एक्ट में संशोधन कराये जायं।

श्री सभापति : श्री उगमराज मेहता !

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल ऐरन !

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव द्वारा नसीराबाद में उप-तहसील की मांग की है। नसीराबाद फौजी छावनी है। वहां पर लगभग 30 हजार आदमियों की बस्ती है। मेरे क्षेत्र में 110 गांव हैं जिनमें से 102 गांव ऐसे हैं जहां के ग्रामवासियों को नसीराबाद होकर अजमेर जाना पड़ता है। जब से केन्टोनमेन्ट की नसीराबाद में स्थापना हुई है तभी से वहां तहसील रही है। प्रथम विश्व युद्ध के समय नसीराबाद से तहसील तोड़कर अजमेर में मिला दी गई। आज तक बराबर मांग चलती रही है कि तहसील की स्थापना की जाय। पिछली कांग्रेस सरकार ने सर्वे भी करवाया। उस सर्वे में यह स्पष्ट हो गया कि तहसील कायम करने में एक पैसे का भी आर्थिक दबाव नहीं पड़ने वाला है, कोई फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स नहीं पड़ने वाले हैं। मामला इसलिये दबा दिया गया कि तत्कालीन मंत्री महोदय नारायणसिंहजी मसूदा में तहसील की स्थापना चाहते थे। इस कारण मामला खटाई में पड़ गया। तब ही से मांग बराबर चलती आ रही है कुछ सप्ताह पहले कलेक्टर ने नसीराबाद में तहसील की पुनः स्थापना की सिफारिश की है, राजस्व मंडल ने भी की है। आर्थिक भार कुछ भी नहीं आ रहा है तो राजस्व मंत्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र तहसील की स्थापना की जाय।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि कई बार कहा कि नसीराबाद क्षेत्र में चरागाह के लिये जमीन नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका इस पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री भंवरलाल ऐरन : चूंकि समय है इसलिये संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं। एक मिनट लूंगा।

वहां पर लोगों को चरागाह की भूमि आवंटित कर दी गयी और एक इंच भूमि

(श्री भँवरलाल ऐरन)

भी चरागाह के लिये नहीं छोड़ी। न्यारा गांव में गूजरों ने भूमि आवंटित करा के चरागाह में परिवर्तित कर ली। उस पर एक मात्र उनका आधिपत्य है, कब्जा है। मैं राजस्व मंत्रीजी से आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जहां पर गोचर भूमि आवंटित की गयी है वह तुरन्त खाली करायी जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री मणीराम !

श्री मणीराम (तारानगर) : माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मेरा माननीय मंत्रीजी को निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो है वह लोगों को आवासीय भूमि न मिलने की है। गांवों में बड़ी भारी यह समस्या है। इसलिये इस पर मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किया है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे क्षेत्र में कतई जमीन नहीं है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे आबादी भूमि खतम हो गयी। बन्दोबस्त हुआ, उसमें गांव बढ़ गये लेकिन आबादी भूमि वही रही। इसके कारण गांव के आस पास जो गोचर भूमि थी या आराजी भूमि थी उस पर लोग आबाद हो गये। मेरे क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है, इसलिये पानी के लिये भी लोगों ने कुण्ड बना लिये और उन्होंने रिहायशी मकान बना लिये। मवेशियों के लिये बाड़े बना लिये। इस कारण उनके ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की ओर से सैकड़ों मुकदमे चलने लगे और हजारों लोग अदालतों के चक्कर काटने लगे। लोगों ने हमारे सामने आकर रोजाना शिकायतें कीं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सन् 1970 में गंगानगर में आन्दोलन चला। उसकी सहानुभूति में चूरू जिले में भी आन्दोलन शुरू किया गया। बहुत सी मांगें हमारी भी उनके साथ थीं। हमने आबादी भूमि की डिमान्ड भी रखी। लेकिन वे अपनी बात पर अड़े रहे और हमारी बात को नहीं माना। आखिर सरकार ने मजबूर होकर गंगानगर आन्दोलन को दबाने के लिये मंजूरी दी। लेकिन वह आन्दोलन यों का यों ही चलता रहा। फिर गंगानगर के लोगों को खुश करने के लिये सरकार ने कुछ दिया। चूरू जिले का आन्दोलन चला इसमें हमारी मांग थी उसमें आबादी भूमि की मांग खास थी। 46।। हजार इन्तकाल पिछली पैमाइश में खारिज हुए इनके सम्बन्ध में भी मांग थी उन्होंने कहा कि कलेक्टर द्वारा आॅर्डर देकर पटवारियों से बाड़े, बटोडे, मकान जिन्होंने बना लिये उनके नक्शे कलेक्टर आॅफिस में मंगा लिये जावेंगे और कलेक्टर और जिला परिषद मिल कर फैसला कर लेंगे व मंजूर हो गया। चूरू जिले के बाड़े, बटोड़े कुण्ड, मकान आदि के नक्शे मांग लिये और जिनके नाम हैं उनको पट्टे दे दिये। कुछ एक लोगों को पट्टे जारी किये लेकिन आबादी भूमि फिर भी नहीं बढ़ी है। हर गांव में आबादी भूमि के लिये झगड़े चल रहे हैं। भालेरी गांव में गोली चली है, लाठी चली है और गांव में मुकदमेबाजी चल रही है। हर गांव में मुकदमे चल रहे हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अन्त्योदय के साथ-साथ गांव की आबादी भूमि, जितनी दूर में गांव आबाद हों, उन लोगों से छुड़ाने की कोशिश करें। जितनी जमीन है वह आबादी भूमि में अलाट की जाय। माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर जाना चाहिये। यह गांव की समस्या है इसलिये इस पर ध्यान देकर

(श्री मणीराम)

शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य को हाथ में लेकर ऐसे ऑर्डर दें जिससे गांव की समस्या का समाधान हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट

इसके साथ साथ गांवों के अन्दर जो इन्तकाल के मामले हैं इसके विषय में हमारे गांव के काश्तकारों को पटवारी लोग बहुत बुरी तरह से नोच नोचकर खाते हैं। इसके लिए भी आप कोई ऐसा आदेश निकालें कि किसानों के साथ वह कर्मचारी लोग अच्छा व्यवहार करें और इन्तकाल के मामलों में उनको ज्यादा परेशान और हैरान न करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री अब्दुल हादी !

(अनुपस्थित)

श्री श्योपतसिंह !

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्व के सम्बन्ध में जो सबसे बड़ी शिकायत है वह सीलिंग कानून के बारे में है। 30 साल तक कांग्रेस सरकार ने भी सीलिंग के बारे में इस देश के गरीबों को भरोसा दिलाये रखा और सीलिंग कानून को दिखाकर कांग्रेस ने सारे जागीरदार तबके को अपने साथ मिलाये रखा। कांग्रेस सरकार ने सीलिंग कानून लागू नहीं किया इसके पीछे यह मंशा थी कि सीलिंग का डर बनाये रखो। देश के पूंजीपति और जागीरदार दोनों को मिलाये रखकर कांग्रेस ने देश पर हुकूमत की, उनको सीलिंग का भूत दिखाये रखा....

श्री सभापति : इस बारे में आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : है, है। आखिरकार जमीन कहां से मिलेगी ? मैं जागीरदार हूं इसलिए बता रहा हूं।

श्री सभापति : इस बारे में नहीं है। अपने कटौती प्रस्ताव तक ही सीमित रहें।

श्री श्योपतसिंह मकासर भूमि अलाटमेन्ट का इससे सम्बन्ध है। आखिर भूमि कहां से आयेगी ? भूमि कहीं से सरप्लस मिलेगी तब ही तो आयेगी। माननीय सदस्य परेशान हो रहे हैं। एक जागीरदार अगर यह बात कहता है तो आपको खुशी होनी चाहिये। यह आपकी हुकूमत की कमजोरी रही कि मुझे जागीरदार रहने दिया। अब भी सरकार को कहता हूं कि मेरी जमीन काटो और वह भूमि किसानों को दो। लेकिन आपके गुनाहों से यह सीलिंग कानून लागू नहीं हुआ।

आखिरकार भूमिहीन किसानों को भूमि कहां से मिलेगी ? लगातार तीस सालों तक आपने उनको भूमि नहीं दी और सारी की सारी जमीन अलाट कर दी और चरागाह के नाम से, जंगलात के नाम से, रिजर्वेशन के नाम से, भेड़ और ऊन के नाम से, विद्यार्थियों के नाम से। अलग अलग तरह से जितनी भी सरकारी जमीन पड़ी थी वह अलाट कर दी जितनी भी बढ़िया जमीन थी वह सारी की सारी जमीन आपने छुई नहीं और सीलिंग लागू किया नहीं हमारे राजस्व मंत्री जी बुजुर्ग हैं और शायद उनसे ज्यादा काम नहीं संभले इसलिए मेरा सुझाव है कि आप एक कानून पास कर दो अब तक जितने कांग्रेसियों ने गुनाह किये अगर आप उनको धोना चाहते हैं अगर आप उनसे अच्छा काम करना चाहते हैं

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

तो एक कानून पास कर दीजिए 'लेण्ड टू दी टिलर्स' जो काश्त करेगा उसके पास जमीन रहेगी। क्यों रहे किसी वकील के पास ? क्यों रहे किसी मिनिस्टर के पास ? क्यों रहे किसी नेता के पास ? क्यों रहे किसी सेठ के पास ? आज हिन्दुस्तान के अन्दर टाटा और बिड़ला सबसे बड़े जागीरदार हैं। आपको जानकर हैरानी होगी वह कारखानेदार नहीं हैं। अगर सबसे ज्यादा जमीन की होल्डिंग किसी के पास है तो राजस्थान में बिड़ला के पास है एक काम कीजिए कि बेकार इन्सान है जिसके पास जमीन नहीं है, कोई काम नहीं है या तो उसको आप रोजगार दें और अगर रोजगार नहीं देतेहैं तो फिर जमीन दें। एक काम वह चूज कर ले। एक परिवार में एक आदमी को रोजगार मिले इस बात को आप तय कीजिए। यही आल्टरनेटिव है, दूसरा और आल्टरनेटिव नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा सुझाव यह था कि पटवारी एक ही बहुत था। अब तो जगह जगह आपने पटवारी कर दिये; खास तौर से हमारे सिंचित क्षेत्र में नहरी पटवारी है, रेवेन्यू का पटवारी है, सैटलमेन्ट का पटवारी है। आखिर सब पटवारियों का काम एक ही है। इसलिये गांव में एक पटवारी कीजिए। अलग अलग पटवारियों की बीमारी हमको खाये जा रही है। इस बीमारी ने किसानों को परेशान कर दिया है। पटवार संघ ने भी मांग की है कि एक गांव में एक पटवारी हो। चाहे सैटलमेन्ट का काम हो और चाहे दूसरा काम हो एक पटवारी ही करे। अब आपने पटवारियों के जिम्मे रेवेन्यू वसूलियों का भी काम दे दिया। यह रेवेन्यू वसूली का काम उससे आप छुड़ाइये। एक एरिया में एक ही पटवारी रखिये और बाकी वसूली का काम सरपंच को दे दीजिए। होल टाइम उसको पेज मिलेगी। पहले जैसे नम्बरदार वसूल करते थे उसी तरह से नम्बरदार वसूली करे और वसूली करके सरपंच के पास रखें। सरपंच जाकर उसको खजाने में जमा कराये।

तीसरा सुझाव रास्ते के बारे में दूंगा। यह टेढ़े-मेढ़े रास्तों ने बहुत जमीन बेकार की है। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी दो मील होंगी और जब रास्ते से जायेंगे तो चार मील की दूरी हो जायगी। इसलिए पंजाब और हरियाणा में विलेज टू विलेज स्ट्रेट रोड्स ले गये हैं। सीधा रास्ता होना चाहिए। इससे आपकी लाखों एकड़ जमीन बच जायेगी और लोगों की परेशानी कम होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय मंत्री महोदय, आपने चाही जमीन का लगान बहुत ज्यादा लगा रखा है। इसमें सरकार का क्या है ? जमीन को तो खुद काश्तकार ने डवलप किया है, उसने कुआ खोदा, वह पानी निकालता है, अगर आपने उसको बिजली दी है तो वह बिजली के पैसे आपको देता है। बिजली नहीं है तो कुए से पानी निकालता है। आप उससे चाहती जमीन का किस तरह से रेवेन्यू रेट ज्यादा ले रहे हैं ? कौन सी ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी फिलासफी है, कौन सा कारण है ? इसलिए मेहरबानी करके जो आदमी अपना कुआ खोदता है, अपना कुआ चलाता है उससे चाही की रेट न लें और बारानी के बराबर रेट लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : बस काफी हो गया, समाप्त करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : असली तो बीमारी यही है। अकेला भाखड़ा नहीं है, राजस्थान कैनाल नहीं है. चम्बल और दूसरी भी जितनी परियोजनायें है, वहां नहरी जमीन है। मन्त्री महोदय एक काम कर दें तो आपकी याद रह जायेगी। आपका शासन, पता नहीं, कितने दिन रहे लेकिन आपको जरूर याद करेंगे यदि हर प्रोजेक्ट एरिया में जमीन किसान को देवें। हर नहरी क्षेत्र में कलेक्टरों की भीड़ है, कमिश्नरों की भीड़ है लेकिन वहां किसी आई० जी० पी० की जमीन है, किसी नेता की जमीन है। जितने भी लोगों ने कोलोनाइजेशन एरिया में नाजायज तरीकों से जमीनें हड़प रखी हैं उनकी सी० डी० आई० जांच कर रही है। आप बतायें कि वह क्या जांच कर रही है? 10 ऐसे परिवार हैं कभी मौका आयेगा तो बाद में बताऊंगा, मेरे पास है डाकुमेन्ट्स आ रहे हैं। अभी मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। एक परिवार के पास राजस्थान कैनाल में 2500 बीघा जमीन है। सीतादेवी, गौमतीदेवी, सारे साले, सारे रिश्तेदार, सारे भानजे के पास जमीन है, इस प्रकार 2500 बीघा जमीन एक परिवार ने ली है। इसी तरह से तमाम आफिसर्स हैं जिन्होंने जमीनें ली हैं। आप उन जमीनों पर कब्जा कीजिए। पहला स्टेटमेन्ट आया माननीय मुख्य मन्त्री जी का कि जांच की जायगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के मौके पर हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि 1962 से लेकर आज तक की तमाम जांच करायेंगे और उस जांच में जिन लोगों के नाम आयेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। वह जांच ठंडी हो रही है। गर्मी में जांच का एलान किया और सर्दी आते-आते कहीं ठंडी न हो जाये। जब आपने ऐलान किया है तो क्यों नहीं जांच हो रही है? क्या वजह है? तीन महीने हो गये हैं। आपने तो कहा था कि ग्रो मोर फूड में उन लोगों ने जमीन ली जिनका जमीनों से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह जमीनों के मालिक बने हुए हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि महरबानी करके जमीन किसान के बच्चे को दीजिये, जिसका लगाव है जमीन से, जमीन उसको सौंप दीजिये ताकि पैदावार बढ़े और दूसरे लोगों को दूसरा काम करने दीजिये।

श्री सभापति : विराजिये आप। माननीय श्री सूरजपाल सिंह !

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, मैंने दो कटौती प्रस्ताव दिये हैं। सब से पहले मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 91 के तहत भीनमाल क्षेत्र में कई मामले पैन्डिग पड़े हुए हैं उनको शीघ्र निपटाने के लिये प्रयास किया जाना चाहिये।

दूसरा गोचर भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं। अभी भी गांव विशाला के अन्दर कुछ लोगों को वहाँ अलाटमेंट करने के लिये इजाजत दी है, गोचर भूमि के अलाटमेंट करने की प्रक्रिया चल रही है उसको रोकने के लिये ध्यान दीजिये।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक ओर महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना

105

(श्री सूरजपाल सिंह)

चाहूंगा। वह मुद्दा है सीलिंग के तहत जो जमीन आई है उसकी किस्म डिसाईड करने के बारे में। सैटलमेंट में जो सब क्लासिफिकेशन किया गया है उसके अनुसार सीलिंग के केसेज को डिसाइड करें।

श्री सभापति : इसके बारे में आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है। आप कटौती प्रस्ताव तक सीमित रहें।

श्री सूरजपालसिंह: यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, निर्धारित समय में खतम कर दूंगा।

श्री सभापति : आपको कट मोशन में लिखना चाहिए था कट मोशन जो विषय है, उस पर बोलिये।

श्री सूरजपालसिंह : कटौती प्रस्ताव मैंने 4-5 दिये थे, लिस्ट में दो हैं। सैटलमेंट में जो सब क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उस के हिसाब से सीलिंग मुकदमे निपटाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। सब क्लासिफिकेशन के अन्दर अगर सिंचित भूमि 10 बीघा लिखी हुई है और बाकी की भूमि बारानी है, जमीन है तो 60 बीघा लेकिन 10 बीघा सिंचित है तो उसे ही सिंचित माना जाना चाहिए और 50 बीघा को बारानी। पूरी 60 बीघा सिंचित मानना उनके साथ अन्याय है। दूसरी तरफ जो भूमि सरकार अवाप्ति के द्वारा लेती है वह अगर कहीं बारानी भूमि भी है अवाप्त करने के हेतु पिछले तीन साल की गिरदावरी के आधार पर।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसको सिंचित मानकर अवाप्त कर ली जाती है। एक तरह से यह उन के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये। रेवेन्यू बोर्ड में भी कई लोगों के मामले इस मुद्दे पर विचाराधीन हैं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कारण लोगों में बड़ा असन्तोष है। इसलिये इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं आप का ज्यादा समय बरबाद नहीं करना चाहूंगा इसलिये इतना कह कर स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री दाऊ दयाल जोशी!

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि मैं यहां आने से पहले अपने चुनाव क्षेत्र दीगोद गया था। मैंने मूंदड़ा गांव के पास सड़क पर मुर्दा जलता हुआ देखा। मैं बस से उतरा। मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि डामर रोड है, डामर रोड से लगती हुई जमीन के पास मुर्दा जलाया जा रहा है। गांव के लोगों से उनमें शामिल होने के बाद पूछा कि गांव में श्मशान नहीं है। तो उन लोगों ने दुःख के साथ कहा कि एक ×× ने नसबन्दी कराई थी और उस नसबन्दी के फल स्वरूप....

श्रीमती सुमित्रासिंह : हरिजन को ××× कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रतना राम : चमार शब्द को वापस लीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिये विद्वतापूर्ण तरीके से सम्बोधन किया जाना चाहिये। शिड्यूल्ड कास्ट को शिड्यूल्ड

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सभापति)

कास्ट के तरीके से सम्बोधित नहीं किया जाना चाहिये। जातिविहीन स्टेट में हम विश्वास करते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : यह शर्मा, शेखावत क्यों लगाते हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : श्मशान की जमीन को नसबन्दी के पुरस्कार स्वरूप जाति विशेष के बन्धु को अलॉट कर दिया गया, श्मशान अलाट कर दिया गया सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, यह है आपका काम, जिसमें आपने श्मशान तक की चिन्ता नहीं की। उस समय बोल नहीं सकते थे, मूक थे, किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल सकता था, इसलिये श्मशान भूमि को भी अलाट कर दिया, इस बात की चिन्ता नहीं की कि किसी घर में भी मुर्दा होगा तो वह कहां जलेगा, उसके जलाने के लिये कौन सा स्थान होगा? श्मशान भूमि तक अलाट कर दी गई और आज कहते हैं गोचर भूमि को छुड़ाया जाना चाहिये। श्रीमान् सभापति जी, मैं निवेदन करूंगा कि गोचर की बात दूर रही, श्मशान तक अलाट हो गये। मैं तुरन्त कोटा गया।

(व्यवधान) × × ×

श्री सभापति : कृपया बीच में मत बोलिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीमान्, वही बता रहा हूं। मैं कोटा गया, गांव वालों से प्रार्थना पत्र लिया...

श्री सभापति : आप उधर नहीं देखें। मेरी तरफ देख कर बोलें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं उधर नहीं देख रहा हूं।

मैं निवेदन कर रहा था, मैंने कलेक्टर कोटा से निवेदन किया, श्मशान तक पिछली सरकार ने अलॉट कर दिया। मुर्दा सड़क पर जल रहा है। यह आंखों से प्रत्यक्ष देख कर आया हूं। सौभाग्य की बात है, कलेक्टर ने उस बात को स्वीकार किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दुर्भाग्य है कि इमर्जेन्सी में श्मशान अलाट हो गये, गोचर भूमि अलाट हो गई, रास्ते अलाट हो गये। सभापति महोदय, इमर्जेन्सी में इस प्रकार की होड़ लगी हुई थी कि लूट लो जितना लूट सकते हो। आज इमर्जेन्सी का समय रहा नहीं इसलिये लोगों की जुबान खुली है। आज रास्तों के लिये लोग चले आ रहे हैं। जहां पर रास्ते थे, वह खतम कर दिये गये। 121 अर्जियां उन जगहों के सम्बन्ध में है जहां पर गोचर भूमि को अलाट कर दिया। नसबन्दी के मामले में तालाब तक अलाट कर दिया। जहां पर मण्डी है वहां से सारे जानवर तालाब के पास पानी पीने आते थे उस तालाब तक को नसबन्दी के नाम पर भूतपूर्व सरकार ने अलाट कर दिया। मैं आसन से निवेदन करूंगा हम यहां से उठने से पहले, चूंकि बजट आज पूरा हो जायगा...

श्री मूलचन्द डागा : बजट कहां पूरा हो जायगा?

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय, इस प्रकार का आश्वासन दें सभी सदस्यों को कि दो अक्टूबर से एक निश्चित अवधि में सारे राजस्थान भर में जो गलत अलाटमेंट हो गये हैं, हम उनको साफ करेंगे। मेरा पुरजोर निवेदन है, भगवान के नाम पर जिस भूत की राग अलापी जा रही है उसको हम

(श्री दाऊदयाल जोशी)

कम कर दें। मेरा निवेदन है निर्णय लें आज, जो मंत्री महोदय जवाब देने वाले हैं, जवाब दें और प्रत्युत्तर दें निश्चित

श्री मूलचन्द डागा : यह प्रतिज्ञा ले लें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : और निश्चित रूप से जवाब दें कि गोचर भूमि का जो अलाटमेंट हुआ है उसको रद्द कर देंगे और शामलाती भूमि का शीघ्र नियमन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह कछवाह !

(व्यवधान)

आपस में बात न करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप क्या बात करते हैं; मैं रिजाइन कर जाऊंगा अगर आप साबित कर दें तो। चेलेन्ज है मेरा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने दीजिये, माननीय सदस्य को। आपस में चर्चा न करें। माननीय सदस्य अब बोल रहे हैं। उनको बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : ना पक्ष में बैठे हुये जो माननीय सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा....

श्री मूलचन्द डागा : आप तो स्पीकर साहब से निवेदन करो।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, ये बीच-बीच में....

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय नहीं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं बहुत नम्र निवेदन करूंगा, कृपया बीच-बीच में न बोलें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मैं तो बता रहा हूं कि उपाध्यक्ष महोदय एड्रेस न करें, सभापति महोदय एड्रेस करें। इनको अभी एड्रेस करना ही नहीं आता है।

श्री सभापति : इसमें कोई बात नहीं है, डागा जी।

श्री मूलचन्द डागा : तब ठीक है।

श्री माधोसिंह कछवाह : सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। राजस्थान का यह दुर्भाग्य रहा है कि आधे राजस्थान में वर्षा की कमी रहती है। पश्चिमी राजस्थान में खास कर किसान दुखी रहे हैं और उस दुःख का मोटा कारण वर्षा का कम होना है। दूसरा जो कारण रहा है वह सरकार के बनाये हुये कानून हैं। उन कानूनों से किसानों के लिये परेशानियां अधिक बढ़ी हैं। किसानों को समय-समय पर कानूनों के कारण दिक्कत आती है और वकीलों की शरण लेने से जो राहत मिलनी चाहिये वह राहत भी नहीं मिली है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर वाकई में किसानों को राहत देना चाहते हैं, तो जो 3 साल में भूतपूर्व सरकार ने कानून बनाये हैं उनमें कई ऐसी धाराएं और कानून हैं जिनको मैं आज काला कानून भी कहूं तो कोई खास बात नहीं है....

श्री मूलचन्द डागा : एक ही बता दें।

श्री माधोसिंह कछवाह : दफा 91 के केसेज आपसे छिपे नहीं है। कानून की जो धारायें हैं, उनसे किसानों को कितना दुःख हुआ है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको कहना है तो अपने नम्बर पर बोलें।

श्री माधोसिंह कछवाह : किसानों के दो-दो हजार मामले पड़े हुये है। मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या कानून में व्यवस्था यह है कि किसान को एक साल में 5-30 बार पेशी में जाना पड़े फिर भी जो रेवेन्यू सम्बन्धी मामले हैं उनका निपटारा नहीं हो तो कौनसा अच्छा कानून हो सकता है। अच्छा कानून होता तो इतने केसेज ही नहीं होते। अगर किसी प्रकार निपटारा हो भी जाय तो कौनसी किसान को राहत मिल जाती है ? पश्चिमी राजस्थान में वैसे ही किसान दुखी है। उन किसानों को बार-बार कोर्ट में आना पड़ता है। मैं समझता हूं जो कृषि प्रधान देश कहलाता है उस देश में हमारे पश्चिमी राजस्थान में तो किसान बहुत दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है भाई मैं कहना चाहूंगा हमारे मंत्री महोदय ने जो योजना बनाकर दो - तीन महीने में बहुत सारे केसेज के फैसले करने की व्यवस्था की है और जिसका काम तुरन्त चालू होने वाला है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं साथ ही और भी जो कानूनी अड़चने हैं उनके लिये मैं सुझाव अलग रूप से पेश करूंगा लेकिन मैं उन से यह भी निवेदन करूंगा कि कानून के अन्दर अगर अमेन्डमेन्ट्स करने पड़ें तो किये जायं और किसानों का ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जाय।

श्री सभापति : श्री करतार सिंह !

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : सभापति महोदय, मैंने राजस्व की मांग पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं राजस्व मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने ढाई हेक्टेअर तक की असिंचित भूमि का लगान माफ किया है। इसके साथ ही मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलना चाहूँगा लेकिन सर्वप्रथम मैं अजमेर जिले के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं ....

श्री सभापति : कटौती प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री करतार सिंह : कटौती प्रस्ताव पर ही बोल रहा हूं। मैंने अजमेर जिले के लिये कटौती प्रस्ताव दिया है।

श्री सभापति : इसमें नहीं आया है।

श्री करतार सिंह : मैं संक्षेप में बोलूंगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अजमेर जिले की राजस्व की स्थिति या भू- रिकार्ड की जो स्थिति है उसकी ओर आकर्षित करता हूँ। काफी लम्बे समय पूर्व अजमेर में दो प्रकार के बन्दोबस्त हुये। सर्वप्रथम सन् 1941-42 में अजमेर के अन्दर एक खालसा क्षेत्र है उसमें बंदोबस्त किया गया है। उस खालसा जमीन में किसान लोग जो सरकार को सीधा लगान दिया करते थे, वह जमीन बहुत कम थी बाकी बची हुई शामलाती जमीन थी उसी में किसान काश्त किया करते थे लेकिन उसका कोई रिकार्ड नहीं है, अलग अलग नक्शे बने हुये नहीं है। दूसरा बन्दोबस्त हुआ सन् 51-52 में। अजमेर जिले का आधा हिस्सा इस्तमरारदारों के पास था, वे इस्तमरार लोग राज्य सरकार को एक

(श्री करतारसिंह)
निश्चित मात्रा में फिक्स लगान दिया करते थे और वे किसानों से मन चाहा बांटा वसूल किया करते थे। यह इस्तमरारी बन्दोबस्त 51-52 में हुआ उस समय भयंकर अकाल की स्थिति थी। उस अकाल के फलस्वरूप किसान जमीन जोत नहीं सके थे और जो बारानी जमीन थी उसका रिकार्ड नहीं किया गया था हालांकि सर्वे वर्क हुआ। अजमेर जिले में भू-संशोधन सन् 1971-72 में हुआ उसको मान्यता नहीं मिली। आप लैन्ड रिकार्ड आपरेशन चला रहे हैं और दफा 91 के जो केसेज है उनका नियमन कर रहे हैं तो अजमेर जिले के किसानों के साथ यह सरासर अन्याय हुआ है इस दृष्टि से आप उनकी समस्याओं को अन्य तरीके से सुलझायें। राजस्थान के अन्य जिलों में जो नियमन कार्य चल रहा है उससे 15 बीघा वाले किसान की भूमि का ही नियमन कर रहे हैं जब कि मेरे क्षेत्र में किसान सन 1941 से जमीन जोतता आ रहा है तो मेरा राजस्व मंत्री से निवेदन है कि अजमेर जिले को आप दूसरी तरह से ध्यान में रखें और काश्तकारों पर जो अत्याचार हुए हैं उनको राहत देने के लिये आप अवश्य कदम उठायें।

इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ अजमेर जिले के भू-संशोधन के मामले में कुछ संशोधन करने के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो अजमेर में भू-संशोधन सन् 70-71 में हुए उनको मौके पर अप टू डेट किया जावे और अप टू डेट करने के बाद लागू किया जावे। इसके साथ ही राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 106 और 107 के अनुसार.............

श्री सभापति : इस पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री करतारसिंह : मैं दो मिनट में ही बोल दूंगा, साहब।

श्री सभापति : बोल कैसे देंगे। और भी बोलने वाले माननीय सदस्य हैं। आप अपने कटौती प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री करतारसिंह : मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर ही बोल रहा हूं, माननीय सभापति.......

श्री सभापति : कटौती प्रस्तावों के लिए मैंने आपको टाइम दे दिया है। आपके केवल 2 कटौती प्रस्ताव हैं। एक 93 नम्बर पर और दूसरा 94 नम्बर पर 250 रुपये तक का भू- राजस्व माफ करने के सम्बन्ध में।

श्री करतारसिंह : इसी सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं।

श्री सभापति : और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आप मेरे पर कृपा कीजिए और दूसरे माननीय सदस्यों पर कृपा कीजिए

श्री करतारसिंह : मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 106 और 107 के तहत नियमानुसार लैंड रिकार्ड का कार्य चालू किया गया था। मेरा निवेदन है कि उस धारा के अनुसार भू-संशोधन के बिना लगान नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः अजमेर जिले में जो भू-संशोधन कार्य हो रहा है तो वहां लगान नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही काश्तकारी कानून में ....

श्री सभापति : इस पर भी कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री करतारसिंह : अभी दो मिनट में पूरा कर दूंगा।

श्री सभापति ; आपने अभी तक अपने कटौती प्रस्तावों पर बोलना शुरू किया ही नहीं है। आपने अपना टाइम पूरा ले लिया है

श्री करतारसिंह : माननीय सभापतिजी, मेरा यह सुझाव है कि काश्तकारी कानून में, लैंड रेवेन्यू एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन किया जाय। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इन अधिनियमों में जो इर्रेलेवेन्ट क्लाज हैं उनको हटाया जाय। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि काश्तकारों की जो चाही जमीन है, उस जमीन पर काश्तकार ने अपना खर्चा करके कुआ खोदा है, फिर उससे अधिक लगान क्यों वसूल किया जा रहा है ? अतः जिस जमीन पर किसान ने अपना निजी कुआ खोदा उस जमीन का राजस्व असिंचित जमीन के समान ही लिया जाये।

श्री सभापति : आप विराजिये, माननीय सदस्य, क्योंकि कटौती प्रस्ताव पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री करतारसिंह : किसानों के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है....

श्री सभापति : समय की सीमा को देखते हुए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। मुझे कोई आनन्द नहीं आता कि आपको नहीं बोलने दूं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अभी और भी माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री करतारसिंह : मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं ....

श्री सभापति : अगर इस तरह की बात आपकी तरफ से होगी तो औरों से क्या आशा कर सकते हैं। आपने अपने कटौती प्रस्ताव पर एक शब्द नहीं कहा है इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप विराजिये।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्ताव से सम्बद्ध विषय पर विचार

श्री माणकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा आसन से व्यवस्था का प्रश्न यह है, सभापति जी, जहां तक कट मोशन का प्रश्न है हाउस की यह परम्परा है कि यदि किसी माननीय सदस्य ने चार कट मोशन दे दिए हैं और वे उससे एलाइड सब्जेक्ट पर राय व्यक्त कर रहे हैं तो जनरली उनको अपनी राय व्यक्त करने के बीच में बाधा नहीं डाली जा सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस लिबरल परम्परा से अलग जाने की कोई स्थिति इस सदन में पैदा नहीं की जानी चाहिए। यदि कट मोशन दिया है और उसके सपोर्ट में उसी टाइम में बोलना चाहते हैं तो उनको दो चार अलाइड मुद्दे रेफर करने का अधिकार है। यह परम्परा रही है इस हाउस की। आप पुराना रिकार्ड देख लें। चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के लोग हों, लिबरली कंसीडरेशन करके उनको बोलने की इजाजत दी जाय। समय का अवश्य ध्यान रखा जाय। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य के कटौती प्रस्ताव है उनके एलाइड सब्जेक्ट पर वे रोशनी डाल रहे हैं, उस पर जानकारी दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें यदि अपनी राय व्यक्त करने दिया जाय तो यह हाउस की परम्परा के अनुकुल होगा, प्रतिकूल नहीं।

श्री सभापति : मैं यह व्यवस्था देता हूं कि यह जनरल डिबेट नहीं है बजट के ऊपर इसलिए मैं इजाजत नहीं दूंगा। केवल कटौती प्रस्ताव पर बोल सकते हैं और वह

(श्री सभापति)

भी पांच मिनट के अन्दर क्योंकि और भी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, फिर क्योंकि आज गुलेटिन लागू होगा, आज मुख बन्द है, इसलिए मैं हर्गिज इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : आप व्यवस्था को चेलेंज नहीं कर सकते।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापतिजी, आज मिनिस्टर साहब का जवाब भी है इसलिए आप जल्दी-जल्दी समाप्त करायें जिससे अधिक लोग बोल सकें।

श्री रतनाराम : समय निर्धारित कर दिया है उसमें कोई माननीय सदस्य अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं तो करने दीजिए।

श्री सभापति : बैठिये, अभी आपका नम्बर नहीं आया है, माननीय सदस्य।

श्री गणेशलाल

मांग संख्या 8 पर विचार

श्री गणेशलाल, (हिण्डोली) : सभापति महोदय, मैं मेरे कटौती प्रस्तावों के माध्यम से निवेदन करूंगा और....

श्री सभापति : आप सुझाव दीजिए।

श्री गणेशलाल : मेरे गांव नीमकाखेड़ा में सन 61 में खसरा नम्बर 227, 226 और 223 जंगलात से निकाल कर रेवेन्यू में लिये उसका अलाटमेंट हुआ और लोगों ने उस पर कब्जे किए। बन्दोबस्त के अन्दर यह सारी की सारी जमीन सिवाय चक घोषित की गई और यही झगड़े का कारण हो गया। माननीय सभापति जी, इन झगड़ों को इमर्जेंसी के दौरान और अधिक बढ़ाया गया। जो काश्तकार पिछले दस-पन्द्रह वर्षों से काबिज थे उनके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही नहीं की गई और उनका कब्जा होते हुए भी ऐसे लोगों को जमीन अलाट कर दी जो समाज के निर्धन लोग थे, गरीब लोग थे इसलिये उनको कब्जा देना असंभव था यहीं से सारे देश में झगड़े की शुरूआत हुई। आज राजस्थान में ही नहीं सारे देश में यह हल्ला किया जा रहा है कि हरिजनों पर अत्याचार किये जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस झगड़े के जिम्मेदार कौन हैं? बन्दोबस्त के अन्दर मेरी ग्राम पंचायत के अन्दर करीब साढ़े चार हजार बीघा जमीन सिवाय चक में घोषित की गई है और सारी की सारी जमीन इमर्जेंसी के दौरान हरिजनों को आवंटित की गई लेकिन कब्जा एक को भी नहीं दिया, तो झगड़े नहीं होंगे तो क्या होंगे सारे राजस्थान में झगड़े हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस झगड़े का एक कारण और भी है, राजस्व विभाग का रिकार्ड सही नहीं है। इसलिए कृपा करके रिकार्ड सही कराने की कृपा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ-साथ सही नम्बर आवंटित किये जायं। जिन लोगों को बेदखल किया जा सकता है उन्हें बेदखल किया जायें और कानून के माध्यम से बेदखल नहीं किये जा सकते हैं उनको जमीन आवंटित की जाये। इसके साथ-साथ मैं निवेदन करूंगा कि किस प्रकार से आपाधापी के राज में इमर्जेंसी में सारे के सारे काण्ड हुए हैं। सीलिंग कानून के बहाने लोगों को वह जमीन दी जिस पर पहले से ऊंचे लोगों का कब्जा था और जिनको किसी भी तरह से हटाया नहीं जा सकता है यही लड़ाई का कारण हुआ। अपने

(112)

(श्री गणेश लाल)

राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में गरीबों को लड़ाया है। मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि भू-आवंटन का कार्यक्रम लागू करने से पूर्व अगर आप सही आवंटन करना चाहते हैं तो वहां के सारे रिकार्ड को ठीक करवाया जाय और उन लोगों के कब्जे हटाये जायं।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गणेशलाल : उनके कब्जा हटाने के बाद में, उनके कब्जे समाप्त करने के बाद में भूमि का आवंटन किया जाएगा तो जो हमारा उद्देश्य है कि गरीब लोगों को रिलीफ दी जाय, भूमिहीन लोगों को जमीन दी जाय,वह पूरा होगा नहीं तो यह कार्यक्रम भी वैसे ही रहेगा जैसे कि अब तक रहा है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह यादव !

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) : सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य सुझाव ही दें, समय कम है।

श्री हरिसिंह यादव : बिल्कुल सुझाव ही दूंगा माननीय सभापति जी। माननीय सभापतिजी, मैं मेरे कटौती प्रस्ताव के माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पिछले शासन ने टिनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधान काश्तकारों की भलाई के लिए राजस्थान में लागू किए चाहे वह सीलिंग के मामले में हो, चाहे वह भूमि अतिक्रमण के रेगुलेराइजेशन करने के मामलात में हो, चाहे वह कंसोलिडेशन के मामलात में हो और चाहे वह सेटलमेंट के मामले में हो सभी मामलों को सही ढंग से लागू नहीं किया गया। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान उस आपातकाल के अन्दर हरिजनों के नाम पर, बीस सूत्री कार्यक्रम के नाम पर राजस्थान प्रदेश में भूमि आवंटन हुए, उस भू-आवंटन के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। मेरी अपनी मान्यता है कि गरीबों को भू-आवंटन करना वाजिब बात है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। आपातकाल के अन्दर अलवर जिले में।

श्री सभापति : इस विषय पर कटौती प्रस्ताव नहीं है ....

श्री हरिसिंह यादव : मेरा कटौती प्रस्ताव है। यह उसमें आता है। सभापति महोदय, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं जो विपक्ष और इस पक्ष दोनों की समस्या से सम्बन्धित है। दोनों पक्षों को इसकी चिन्ता रहती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय जो आवंटन हरिजनों के नाम पर हुए थे वे भूमिहीन हरिजनों को नहीं हुए थे। वह अलाटमेन्ट एम० पी०, एम० एल० ए०, प्रधान और भूमिधारियों को हुए थे या उनके चहेतों को हुए थे। यह निश्चित रूप से अलवर जिले में हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बानसूर में जो अलाटमेन्ट किया गया, वह गलत किया गया है। उस समय के विधायक महोदय की वजह से ऐसा हुआ उनकी फोटो अखबारों में छापी गई। इस अलाटमेन्ट के बारे में

(श्री हरिसिंह यादव)

मेरा निवेदन है कि यह सरकार इस अलाटमेन्ट की जांच करवाये और ठीक कराये। अलाटमेन्ट रूल्स बने हुए हैं, मंत्री महोदय आप इस बात को नोट करें, उनमें यह प्रावधान होना चाहिए कि जो अलाटमेन्ट इमर्जेन्सी के अन्दर किए गए हैं उनकी जांच की जाय। इस जांच कमेटी में जिलाधीश हो, एम० पी० हो, विधान सभा का सदस्य हो। वे इस बात की जांच करें कि इमर्जेन्सी के अन्दर जो अलाटमेन्ट भूमिहीनों के नाम पर किया गया है, क्या वह सही रूप में किया गया है। क्या वास्तव में वे भूमिहीन थे या वास्तव में उन्होंने भूमिहीन को भूमि न देकर गलत आदमियों को भूमि दी है। मेरा निवेदन है कि उन लोगों को भूमि दी गई है, जिनके पास पहले जमीन थी। हरिजनों के नाम से अलाटमेन्ट करने की घोषणा मात्र की गई थी। इसलिए अलाटमेन्ट नियमों में संशोधन करके यह पावर उपर्युक्त कमेटी को दी जानी चाहिए। इससे गांव वाले भूमिहीनों को भूमि मिलेगी और इमर्जेन्सी के नाम पर जिन्होंने जमीन हड़पी है, वह वापस होगी। उसे आप हरिजनों को दे सकेंगे।

दूसरी बात मैं अलाटमेन्ट के बारे में यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी जगह पर राजनैतिक द्वेष के कारण हरिजनों के नाम पर गांव के सार्वजनिक स्थानों की जमीन अलाट कर दी गयी है। कहीं पर श्मशान की भूमि अलाट कर दी गयी, कहीं पर चरागाह अलाट कर दिए गए। कहीं पर रास्ते की भूमि अलाट कर दी गयी। इमर्जेन्सी में अखबारों रेडियो पर सेन्सर था लोगों की जुबान पर सेन्सर था। इसलिए हरिजनों की बात सुनने में नहीं आती थी। जब से इमर्जेन्सी हटी है, स्वतन्त्रता आयी है, बोलने की स्वतन्त्रता आई है, तब से बीस सूत्री ढोल पीटना बन्द हुआ है, वह बंद हो गया है। आज हरिजनों की बातों को विपक्ष के माननीय सदस्य यहां पर कहते हैं। जनता पार्टी का शासन आया, तब से यह सवाल आ रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों के साथ अन्याय होने की जो बात यहां पर कही जा रही है, वह कतई गलत है। कांग्रेस ने षडयन्त्र किया है। हरिजनों के नाम पर जमीन अलाट कर दी किन्तु उनको कब्जा नहीं दिया गया। यह जमीन ऐसी जगह पर दी गयी जो कि चरागाह है, श्मशान है या आम रास्ता है। इसलिए आज उनको कब्जा दिलाने में दिक्कत आ रही है। विपक्ष के सदस्य इस बात को उठा रहे हैं और अपनी की गई गलती को छिपाना चाहते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं राजस्व मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलाटमेन्ट के रूल्स में परिवर्तन करना चाहिए और एम० एल० ए०, कलेक्टर, एम० पी० की कमेटी गठित करके उसके द्वारा जो इमर्जेन्सी में भूमि का अलाटमेन्ट किया है इसकी जांच करानी चाहिये। जो भूमि आपातकाल में भूमिहीनों को नहीं दी गई है अथवा सार्वजनिक असुविधा पैदा की गई है तो ऐसे अलाटमेन्ट रद्द करने चाहियें।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री सभापति : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हरिसिंह यादव : मैं एक बात मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा कटौती प्रस्ताव है।

श्री सभापति : कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है। आपका वह कटौती प्रस्ताव नामन्जूर हो गया है।

श्री हरिसिंह यादव : 246 पर है।

श्री सभापति : कोई नहीं है। वह शामिल नहीं है।

श्री हरिसिंह यादव : वह शामिल है। मैं आपका और सदन का समय जाया नहीं करना चाहता हूं। मेरा अनुरोध है कि बानसूर तहसील हैड क्वार्टर है इस तहसील हैड क्वार्टर का सब डिविजनल हैड क्वार्टर बहरोड़ में है। बहरोड़ बानसूर के बीच में साहबी नदी बहती है और चार महीने तक कोई रास्ता नहीं रहता है। इसलिए कोई भी आदमी सब-डिवीजनल हैड क्वार्टर पर न्यायालय में, चाहे वह रेवेन्यू का केस हो या किसी तरह का हो, नहीं पहुंच सकता है। बानसूर के लोगों को न्याय की सुविधा हो। अतः मेरा अनुरोध है कि बहरोड़ में जो असिस्टेन्ट कलेक्टर की कोर्ट है, एस० डी० ओ० की कोर्ट है, अदालत है, तहसील में है उनमें से सहायक कलेक्टर की कोर्ट का हैड क्वार्टर बानसूर में रखना चाहिए और रेवेन्यू के जितने केसेज है, उनका डिस्पोजल इस जगह पर बैठ कर करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्रीजी से यह गुजारिश करूंगा कि वे कृपया इस बात की रिपोर्ट मंगवालें कि बरसात के दौरान कितनी परेशानी होती है बानसूर के नागरिकों की और कितने मुकदमे खारिज हो जाते हैं। किसानों को सस्ता न्याय देना है तो नजदीक से नजदीक सहायक कलेक्टर की अदालत कायम की जाए। इससे सरकार पर कोई आर्थिक भार भी नहीं पड़ेगा ...

(3.45 म० प०)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आप पर कोई भार नहीं आने वाला है। यह जो कोर्ट बहरोड़ में हैं सहायक कलेक्टर का, उसका हैड क्वार्टर बानसूर में किए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। यह जो महकमा रेवेन्यू का है मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि इसमें यह पटवारी की व्यवस्था अंग्रेजों के काल से चली आ रही है। वह जो काम करता है वह यह है कि किसानों को किस तरह से परेशान किया जाए। पहले एक बार गिरदावरी बंद की थी। अब यह गिरदावरी शुरू हो गई है। किसानों का एक डेलीगेशन लेकर माननीय मदेरणा जी जब मंत्री थे तब मैं मिला था मैंने उनसे अनुरोध किया था कि जो गिरदावरी हो रही है वह टिनेन्ट के नाम से हो रही है यह भ्रम मात्र है क्यों कि कई माननीय सदस्य खातेदार है, या बहुत से ऐसे सरकारी नौकर हैं, जिनके नाम से गिरदावरी होती है जो वास्तव में अपने हाथ से खेती नहीं करते अतः इसे बन्द किया जावे ऐसे आदमियों की गिरदावरी नहीं हो सकती। जो गरीब आदमी है, गिरदावरी में पटवारी उनको सताते हैं। इसलिये गिरदावरी करने का जो सिस्टम है, उनको बंद किया जाना चाहिए। मदेरणा साहब जब मंत्री थे उन्होंने यह कहा था कि गिरदावरी की स्लिपें दी जाएगी। दो-तीन गिरदावरी हो गई परन्तु कोई स्लिप किसान को आज तक नहीं मिली है। इससे गिरदावरी से मुकदमेबाजी बढ़ी है। गिरदावरी से कोई लाभ नहीं है।

(श्री हरिसिंह यादव)

रेवेन्यू रिकार्ड में रोजाना तब्दीली होती है, रेवेन्यू एजेन्सी को दे रखा है, यह ऐसा महकमा है जिससे इस गिरदावरी के द्वारा किसी प्रकार का लाभ किसानों को नहीं मिलता है। इसलिए इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि इससे किसानों को किसी तरह से लाभ हो, लिटिगेशन कम हो और अदालतों की जरूरत नहीं हो। यह महकमा ऐसा हो कि किसानों की मदद कर सके, उनकी खेती को बढ़िया से बढ़िया बना सके। राजस्थान में कन्सोलिडेशन, सोइल इरोजन की जो बात है, उसको रोकने के लिए सरकार को काम करना चाहिये। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया है इस दिशा में इसलिए विशेष रूप से राजस्व मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह !

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : माननीय सभापति जी, भू-राजस्व की समस्याओं के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। राजस्थान का काश्तकार अनपढ़ है। वह किसी किस्म का हिसाब नहीं रख पाता है। उसके अशिक्षित होने का नाजायज फायदा हमारे राजस्व वसूली करने वाले पटवारी उठाते हैं। राजस्व की वसूली पटवारी करता है। पटवारी पटवार सर्किल में न रह कर तहसील हैडक्वार्टर पर रहता है। वह कभी-कभी ही गांव आता है। वह गांव जाकर काश्तकारों से राजस्व की वसूली करता है, उनको ताकीद करता है। काश्तकार उसको रकम दे देते हैं और जब रसीद मांगते हैं तो पटवारी कहता है कि रिकार्ड तहसील हैडक्वार्टर पर है। रसीद पहुँचा दी जाएगी। कई बार काश्तकार तकाजा करता है, उसके बावजूद काश्तकारों को रसीद नहीं मिल पाती है। अपनी आदत के अनुसार काश्तकार तकाजा बन्द कर देता है। जब राजस्व वसूली का समय आता है तो पटवारी काश्तकार के खाते में राजस्व जमा नहीं कर पाता है। इस प्रकार से झगड़ा होता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस तरह से पटवारी झगड़ा करते रहते हैं। वसूली करने के लिए पटवारी जाते हैं तो कानून की गैर जानकारी के कारण किसानों को बहुत परेशानी होती है। किसान का अगर बकाया है तो वह गवर्नमेन्ट से मांग नहीं कर पाता है। पटवारी किसानों से तरह-तरह से वसूल करते रहते हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा यह सुझाव है कि किसानों को पास बुक की सुविधा प्रदान की जाये। उसको दी जाने वाली सारी रकम का उसमें उल्लेख होना चाहिए। बहुत बार यह होता है कि पटवारी गलत गिरदावरी लगा देता है। फिर बाद में उसको पकड़ा जाता है। दूसरे क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार काश्तकारों को बचाये। काश्तकारों की वसूली को उनकी पास बुक में दर्ज किया जाये। मोहताजी में किसी काश्तकार से वसूली नहीं की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव टिनेन्सी एक्ट के बारे में है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट जो है वह ओब्सलीट हो गया है। इसलिए आप नया टिनेन्सी एक्ट लावें जिसको इस सदन में रखा गया है और

(श्री दिग्विजय सिंह)

प्रवर समितियों की रिपोर्ट भी आ चुकी है पर क्या कारण है, राज्य सरकार उसको न मालूम क्यों लागू नहीं करना चाहती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप नया एक्ट लागू करें तब तक काश्तकारों को उनके राइट दिलाये जावें और धारा 19 में संशोधन करें। सन् 1955 में यह लागू हुआ है तो उनको खातेदारी राइट मिल जाने चाहिए थे। या तो वह स्वयं एप्लाई करते या तहसीलदारों को अनुधारा के अन्तर्गत काश्तकारों को हक दे देने चाहिये थे। इन काश्तकारों ने समय पर एप्लाई किया नहीं और तहसीलदारों ने अपनी ओर से किया नहीं। मैं आपको बताऊं ऐसे हजारों काश्तकार बैठे हुए हैं जो उप-कृषक दर्ज हैं जिनको काश्तकारी राइट नहीं दिये गए हैं। इसलिए कृपा करके धारा 19 में अमेण्डमेन्ट लायें जिससे उप-कृषक काश्तकारों को खातेदारी राइट्स मिल सकें, वह अपना भूमि में कुआ वगैरह बनाना चाहते तो बना सकें और उनको लोन वगैरह मिल सके जिससे कोई और सुधार कर सकें।

मैं अधिक न कह कर मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राज्य में दो सीलिंग कानून लागू हैं, उनके बारे में यह कहना है कि पुराना सीलिंग एक्ट है जिसे कि टिनेन्सी एक्ट, 1955 में चेप्टर III "ब" के तहत अमेण्डमेन्ट करके जोड़ा गया है वह एक्ट 1963 में लाया गया। उसको अमल में लाया गया था। उसमें कोई राइट नहीं हटा। सरकार ने राइट मान लिया था। आपने जो अपाइन्टेड डेट 1-4-66 मानी है इसमें आपने संशोधन किए और 30 डी. डी. जोड़कर ट्रांसफर 1969 तक के सब माने हैं पर जब अपाइन्टेड डेट 1-4-66 मानते हैं तो वह संशोधन क्या मायने रखता है। इसके बाद 1973 में आप नया एक्ट लायें। वह इसीलिए लाया गया था क्योंकि पुराने सीलिंग कानून में कमियां थीं। एक बार इस बारे में चीफ मिनिस्टर की कान्फ्रेंस हुई थी और यह तय हुआ था कि सारे प्रदेश में यूनिफार्म पेटर्न से सीलिंग लागू हो। पूर्व में एकड़ जो डिफाइन था वह उपज पर था। 10 मन गल्ला पैदा करे उसे एक एकड़ माना था। पर बाद में यह तय हुआ कि एवरेज फिक्सड एरिया पर ही हो। इसलिए नेशनल गाइड लाइन्स के आधार पर नया एक्ट लागू किया गया। यह कहा गया था कि नया कानून ज्यादा नेशनल है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस कमेटी में यह तय हुआ था कि 4 बजने में 5 मिनट होंगे तो रिप्लाई शुरू हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि पुराना एक्ट लागू नहीं रखा जाये। जहां तक मैं मानता हूं, सदन का यह इन्टेंशन नहीं था कि दो कानून राज्य में लागू रहें। मैं समझता हूं कि माननीय रामानन्द जी का जो प्रश्न था उसके उत्तर में पूर्व के राजस्व मन्त्री ने यह स्पष्ट बताया था कि पुराना कानून इर्रेशनल है, इसलिए हम नया कानून ला रहे हैं वही लागू रहेगा पर सैक्शन 40 के तहत नये कानून में सेविंग क्लाज देकर पुराना भी लागू रख दिया। इसलिए काश्तकार को, सरकार को और विभाग को

(श्री दिग्विजय सिंह)

तीनों को तकलीफ हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा जो जागीरदारों के सम्बन्ध में कहा गया है, उनको लाभ देने वाली बात कही गई है तो वह लाभ तो पूर्व की सरकार ने ही दिया था। मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय को सीलिंग समस्या पर निवेदन करना चाहूंगा, आप एक कानून लागू रखें ताकि काश्तकार को निश्चितता हो जाये कि कितनी भूमि उसके पास रहेगी जिससे कि वह उस भूमि में सुधार कर सके। इसके अलावा एक निवेदन यह भी करूंगा कि 1963 का एक्ट कैनाल एरिया में गंगानगर में लागू नहीं किया गया। 1973 में गंगानगर में लागू किया गया। जो मोस्ट फर्टाइल एरिया है उसमें लागू नहीं है। कैनाल एरिया पर लागू नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय, का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। आपने स्वयं इस बात को स्पष्ट कर दिया है अतः मैं यह निवेदन करता हुआ कि राज्य में एक ही एक्ट लागू रखा जाए, अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 281 के तहत मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्व की मांग पर बहस हो रही है, उसको यहीं बन्द किया जाये और सरकार का जवाब दिलाया जाये ताकि साढ़े 4 बजे मुखबन्द का प्रयोग करके मांगे पारित की जायें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि इसको प्रस्ताव के रूप में रखना उचित होगा।

क्या सदन की अनुमति है कि राजस्व की मांग पर अब वाद-विवाद समाप्त किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

वाद-विवाद समाप्त किया गया।

अब माननीय राजस्व मन्त्रीजी अपना वक्तव्य देंगे।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं; उनका जवाब दिया जायगा क्या, लास्ट में ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो आप पार्टी मीटिंग में पूछना।

श्री किशनसिंह भाटी : वह तो आपकी राय से पूछेंगे।

श्री प्रादित्येन्द्र (राजस्व मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 8 पर सदन के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये, कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये, कई जगहों के सम्बन्ध में शिकायतें भी की गई और कहीं-कहीं भ्रष्टाचार के बारे में भी बात कही गई। मैं यह मानता हूं कि वह सभी सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं।

हमारे विरोधी दल के नेता माननीय मदेरणा साहब ने कुछ कानूनी मुद्दे उठाये हैं, मैं उनके सम्बन्ध में इस समय तो ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि अभी इस सरकार को बने हुए केवल तीन महीने हुए हैं। इन तीन महीनों में जो काम का बोझ रहा, जिस प्रकार की समस्याएँ आई वे ऐसी थीं कि जिनसे बहुत ज्यादा विचार करने के लिए

(श्री आदित्येन्द्र)

टाइम नहीं मिला। मैं यह मानता हूं कि आज से बहुत पहले जो सुधार भूमि सम्बन्धी किये गये वह शायद आज की परिस्थितियों में, आज के समय में लाभदायक नहीं हैं, और एक प्रकार से वह पुराने पड़ गये हैं उनमें बहुत संशोधन करने आवश्यक हैं। लेकिन दो खास बातों की ओर हमारे विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने ध्यान आकर्षित किया। एक अन्त्योदय की योजना और दूसरी विशेष राजस्व अभियान के सम्बन्ध में माननीय मदेरणा साहब ने यह कहा है कि मुख्य मन्त्रीजी ने जो इस सम्बन्ध में बहुत बढ़ कर बातें कही हैं। वह कैसे पूरी होंगी ?

श्री परसराम मदेरणा : अन्त्योदय के बारे में तो मैंने कुछ नहीं कहा मैंने तो राजस्व अभियान के बारे में कहा था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर भी आप ठीक कह रहे हो, बढ़ा-चढ़ा कर कहने की आदत है उनकी।

श्री आदित्येन्द्र : इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं, राजस्व अभियान का जो विचार आया, मैं समझता हूं, सदन के सभी माननीय सदस्य इसका स्वागत करेंगे और सभी कहेंगे कि एक ओरिजिनल विचार है।

श्री मूलचन्द डागा : बीस सूत्री कार्यक्रम में भी था।

श्री परसराम मदेरणा : बोलने दो, बीच में मत बोलो।

श्री आदित्येन्द्र : जो समस्याएं हैं वह दफ्तर में बैठकर हल नहीं हो सकतीं, उनका हल करना है। हमें गांवों में मौके पर जाकर उनको देखना है। तभी उन समस्याओं का हल कर सकते हैं। लेकिन एक बात पर हम विचार कर सकते हैं कि जो समस्याएँ आज हमारे सामने हैं, अधिकतर इमर्जेन्सी काल में जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने पैदा हुई वह है चरागाहों की जमीन को कृषि योग्य भूमि में बदलने की। उस समय राजस्थान के 9 जिलों में इस प्रकार के आदेश प्रसारित हुए थे कि 9 जिलों में चरागाह की भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया जाय। लेकिन दो जिले ऐसे हैं, एक सवाई माधोपुर और दूसरा अलवर जिन जिलों में इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया। इसलिए सवाई माधोपुर में जो कुछ भी किया गया उसमें कई प्रकार की अनियमितताएं थी, उसका परिणाम यह हुआ कि 95 हजार एकड़ जमीन जो चरागाह में थी वह कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित की गई। उसमें से 63 हजार एकड़ भूमि आंवटित भी कर दी गई। इस कारण जो समस्याएं पैदा हुई वह ऐसी समस्याएँ हैं जिनका हल करना बड़ा भारी काम है। इसके लिए कई बार यहां से लिखा गया कलेक्टरों को, टेलिफोन पर भी कहा गया। लेकिन बाद में हमारे यहां के रेवेन्यू कमिश्नर, कलेक्टर सवाई माधोपुर, और दूसरे रेवेन्यू के अधिकारी, एम. एल. ए. और एम. पी. के साथ मैं स्वय भी वहां गया और बैठकर विचार किया। कुछ हमने निर्णय लिये जो अभी सरकार के विचाराधीन हैं। जिन समस्याओं पर हमने निर्णय लिए सरकार उनको स्वीकार करेगी। उनमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जमीन कायदे के खिलाफ ऐसे लोगों को, जो भूमिहीन नहीं थे, आवंटित कर दी गई, उन मामलों पर दुबारा विचार किया जायगा और उनको कैन्सिल किया जायगा,

(श्री आदित्येन्द्र)

निरस्त किया जायगा। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए जमीन का सवाल है उस पर ज्यादा मजबूती से अमल किया जायगा। उनसे जहां पर जमीन ली गई या उनको जमीन पर दूसरे लोग काश्त कर रहे हैं वह उनको वापस दिलवाई जायगी और जरूरत पड़ी तो पुलिस का संरक्षण भी लिया जायगा। चरागाह की जमीन जो इस प्रकार से चली गई उससे गांव के लोगों में बड़ी नाराजी थी। वह जमीन तो पहले ही कम थी बाद में भूमि का आवंटन करने से वह और भी कम हो गई। यह गांवों में वास्तव में चिन्ता का विषय बन गया। लोगों से मिल कर, उनको समझा-बुझा कर, क्योंकि उन लोगों के पशुओं के चरने की समस्या थी, एक निर्णय भी लिया। हम इस बात से सब्र कर लेंगे कि जो जमीन चरागाह की निकाली गई है और अनियमित रूप से अलॉट की गई है, उसी को छुड़वा लें। इस तरह से यह काम बहुत बड़ा था। इसके लिए जो कुछ भी निर्णय किये गये, मैं समझता हूं कि अभियान के द्वारा उसको क्रियान्वित करेंगे यह विचार भी किया गया कि इसको कैसे क्रियान्वित किया जाय। मैं मानता हूं कि एम. एल. ए. को कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वे सलाह दे सकते हैं लेकिन मदद भी काफी कर सकते हैं, अगर वे उस काम में शामिल नहीं होते हैं तो जो कुछ भी किया जायगा उसमें अशान्ति भी फैलेगी, अव्यवस्था भी फैलेगी। तो मैं एक बात तो यह कहूंगा।

दूसरी बात सीलिंग एक्ट के बारे में कही गई, इस समय जो सीलिंग एक्ट है, एक पुराना सीलिंग एक्ट है और नया सीलिंग एक्ट बनाया जाय। पहले की सरकार ने पुराने सीलिंग एक्ट के बारे में यह कहा कि इसको इस समय रोक दिया जाय और पुराने सीलिंग कानून की क्रियान्विति रोक दी जाय। उस ने इस प्रकार के भी आदेश दे दिए कि दुबारा इस मामले पर परीक्षण किया जाएगा और दूसरा निश्चय लिया जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस पर विचार किया है, हम सभी साथ बैठे हैं और हमने यह माना है कि जो पुराना सीलिंग एक्ट है, उसमें जो पेंडिंग केसेज थे, उनको पुराने सीलिंग एक्ट के तहत ही निपटाया जाए। जो भी ऐसे मामले हैं, जो नए ओपन हो रहे हैं या ओपन होंगे उनको भी पुराने सीलिंग एक्ट के तहत निपटाया जाए। जहां तक नए मामले हैं उनको नए सीलिंग एक्ट के तहत निपटाया जाय।

उस समय वास्तव में जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स थे, उनका बहुत बड़ा दबाव था और उस दबाव में आकर शायद उन्होंने उसकी क्रियान्विति एक प्रकार से स्थगित कर दी। अब सरकार ने माना है चाहे कितना भी दबाव आए लेकिन उन दबावों में हमको नहीं आना है और वास्तव में जिस बात में किसानों का लाभ है, वह काम करना है। तो ये दो बातें थीं जो विरोधी दल के माननीय नेता ने कही थीं। जहां तक सीलिंग का सवाल है, इस सवाल को जल्दी से जल्दी मंत्रीमंडल में लाकर इस पर निर्णय कर दिया जाएगा।

दूसरा सवाल है, ढाई हेक्टेयर जमीन, जो असिंचित है, पर लगान की छूट। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इस संबंध में आपने ध्यान आकर्षित किया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि पहले विज्ञप्ति तैयार की गई थी, उसका ड्राफ्ट भी तैयार किया था और वह विज्ञप्ति राजस्व विभाग की ओर से मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री सभी के अनुमोदन के लिए

(श्री आदित्येन्द्र)

भेज दी गई थी। मुख्य मंत्री के पाससे उस को लौटाया गया और उसमें कुछ सुझाव दिये गए। यह बताया गया कि राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है जिसमें जमीन की कई प्रकार की किस्में हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं सेमी डेजर्ट है, कहीं जमीन बहुत उपजाऊ है, कहीं कम उपजाऊ है तो इन तमाम जमीनों में छूट की मात्रा अलग-अलग होनी चाहिए। यह नहीं कि केवल ढाई हेक्टेयर जमीन को मान लिया जाए। कहीं कहीं हिल्ली ट्रैक्स हैं उन सुझावों के मुताबिक इस मामले को मंत्रि-परिषद के सामने रखा जाएगा और मंत्रि-मण्डल का अनुमोदन होने पर विधान सभा में घोषणा की जाएगी। तदनुसार विज्ञप्ति बाद में जारी की जाएगी। संशोधन प्रस्ताव इस संबंध में काम ज्यादा होने के कारण दो दिन पहले ही प्राप्त हुए थे लेकिन संशोधन प्रस्ताव कल तक प्रस्तुत किए जायेंगे।

जहां तक अन्त्योदय का प्रश्न है, मैं मानता हूं यह कोई नया विचार नहीं है, विचार पुराना है और महात्मा गांधी ने हमको यह विचार दिया। यह विचार शायद एक प्रसिद्ध कवि रस्किन की कृति 'अन टू दी लास्ट', पढ़ने के बाद उनके दिमाग में आया था। उन्होंने इस विचार का प्रतिपादन हिन्दुस्तान की आजादी से पहले कर दिया था। इन 30 वर्षों में शायद भूल गए इस बात को, इसलिए हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब परिस्थितियों ने सभी को बाध्य किया है और सभी मानने लगे हैं कि जब तक हम गरीब व्यक्तियों की ओर ध्यान नहीं देंगे, जब तक समाज में निर्धनतम हैं या ज्यादा से ज्यादा से पिछड़े हुए हैं, तब तक समाज की विषमता किसी प्रकार मिटाई नहीं जा सकेगी। हम समाजवाद की भी बात करते हैं लेकिन समाजवाद में भी अगर हम इस तरह से करें कि जो समाज में सम्पन्न हैं, अधिक से अधिक सम्पन्न हैं, उनको कम से कम लाभ मिले, बीच वालों को कहीं ज्यादा मिले और निर्धन से निर्धन हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले तब भी विषमता बढ़ती जायगी, विषमता कभी भी खतम नहीं होगी। इसलिए आवश्यक है कि विषमता को समाप्त करने के लिए अन्त्योदय योजना को हाथ में लें। मैं मानता हूं इस योजना की सफलता अमल पर निर्भर है। जब तक सच्चे हृदय से अमल नहीं किया जायगा तब तक यह योजना पूरी नहीं हो सकती। इस बीच में यह जो विशेष अभियान किया जा रहा है, इसमें अक्टूबर के महीने में हमें यह भी अनुभव होगा कि इस योजना को हम किस प्रकार से कामयाब कर सकते हैं। 5 निर्धनतम व्यक्तियों को छांटने का काम इस अक्टूबर के महीने में करना होगा। इस काम के लिए कुछ रूपरेखा तैयार की है, दिल्ली में भी इस संबंध में मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में कई आई० ए० एस० अधिकारी वहां के बैठे थे, वहां विचार किया है और यहां पर भी हम लोगों ने विचार किया है। इस सम्बन्ध में कुछ बातें तय कर ली गई हैं और उनके अनुसार हम उन 5 व्यक्तियों का चयन करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा सवाल है, इतना बड़ा बेकारी को मिटाने के लिए कभी भी हाथ में नहीं लिया गया। अगर 33 हजार गांवों में हम 5 परिवार भी छांट दें तो इस तरह से 1,65,000 परिवार होते हैं। मैं मानता हूं कि 5 परिवार छोटे से छोटे गांव में छांटने हैं। इस तरह से परिवारों की संख्या 2 लाख तक हो सकती है। अगर हम इन 2 लाख परिवारों

(श्री आदित्येन्द्र)

को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें तो बहुत बड़ा काम होगा।

जहां तक कानूनों में सुधार करने का सवाल है, मैं भी मानता हूं कि बहुत आवश्यक है, सभी ने इस ओर ध्यान दिलाया है और विरोधी दल के नेता ने भी हम सब लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इसके लिए मैंने अभी आपके सामने कहा है कि पिछले तीन महीने में ज्यादा समय न मिलने के कारण ज्यादा विचार नहीं कर सके लेकिन इस संबंध में पूरे तौर से विचार किया जा रहा है।

एक दूसरी बात मुझे आपके सामने लानी है, रेवेन्यू लॉज कमीशन की सिफारिश के आधार पर टिनेन्सी विधेयक को दो बार विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया था लेकिन उस समय किन्हीं कारणों से वह लेप्स हो गया। उसके लिए हमने विचार किया है, नई सरकार प्रवर समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात इस विधेयक को दुबारा पुरःस्थापित करने के लिए निर्णय लेगी. इसके अलावा और भी जहां जहां भी जरूरी होगा, लैंड रिफार्म्स की या और जो कुछ भी इस संबन्ध में बातें होंगी उन पर हम पूरे तौर से विचार करेंगे।

एक सवाल जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है और वह है जमीन के कन्वर्शन की दरों के संबन्ध में। बहुत सी सोसाइटीज ऐसी हैं जयपुर नगर में, जिन्होंने कृषि भूमि खरीदी है, लेकिन उन जमीनों को अभी तक आवास के लिए बदला नहीं जा सका है। क्योंकि अभी तक कोई नियम नहीं था कि किस तरह से बदला जाए किस तरह से नहीं बदला जाए। इससे विकास की गति में बाधा भी पड़ी है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जयपुर नगर में एक स्थान पर कन्वर्शन दर एक है, दूसरे स्थान पर कुछ और तीसरी जगह और भी ज्यादा ऊंची दरें हैं, कहीं कम हैं। इस संबन्ध में विचार किया गया है। पहले एक समिति बनाई गई थी। पिछली सरकार के जमाने में वह मामला भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। इस पर विचार हुआ है और जल्दी से जल्दी केबीनेट में उसको पास कर देंगे जिससे एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जायगी इससे न केवल जयपुर में ही बल्कि दूसरे नगरों में भी इस समस्या का हल निकल जायेगा। यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी है इसलिये राज्य सरकार कुछ संशोधन करके ग्रामीण क्षेत्रों में इस संबंध में नियमों के बारे में निर्णय ले रही है। ऐसा करने से बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पिछले दस-दस वर्ष से इस बात का प्रयास किया जा रहा था, कृषि भूमि आवासीय भूखण्डों में परिवर्तित कर दी जायगी जिससे कि उस जमीन पर मन्डी समिति की मन्डियों का निर्माण किया जा सकेगा जिससे व्यापार बढ़ेगा और आवसीय भूखण्डों पर लोग अपने भवन बना सकेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार संशोधन करने से बहुत भारी मात्रा में समस्या का हल हो जायेगा। ऐसा मेरा विश्वास है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल माननीय सदस्यों ने यहां पर जो उठाया वह उठाया भ्रष्टाचार के बारे में। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार है लेकिन यह भ्रष्टाचार कोई एक दिन में तो बढ़ नहीं गया। यह भ्रष्टाचार कांग्रेस के पिछले तीस साल के शासन में निरन्तर बढ़ रहा है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि यह भ्रष्टाचार हमारे हिन्दुस्तान के आजाद होने के पहले अंग्रेजों के जमाने में भी मौजूद था। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को

(श्री आदित्येन्द्र)

मिटाने के लिये प्रयास कर रही है। पिछले तीस सालों में ज्यों ज्यों भ्रष्टाचार मिटाने की यहां बात की गयी उतनी ही भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई। भ्रष्टाचार में कमी नहीं हुई, भ्रष्टाचार घटा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में वृद्धि ही हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी बीच में इमर्जेन्सी आ गयी। उस समय ऐसा मालूम होता था कि शायद भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। पर ज्यों ही इमर्जेन्सी का युग समाप्त हुआ त्यों ही भ्रष्टाचार, जो दबा हुआ था, एक दम उभर कर सामने आया। ऐसा मालूम होने लगा कि इमर्जेन्सी के पहले जो भ्रष्टाचार था वह इमर्जेन्सी के दौरान बहुत अधिक बढ़ गया। तो मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार को मिटाया जाय, इसके लिये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। इसके लिये मामूली प्रयत्न से भी कुछ काम नहीं कर सकते हैं। मामूली प्रयत्नों से काम नहीं चलने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। जब तक जो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है उसको पूरी तरह समाप्त नहीं किया जायेगा तब तक तो भ्रष्टाचार कम हो सकता है पर भ्रष्टाचार मिट नहीं सकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस भ्रष्टाचार का पूरी तरह से उन्मूलन ही करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रशासन में भ्रष्टाचार का संबंध है, मैं मानता हूं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार जरूर है। ऐसा सुनते हैं कि ऊपर से नीचे तक सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं। इस बारे में शिकायतें भी आती हैं। आज स्थिति ऐसी है कि इन भ्रष्टाचारियों के कारण जो अच्छे काम राज्य सरकार करना चाहती है वह भी नहीं हो पाते हैं, उल्टे वह काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन अब हम जो अभियान चला रहे हैं इस अभियान के दौरान में हम देखेंगे कि कहां-कहां से भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं। वहां पर जो भी अधिकारी होगा जिसने अनियमिततायें की हैं या गलत अलाटमेन्ट किया है या कोई अभियान में कमियां रही हैं राज्य सरकार उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी, उनके खिलाफ तुरन्त एक्शन लिया जायेगा। भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ में जहां तक एक्शन लेने का सवाल है, अभी तक इस सम्बन्ध में यह नियम बने हुए हैं कि भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ में और भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ में तब ही कोई एक्शन लिया जा सकता है जब कि कोई निश्चित शिकायत प्राप्त हो। इसके लिये कई तरह की पाबन्दियां लगी हुई हैं। जिसके खिलाफ शिकायत आती है उसको आरोप पत्र दिया जाता है और बाद में उसके सम्बन्ध में इन्क्वायरी की जाती है इस प्रकार काफी समय लग जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी पांच मिनट बाकी हैं बाद में गुलेटिन लग जायेगा। राजस्व मन्त्रीजी जो राजस्व विभाग की मांगों के संबंध में उत्तर दे रहे हैं उससे तो हमें सन्तोष है लेकिन कुछ शंकाएँ हमारे मन में पैदा हो गयी हैं उनको दूर करने के लिये मैं एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो पांच मिनट ही बचे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह जानना चाहूंगा कि ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अभी तक वित्त मन्त्रीजी का भाषण समाप्त नहीं हुआ है।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा रही है कि जब तक भाषण समाप्त नहीं हो जाये तब तक बीच में उस भाषण को कट शार्ट नहीं किया जा सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो आपको देखना चाहिये था।

श्री परसराम मदेरणा : अभी, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्रीजी ने यह कहा कि वह अक्टूबर से लैण्ड रेवेन्यू के संबध में एक अभियान चला रहे हैं। हमारे यहां जो क्षतिग्रस्त क्रोप होती है डेमेज्ड क्रोप होती है उसकी मौके पर जाकर पटवारी अक्टूबर में रिपोर्ट भेजता है कि कितनी क्रोप क्षतिग्रस्त या डेमेज हुई है। तो उधर आप अभियान चला रहे हैं तो वह क्षतिग्रस्त क्रोप की गिरदावरी के बारे में रिपोर्ट कब देगा? और अगर वह गिरदावरी की रिपोर्ट देगा तो आपका जो अभियान है उसका क्या होगा? यह मैं आपको निश्चित रूप से कह देना चाहता हूं कि बिना पटवारी के आन दी स्पोट हुए आपका यह अभियान फेल हो जायगा। तो क्या आप उसको रेफर करेंगे या....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों काम साथ ही हो जायेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही व्यक्ति दोनों काम कैसे साथ कर लेगा?

श्री परसराम मदेरणा : इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। इस अभियान के दौरान दफा 91 के बहुत केसेज आपके सामने आयेंगे। इसमें कुछ केसेज तो ऐसे होंगे जो कि आलरेडी डिसाइड किये जा चुके हैं क्योंकि पहले ऐसा निर्णय ले लिया गया था कि 1 जुलाई सन् 75 तक जिन लोगों के दफा 91 के केसेज थे, जो कि एमीकेबली सैटल हो गये उनको रेगुलेराइज कर दिया जाय। मैं आपको स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे आपके सामने हजारों मामले आयेंगे जिनके अन्दर जमीन का पजेशन तहसीलदार ने ले लिया है या जिनके मामले निपटाये जा चुके हैं सैटल हो चुके हैं। पत्रावली क्लोज हो चुकी है। तो क्या उन मामलों को आप री-ओपन करेंगे या उन्हें किये हुए मान लेंगे? या आप उन्हीं मामलों पर कार्यवाही करेंगे, उन्हीं को आप देखेंगे जिनमें ट्रेसपास कन्टीन्यू चल रहा है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: दिनांक 1-7-75 के लिये जो भूतपूर्व सरकार ने निर्णय लिया है उन निर्णयों के बारे में आपको शंकायें हो गयीं कि उनका इम्पलीमेन्टेशन होगा कि नहीं? आप निश्चित रहें उन पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार समाधान कर लेगी।

एक माननीय सदस्य : भूतपूर्व मन्त्रीजी के दिमाग में शंका है।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रो मोर फूड, अधिक अन्न उपजाओ के अभियान के तहत लोगों को जमीनें दी गयी थीं। इसके अन्दर पिछली सरकार के समय में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने बढ़िया-बढ़िया जमीनें ले लीं और अपने खातेदारी राइट उन जमीनों के सैटलमेन्ट अधिकारी से मिल कर या भू-राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने हक में करा लिये थे। जब कि गरीबों को

(श्री आदित्येन्द्र)

कुछ भी नहीं मिला। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यह निश्चय किया कि जिन प्रभावशाली या धनी लोगों ने गलत तरीके से खातेदारी राइट ले लिये या जिन्हें मिल गये उन पर पुनर्विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री **परसराम मदेरणा** : यह प्रश्न केबीनेट के अन्दर आया था मेरे पास यह फाइल 26-4-77 को आयी थी। मैंने उसको केबीनेट के निर्णय के लिये रखा था पर कोई निर्णय नहीं लिया गया 24-25 अप्रेल को····

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : ऐसा कोई मामला पिछले तीस वर्षों में केबीनेट में नहीं आया····

श्री **उपाध्यक्ष** : मैंने क्लोजर कर दिया है।

अब शेष मांगों को पारित करने के लिये सदन की राय ली जायगी।

मांग संख्या 8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8 राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,58,09,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मुखबन्द शेष मांगों पर मतदान

मांग संख्या 1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1, संसद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 61,87,000 रु० तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2, राज्यपाल आदि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 68,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : राज्यपाल की नियुक्ति गलत है इसलिये।

मांग संख्या 3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3 मंत्री-परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,77,000 रु० तक की राशि, जिसमें

(श्री उपाध्यक्ष)

लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4 सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,76,77 000 रु. तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5, सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,73,14,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6, न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,60,92,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7, निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,72,29,000 रु तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10 स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 34,01,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11, अचल सम्पति कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष)

26,13,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 12

प्रश्न यह है कि मांग सं० 12, आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,71,15,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13, बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,81,34,000 रु. तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14, खजाना पेंशन आदि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 54,10,72,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15, वाहन कर के सम्बन्ध में 31 मार्च 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 65,05,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20, आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,98,65,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22, कार्यात्मक भवन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978

Page No 127

(127)

(श्री उपाध्यक्ष)

को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,97,79,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 23

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23, श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,86,68,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 65,39,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है. प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 28

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28, परिवार नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,81,55,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

श्री खेतसिंह : जो हुक्म ।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29, नगर विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,65,62,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार ली गयी ।

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30, खाद्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,13,91,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31, पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978

(श्री उपाध्यक्ष)

को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,57,61,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34 आर्थिक एवं सांख्यिक के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 75,31,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग सख्या 35

प्रश्न यह है कि मांग सख्या 35 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,16,29,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 37

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37, लघु सिंचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,65,67,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39, डेअरी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,83,50,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 44

प्रश्न यह है कि मांग सख्या 44, उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,43,41,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 47

प्रश्न यह है कि मांग सख्या 47, नगर आयोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978

(श्री उपाध्यक्ष)

को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,30,05,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48, परिगणित के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,20,82,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1977

अब श्री प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1977 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करता हूं।

वित्तीय समितियों का गठन नाम निर्देश

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक सूचना सदन के माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं। वित्तीय समितियों के सम्बन्ध में घोषणा।

मैं सदन को सूचित करता हूं कि जनलेखा समिति, 1977-78, प्राक्कलन समिति 1977-78 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 1977-78 के चुनावों हेतु निम्नलिखित उम्मीदवारों के नामजदगी के पर्चे जांच के बाद सही पाये गये हैं :

जनलेखा समिति:–

1. श्री कौशल किशोर जैन (29)
2. श्री रतन लाल वर्मा (130)
3. श्री दाऊदयाल जोशी (62)
4. श्री ओंकार लाल चौहान (27)
5. श्री मंजूर अली (100)
6. श्री शीशराम ओला (168)
7. श्री शिवचरण सिंह (165)
8. श्री नवरंग सिंह (70)
9. श्री रामकिशोर मीणा (134)
10. श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (46)
11. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (85)
12. श्री माला राम (116)
13. श्री जयनारायण सालोदिया (55)
14. श्री नारायण सिंह (76)
15. श्री गोरधन (44)
16. श्री खंगार सिंह चौधरी (30)
17. श्री रामनारायण डूंडी (140)
18. श्री रघुनंदन व्यास (125)
19. श्री आलम अली खां (9)

(श्री उपाध्यक्ष)

20. श्री हरजीराम बुरड़क (187)
21. श्री करतार सिंह (20)
22. श्री गुलाबचन्द कटारिया (40)
23. श्री नत्थीसिंह (65)
24. श्री मनीराम 101)
25. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (14)
26. श्री हर चन्द सिंह (186)
27. श्री कानसिंह (22)
28. श्री रामप्रसाद लड्ढा (142)
29. श्री नरेन्द्रपाल सिंह (68)
30. श्री उमरावसिंह गूजर (15)
31. श्री मूलचन्द सामरिया (119)
32. श्री रामेश्वर दयाल यादव (146)
33. श्री अजीतसिंह (2)
34. श्री जयकृष्ण (53)
35. श्री बहादुरसिंह (90)

श्री खेतसिंह : जनता पार्टी पूरी ही आ गयी क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह जांच नहीं की।

36. श्री नाथूराम (72)
37. श्री बत्तीलाल मीणा (155)
38. श्री कुन्जी लाल (26)
39. श्री बहादुर सिंह (89)
40. श्री नाथूलाल (73)
41. श्री अयूब खां (6)
42. श्री गोपाल सिंह (43)
43. श्री कारु भाई मीणा (23)
44 श्री इन्दर सिंह (10)
45. श्री रघुनाथ विश्नोई (126)
46. श्री शंकरलाल (163)
47. श्री काशी नाथ गुप्त (24)
48. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (51)
49. श्री बंशीलाल सारस्वत (87)
50. श्री लालशंकर डेंडोर (153)
51. श्री बिरदमल सिंघवी (92)

कुल माननीय सदस्य 51 हैं।

प्राक्कलन समिति

1. श्री कौशल किशोर जैन (29)
2. श्री मंजूर अली (100)
3. श्री शीशराम ओला (168)
4. श्री मोहन लाल (121)
5. श्री समर्थ लाल (173)
6. श्री नवरंग सिंह (70)
7. श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (46)
8. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (85)
9. श्री मालाराम (116)
10. श्री जयनारायण सालोदिया (55)
11 श्री नारायण सिंह (76)
12. श्री गोरधन (44)
13. श्री रतना राम (131)
14. श्री किशनसिंह भाटी (25)
15. श्री हरजीराम बुरड़क (187)
16. श्री करतार सिंह (20)
17. श्री गुलाबचन्द कटारिया (40)
18. श्री अब्दुल अजीज (3)
19. श्री नत्थीसिंह (65)
20. श्री हरचन्द सिंह (186)
21. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (14)
22. श्री कानसिंह (22)
23. श्री पदमसिंह राठौड़ (79)
24 श्री रामप्रसाद लड्ढा (142)
25. श्री सुरेश कुमार (178)
26. श्री नरेन्द्रपाल सिंह (68)
27. श्री मूलचन्द सामरिया (119)
28. श्रीमती मदन कौर (03)
29. श्री रामेश्वर दयाल यादव (146)
30. श्री अजीतसिंह (2)
33. श्री नाथूराम (72)

(श्री उपाध्यक्ष)

32. श्री बत्तीलाल मीणा (155)
33. श्री बहादुर सिंह (89)
34. श्री नाथूलाल (73)
35. श्री गोपालसिंह (43)
36. श्री मनफूल राम (105)
37. श्री इन्दर सिंह (10)
38. श्री रामकिशोर मीणा (134)
39. सुश्री पुष्पा (83)
40. श्री श्रवणलाल (171)
41. श्री गोविन्द सहाय वैद्य (45)
42. श्री रामजीलाल (137)
43. श्री जगदीश सिंह (52)
44. श्री जिथिंग (56)
45. श्री गुल मोहम्मद (39)
46. श्री मथुरादास माथुर (102)

राजकीय उपक्रम समिति

1. श्री कोशल किशोर जैन (29)
2. श्री रामेश्वर प्रसाद (147)
3. श्री भंवर लाल ऐरन (93)
4. श्री नवलराय बच्चाणी (71)
5. श्री एच० एन० शर्मा (195)
6. श्री मंजूर अली (100)
7. श्री रामकरण सिंह (132)
8. श्री रंग जी (124)
9. श्री कमलेन्द्र सिंह (19)
10. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (85)
11. श्री जयनारायण सालोदिया (55)
12. श्री नारायण सिंह (76)
13. श्री गोरधन (44)
14. श्री खंगार सिंह चौधरी (30)
15. श्री माधव सिंह (112)
16. श्री बिरदमल सिंघवी (92)
17. श्री हरजीराम बुरड़क (187)
18. श्री आलम अली खां (9)
19. श्री करतार सिंह (20)
20. श्री गुलाबचन्द कटारिया (40)
21. श्री कानसिंह (22)
22. श्री रामप्रसाद लड्ढा (142)
23. श्री सुरेश कुमार (178)
24. श्री उमरावसिंह गूजर (15)
25. श्री मूलचन्द सामरिया (119)
26. श्री अब्दुल हादी (4)
27. श्री रामेश्वर दयाल यादव (146)
28. श्री मूलचन्द डागा (118)
29. श्री हजारी मल सारण (184)
30. श्री हीरा लाल (176)
31. श्री लाल शंकर डेंडोर (153)
32. श्री अमृतलाल (5)
33. श्री मावजी (117)
34. श्री लालू दास (154)
35. श्री बत्तीलाल मीणा (155)
36. श्री कुन्जी लाल (26)
37. श्री बहादुर सिंह (89)
38. श्री नाथूलाल (73)
39. श्री कालू भाई मीणा (23)
40. श्री गोपाल सिंह (43)
41. श्री नूरा (78)
42. श्री सोहनलाल बंशीवाल (182)
43. श्री रामरघुनाथ चौधरी (143)
44. श्री टीकमचन्द कान्त (59)
45. श्री ईश्वर चन्द्र (11)
46. श्री भंवर लाल शर्मा (94)
47. श्री दाऊदयाल जोशी (62)
48. श्री रतनलाल वर्मा (130)
49. श्री इन्दर सिंह (10)
50. श्री उगमराज मेहता (12)
51. श्री चिरंजीलाल (47)

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनमें से कई तो मन्त्रिमण्डल में आने वाले हैं फिर उनका क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : अब कार्यसूची में कोई कार्य नहीं बचा है। मैं सदन की कार्यवाही कल 28 सितम्बर, 1977 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4-46 बजे बुधवार दिनांक 28 सितम्बर, 1977 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 428 की सूची)

परिशिष्ट–अ

क्रम संख्या	बस्ती का नाम	स्वीकृत राशि	विकास कार्यों पर अगस्त, 77 तक व्यय की गई राशि
1	2	3	4
प्रथम परियोजना			
1.	कोली बस्ती जेरकोट चोकड़ी हजूरी	46,000.00	47,709.00
2.	मिनर्वा टॉकीज के पीछे }	5,21,000.00	6,98,924.00
3.	चन्नादास की बगीची }		
4.	लोकोशेड के पीछे हसनपुरा	6,91,000.00	4,94,362.00
		12,58,000.00	12,40,995.00
द्वितीय परियोजना			
1.	अशोकपुरा सोडाला	2,33,850.00	2,33,896.00
2.	हसनपुरा साउथ आफ खातीपुरा	2,40,860.00	3,52,979.00
3.	मुस्लिम स्कूल के पीछे कच्ची बस्ती एम० डी० रोड	30,550.00	35,877.00
4.	सेंट एंजला स्कूल के पीछे कच्ची बस्ती जनता कालोनी }	1,93,350.00	1,76,927.00
5.	जनता कालोनी विस्तार }		
6.	जनता कालोनी विस्तार हरिजन बस्ती }		
7.	मण्डी खटीकान	3,36,000.00	3,42,003.00
8.	जमना डेयरी }	1,95,500.00	2,92,716.00
9.	लक्ष्मी नगर }		
10.	मोहल्ला कुमावतान }		
		12,50,110.00	14,34,398.00
तृतीय परियोजना			
1.	बड़ोदिया बस्ती	1,41,789.00	1,09,334.00
2.	स्वामियों की बस्ती	85,700.00	65,940.00

(134)

1	2	3	4
3.	हथरोई पी० एण्ड टी० के सामने	49,150.00	69,025.00
4.	मोतीलाल नेहरू कं०, बस्ती	60,500.00	87,519.00
5.	नाटाणियों का बाग	42,600.00	31,830.00
6.	हथरोई विधायकपुरी	84,300.00	60,511.00
7.	चकसुन्दर की बस्ती	52,775.00	83,822.00
8.	ब्रह्मपुरी कच्ची बस्ती	38,160.00	51,656.00
9.	मदरामपुरा बम्बई वालों की कोठी के पीछे	84,500.00	92,774.00
10.	मदरामपुरा भैरूं पटेल की भूमि के निकट		
11.	बाईस गोदाम गीजगढ़ हाउस के पीछे	1,87,500.00	3,20,533.00
12.	बास बदनपुरा	2,10,346.00	2,35,254.00
13.	तोपखाना हजूरी	11,71,033.00	8,68,840.00
		20,18,353.00	20,87,038.00

चतुर्थ परियोजना

1.	नदी एरिया कच्ची बस्ती	3,77,800.00	6,90,450.00
2.	बस्ती सीतारामपुरा	2,02,500.00	1,32,706.00
3.	बागड़ियों की बस्ती आदर्शनगर	37,000.00	27,033.00
4.	बास बदनपुरा, सीतारामपुरा, फकीरों की डूंगरी	90,000.00	63,413.00
5.	कमालपुरा	1,36,200.00	1,04,630.00
		8,43,500.00	10,18,232.00

पंचम परियोजना

1.	चांदपोल गेट से नार्मल स्कूल तक	1,19,450.00	75,405.00
2.	मोहल्ला सिकलीगरान	62,520.00	5,336.00
3.	चौरी बरदार का बाग	39,240.00	27,505.00
4.	नाहरवाड़ा	91,560.00	20,959.00
5.	कुन्डयाकिशन	33,960.00	42,086.00
6.	कच्चा बन्धा हरिजन बस्ती	33,600.00	29,732.00
7.	लंगर की मोरी के पास	11,140.00	15,863.00

Page No 135

(135)

1	2	3	4
8.	नादिरों की मस्जिद के पास	29,270.00	11,734.00
9.	बालानन्दजी का रास्ता हरिजन बस्ती	28,025.00	8,256.00
10.	गुलाब बाड़ी	62,580.00	16,534.00
11.	कोली बस्ती लंगर का बालाजी उत्तर में	32,125.00	34,836.00
12.	कोली बस्ती गंगा माता के मन्दिर के पास	37,800.00	16,912.00
13.	कोली बस्ती गुलजार मस्जिद के पास	24,000.00	61,300.00
14.	पंचमुखी हनुमान नारी का नाका	2,54,760.00	2,34,485.00
15.	नारी के नाका के पास हाजी कालोनी माली कालोनी, डी० पी० कालोनी	2,58,572.00	3,93,719.00
16.	ग्राम सुशीलपुरा अजमेर रोड	1,14,960.00	1,32,986.00
17.	परसरामपुरी बद्रीनारायण की डूंगरी	38,520.00	42,500.00
18.	परसरामपुरी गुजरघाटी	28,080.00	44,820.00
19.	फतेहटीबा श्मशान के पास	31,895.00	30,240.00
		13,22,057.00	12,54,247.00

छठी परियोजना

1.	कायस्थों की बगीची के पास	46,600.00	13,710.00
2.	डॉ० बोहरा की हवेली के पास	37,900.00	6,018.00
3.	कोठी रेगरान	62,000.00	62,785.00
4.	सड़क घोड़ा निकास	20,600.00	27,798.00
5. 6.	चार दरवाजे से गंगापोल डॉ० बोहरा का बाग	75,700.00	71,902.00
7.	डॉ० बांस्को की मोरी के पास	1,11,600.00	85,982.00
8.	नायकान	3,83,00.00	33,073.00
9.	बारा मोरी के पास	53,800.00	77,637.00
10.	मोहल्ला चेलान	17,700.00	24,459.00
11.	बलाई बस्ती	28,800,00	9,131.00
12.	नाहरी का नाका	21,73,400.00	20,22,057.00
13.	हथरोई बावड़ी	1,07,000.00	1,33,976.00
14.	तिवाड़ीजी का बाग	78,500.00	—
15.	दुर्गापुरा	84,900.00	83,487.00
		39,36,800.00	26,52,017.00

1	2	3	4
सातवीं परियोजना			
1.	केन्द्रीय स्कूल के पास कच्ची बस्ती	3,27,750.00	1,53,446.00
		3,27,750.00	1,53,446.00

परिशिष्ट 'ब'

क्रम संख्या	बस्ती का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि
1.	लक्ष्मण डूंगरी	1,41,000.00	—
2.	हथरोई विधायकपुरी	93,000.00	—
3.	प्रो० टी० एस० के पास कच्ची बस्ती	62,250.00	—
4.	लाल कोठी कच्ची बस्ती	2,55,000.00	—
5.	झालाना डूंगरी कच्ची बस्ती	1,87,500.00	—
6.	लालाजी की ढाणी कच्ची बस्ती	72,750.00	—
7.	बरकत कोलोनी पोलोविक्ट्री के पास	41,000.00	—
		8,11,500.00	—

परिशिष्ट—2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन

441. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि गत तीस वर्षों से प्रदेश में भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के प्रसार एवं इसे अधिक व्यावहारिक बनाने में राज्य सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में कार्यरत चिकित्सकों, शिक्षकों एवं अनुसन्धानकर्त्ताओं को राज्य सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान का उद्घाटन हुए कितना समय हो गया है ?

(4) क्या इस संस्थान ने अपना कार्य सुचारु रूप से प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? देरी के क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि इस संस्थान में नियुक्त किये जाने वाले वैद्यों का चयन न किया जाकर नियुक्ति कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों, और इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जावेगा ?

(6) इस अनुसन्धान संस्थान के विकास हेतु कितना रुपया केन्द्रीय सरकार से और कितना रुपया राज्य सरकार से दिया जाता है ?

(7) यदि पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है तो इसके अनुसन्धान कार्य की धीमी गति के लिये कौन उत्तरदायी हैं और उनके प्रति क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किन्तु फिर भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।

(2) जी हां। यथोचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया। प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

(आयुर्वेद मंत्री)

(3) राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान का उद्घाटन दिनांक 7 फरवरी, 1976 को हुआ।

(4) जी हां। सुचारु रूप से चलाने के प्रयास किये जा रहे हैं। वैधानिक कठिनाइयों का हल निकाला जा रहा है।

(5) वर्त्तमान में संस्थान में समस्त स्टॉफ प्रतिनियुक्ति पर है। इनके केन्द्र सरकार में विलय किये जाने का शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

(6) वर्त्तमान में अनुसंधान संस्थान नामक कोई अलग से संस्थान नहीं है। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में ही अनुसंधान का कार्य होता है। इस पर जो भी व्यय होता है, वह संस्थान के सम्पूर्ण बजट के अन्तर्गत ही वहन होता है।

(7) पहले रीजनल रिसर्च इन्स्टीट्यूट नाम का एक इन्स्टीट्यूट था, जिस पर केन्द्र सरकार का प्रशासनिक अधिकार था किन्तु अब राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के बनने के बाद यह इन्स्टीट्यूट संस्थान में सम्मिलित हो गया है। कार्य को व्यवस्थित गति से चलाने हेतु गवर्निंग बॉडी में विचार किया जा सकेगा।

छोटे बालकों का स्कूल जाने का समय

442. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बालकों के स्कूल दो शिफ्टों में चलते हैं? क्या यह सही है कि स्कूलों की पहली शिफ्ट 7.30 से 11.30 बजे और दूसरी 12 बजे से 5.00 बजे तक है? क्या यह सही है कि जाड़े में पहली शिफ्ट में बालक ठिठुरते हुये स्कूलों में जाते हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने छोटे बालकों के स्कूल जाने की प्रथम शिफ्ट के वक्त में परिवर्तन करने का विचार किया है?

(2) क्या यह सही है कि चाइल्ड साइकोलोजी (Child Psychology) को ध्यान में रखकर सम्पूर्ण बालकों को राज्य सरकार द्वारा दोपहर का नाश्ता दिया जाता है? यदि हां, तो इसके लिए कितना धन खर्च किया जाता है? अब इस आइटम हेतु राज्य सरकार का कितना धन खर्च करने का इरादा है?

उत्तर

(1) जी हां। दो शिफ्ट वाले स्कूलों में समय निम्न प्रकार से निर्धारित है :

(क) 1 अप्रेल से 31 अक्टूबर तक —

(i) प्रथम पारी प्रातः 6.45 से 11.45 तक

(ii) द्वितीय पारी प्रातः 11.55 से 6.30 तक

(शिक्षा-मंत्री)

(ख) 1 नवम्बर से 31 मार्च तक—

(i) प्रथम पारी प्रात: 7.25 से 11.55 तक

(ii) द्वितीय पारी प्रात: 11.55 से 5.30 तक

स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए प्रधानाध्यापक इसमें जिन कक्षाओं को प्रथम या दूसरी शिफ्ट में बुलाना होता है, व्यवस्था करते हैं।

(2) जी नहीं। केवल 103 ब्लाक्स में 3.37 लाख बच्चों को ही पोषाहार कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इस पर राजस्थान सरकार 20 लाख रुपये प्रति वर्ष ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज पर व्यय करती है। वित्तीय संकोच के कारण फिलहाल प्रावधान बढ़ाना संभव नहीं है।

बयावर कलां, तहसील सांगोद को नल योजना

443. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : क्या-जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राज्य सरकार ग्राम बयावर कलां, तहसील सांगोद में नल योजना चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों एवं धन की उपलब्धि के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

कृषि विभाग के स्थाई तकनीकी कर्मचारी व अधिकारी

444 श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग के स्थाई तकनीकी कर्मचारियों को व अधिकारियों को वर्ष 1969–70 में कृषि विभाग राजस्थान कृषि अभियान्त्रिक मण्डल जयपुर से राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था ? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारीगण समय-समय पर (आप्शन) देकर कृषि विभाग में आते रहे और उन्हें कृषि विभाग ने समुचित पद पर लगाया है ? यदि हां, तो किन-किन को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री नवरंगसिंह)

(3) क्या यह सही है कि जो कर्मचारी नवम्बर, 1976 में वापस आये थे उनको उचित स्थान पर नहीं लगाया गया ? यदि हां, तो क्यों नहीं लगाया गया ? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें नहीं लगाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों को अधिघोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह राज्य सरकार के आदेश सं० एफ. 4 (47) कृषि/ग्रुप/1/72 दिनांक फरवरी, 1973 की अवहेलना नहीं है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त अधिघोषित कर्मचारियों को वर्ष 1974 की विभागीय पदोन्नति समिति को सूची में सम्मिलित किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन को ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त अधिघोषित कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति समिति की सूची में सम्मिलित न करने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? दोषी व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? इन दोषी कर्मचारियों पर राज्य सरकार अब क्या कार्यवाही करने की सोचती है ?

उत्तर

(1) जी हां। ये अधिकारी/कर्मचारी राजस्थान कृषि अभियान्त्रिक मण्डल से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं। 73 कर्मचारियों में से 56 कर्मचारियों को कृषि निदेशालय एवं अन्य विभागों में उपलब्ध समुचित पदों पर समायोजित किया गया। इसके अलावा 11 बुलडोजर आपरेटर्स में से 9 को वाहन चालकों के पदों पर, एक को कनिष्ठ लिपिक एवं एक को मशीन आपरेटर के पद पर कृषि विभाग में समायोजित किया गया। शेष 6 कर्मचारियों, जो अभी तक अधिशेष हैं, की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी हां। क्योंकि इन कर्मचारियों ने राज्य सेवा के लिए विकल्प किया था तथा कृषि विभाग में समुचित पद उपलब्ध न होने के कारण उन्हें अधिशेष अधिघोषित किया गया था। कथित आदेश दिनांक 21 फरवरी, 1973 केवल उन्हीं स्कीमों में कार्यरत कर्मचारियों पर ही लागू होते थे जो स्कीमें अभियान्त्रिक मण्डल के समाप्त होने पर कृषि निदेशालय को स्थानान्तरित कर दी गयी थीं। अतः उक्त आदेश की अवहेलना नहीं की गयी है।

(कृषि-मंत्री)

(5) जी नहीं। क्योंकि ये कर्मचारी कृषि निदेशालय से अलग स्वतन्त्र विभाग के कर्मचारी थे अतः इन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति मनोहरथाना के अध्यापकों की बकाया राशि

445. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहरथाना) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मनोहर थाना पंचायत समिति (झालावाड़) में अध्यापकों की 811 एवं 858 के तहत कितनी राशि जमा हुई थी ?

(2) क्या उक्त जमा शुदा राशि को पुनः लौटाने के आदेश राज्य सरकार ने दे दिये हैं ?

(3) उक्त आदेश के उपरान्त मनोहरथाना समिति द्वारा कर्मचारियों को भुगतान किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के अकाउन्टेन्ट अध्यापकों का भुगतान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें कमीशन के रूप में अध्यापकों से कोई राशि नहीं मिल रही है ?

(5) क्या यह सही है कि इसी के विरोध स्वरूप पंचायत समिति के अध्यापकों ने अपना जुलाई का वेतन नहीं उठाया है और निर्णय लिया है कि जब तक उनके डिफरेन्ट एरीयर बिल, मेडिकल बिल आदि का भुगतान नहीं होगा वे वेतन नहीं उठायेंगे ?

(6) उक्त राशि का भुगतान पूर्णरूपेण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) क्रमशः 14082 रुपये एवं 76,678 रुपया व 95 पैसे।

(2) जी हां।

(3) प्रथम किश्त का भुगतान किया जा चुका है। दूसरी किश्त का मामला चैक जारी करने हेतु परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान, जयपुर के यहां विचाराधीन है।

(पंचायत मंत्री)

(4) जांच की जा रही है। तत्पश्चात ही स्थिति की जानकारी मिल सकेगी।

(5) जी नहीं। अध्यापकों ने गलतफहमी से कुछ दिनों तक माह जुलाई का वेतन नहीं लिया था किन्तु बाद में गलतफहमी दूर होने पर माह जुलाई का वेतन ले लिया था और अगस्त के वेतन का भी नियमित रूप से चुकारा कर दिया गया है।

(6) यथाशीघ्र करने की कार्यवाही की जावेगी।

कृषि उपज मंडी, धौलपुर

446. श्री जगदीश प्रसाद (धौलपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर नगर में कृषि मंडी यार्ड के निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है और उसकी आधारशिला भी रखी जा चुकी है? यदि हां, तो इसके निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है?

(2) उक्त कृषि उपज मंडी समिति की अब तक आय क्या है? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त मंडी ने अब तक कृषकों के लिये क्या-क्या हितकारी कार्य किये हैं? कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि धौलपुर नगर में कृषि मण्डी यार्ड के निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है और उसकी आधार शिला भी रखी जा चुकी है परन्तु नये मण्डी यार्ड के लिये राजधरजू नर्सरी की भूमि मण्डी समिति को स्थानान्तरित की गई थी। वह यार्ड हेतु काफी नहीं होने के कारण उसके अतिरिक्त और अधिक भूमि की आवश्यकता है जिसकी प्राप्ति की कार्यवाही की जा रही है। पूरी भूमि प्राप्त होने पर एक योजनाबद्ध तरीके से मण्डी निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना सम्भव होगा।

(2) कृषि उपज मन्डी समिति धौलपुर की आय को वर्षवार विवरण सूची 'क' संलग्न है।

(3) सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची 'क'

कृषि उपज मण्डी समिति, धौलपुर की वर्षवार आय का विवरण

संख्या	वर्ष	आय (रुपये)	
1.	1966-67	4,200–00	
2.	1967-68	16,443–91	
3.	1968-69	34,974–02	
4.	1969-70	28,429–58	
5.	1970-71	28,458–50	
6.	1971-72	31,472–07	
7.	1972-73	31,986–96	
8.	1973-74	43,200–03	
9.	1974-75	1,49,989–44	
10.	1975-76	3,47,388–45	
11.	1976-77	4,59,949–81	
12.	1977-78	2,26,050–33	(अगस्त, 77 तक)

सूची "ख"

कृषि उपज मण्डी समिति, धौलपुर द्वारा अब तक कृषकों के लिये किये गये हितकारी कार्य की सूची

(1) पीने के जल की व्यवस्था।

(2) मण्डी यार्ड में सफाई व्यवस्था ।

(3) उपज की सुरक्षा हेतु चौकीदारी व्यवस्था ।

(4) सड़क निर्माण ।

पंचायत समिति, बालेसर एवं शेरगढ़ की प्राथमिक शालाएं

447. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बालेसर एवं पंचायत समिति शेरगढ़ की कई प्राथमिक शालाएं जो गत कई वर्षों से चलती आ रही थीं और जिनके लिए विभाग के बजट से पंचायत समिति में बजट भी आवंटित किया हुआ है; को इस वर्ष बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी शालाओं को बन्द कर दिया है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(144)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(2) इन्हें बन्द करने का क्या कारण है ?

(3) इन शालाओं को बन्द करने के आदेश विभाग के किस अधिकारी द्वारा दिये गये थे ? आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) ये शालाएं फिर से कब प्रारंभ की जायेंगी ?

(5) सैकड़ों बच्चों को बिना विद्या के रखा गया उनके नुकसान का जिम्मेवार कौन है, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । किसी भी पाठशाला का बजट प्रावधान बन्द नहीं किया गया है और न बजट के अभाव में कोई पाठशाला बन्द की गई है । किन्तु अध्यापकों के पद रिक्त रहने से पंचायत समिति बालेसर की 7 व पंचायत समिति, शेरगढ़ की 12 प्राथमिक शालाएं बन्द रहीं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) अध्यापकों के पद रिक्त रहना ।

(3) किसी भी अधिकारी ने पाठशाला बन्द करने का आदेश नहीं दिया । प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(4) पाठशालायें चालू कर दी गई हैं ।

(5) पाठशाला बन्द रखने के लिए विकास अधिकारी, पंचायत समिति बालेसर व विकास अधिकारी, पंचायत समिति शेरगढ़ दोषी हैं । इनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

सूची पंचायत समिति, बालेसर

1.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	चांचलवा
2.	,,	केतूद्मा
3.	,,	केतू नापा (फीडर)
4.	,,	सेखाला आवड़ी
5.	,,	ठाडिया
6.	,,	निम्बो का गांव
7.	,,	भाटियों की ढाणी

सूची पंचायत समिति शेरगढ़

1.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	सावेरिया
2.	,,	मोडो की ढाणी साई
3.	,,	वालों का बेरा शेरगढ़
4.	,,	सूराला नाड़ा शेरगढ़
5.	,,	जाटों का बेरा तेना
6.	,,	भीम सागर चावा
7.	,,	नया बेरा भूगड़ा
8.	,,	नार खां का पाना सोलंकिया तला
9.	,,	डाडे की बेरो दासानिया
10.	,,	पाबसर दासानिया
11.	,,	लाल सागर चांद सभा
12.	,,	सम्मत सागर चोरडिया

सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़

448. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इन वर्षों में राज्य के छात्रों को जो सैनिक स्कूल चित्तौड़ में अथवा बाहर हैं उनके लिए राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले अंशदान में और स्वयं द्वारा वहन किये जाने वाले खर्चे में कोई परिवर्तन किया गया है ?

(2) अन्य राज्यों से हरियाणा आदि की सरकारें वहां के बच्चों को किस तरह से क्या सहायता देती हैं ?

(3) वर्तमान में चित्तौड़ सैनिक स्कूल में कितने बच्चे राजस्थान के पढ़ते हैं और अन्य राज्यों के कितने लड़के हैं ?

(4) क्या यह सही है कि व्यक्तिगत अंशदान बढ़ाने के फलस्वरूप साधारण और सामान्य घरों के लड़कों की संख्या में अपवृद्धि हुई है ?

(5) क्या वर्तमान सरकार इस बारे में सोच रही है कि राजस्थान के विद्यार्थियों को सैनिक स्कूलों में अधिक प्रवेश मिले ?

(शिक्षा-मंत्री)   उत्तर

(1) राज्य सरकार पूर्ववत 2350) रु० ही अंशदान वहन करती है। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कुल फीस 4000) रु० वार्षिक कर दी है अतः शेष व्यय छात्रों से वहन करने के लिए कहा जा रहा है।

(2) उपलब्ध सूचना के अनुसार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकारें 3,500) रु० वार्षिक प्रति छात्र अंशदान वहन करती हैं।

(3) राजस्थान के 336, पंजाब के 3, हरियाणा के 70, उत्तर प्रदेश के 11, महाराष्ट्र के 11 तथा दिल्ली के 27 छात्र वहां पढ़ते हैं।

(4) जी नहीं।

(5) राजस्थान के लिए प्रति वर्ष 67 सीटें निर्धारित हैं। इतने ही छात्र यहां प्रति वर्ष प्रवेश ले लेते हैं। संख्या में वृद्धि का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

जवाई बांध

449. **श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जवाई बान्ध का निर्माण किस वर्ष में प्रारम्भ हुआ और यह कब पूरा हुआ ?

(2) क्या उस समय सिरोही और जोधपुर अलग-अलग राज्य थे ?

(3) क्या उस समय जवाई बान्ध से बाली तहसील, आहोर तहसील और शिवगंज तहसील के गांवों में सिंचाई करवाने का निर्णय हुआ था ?

(4) क्या इसलिये उस समय जवाई के दक्षिणी हिस्से में नहर के लिये फाटक की व्यवस्था रखी थी जो आज भी है ?

(5) यदि हां, तो शिवगंज तहसील के पन्द्रह गांवों में (पानी देने का) आबपाशी का निर्णय क्यों रोका गया था ?

(6) अब जवाई में सेई नदी का पानी डाला गया है ? क्या अब शिवगंज तहसील के इन गांवों में जवाई से आबपाशी की जायगी क्योंकि यह क्षेत्र बांध से दो किलोमीटर से ही आरम्भ होता है और जमीन के नीचे पानी नहीं है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जवाई बान्ध का निर्माण कार्य सन् 1946 में आरम्भ होकर सन् 1957 में पूर्ण हो गया था।

(सिचाई-मंत्री)

(2) जी हां। जवाई बांध का कार्य जब शुरू हुआ था तब सिरोही और जोधपुर राज्य अलग-अलग थे।

(3) जी नहीं। केवल बाली और आहोर तहसीलों की भूमि में ही सिचाई करने का प्रस्ताव था। शिवगंज तहसील में नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) शिवगंज तहसील में आबपाशी करने का कोई निर्णय नहीं था।

(6) जी नहीं।

भोमड़ा-वायतु ग्रामीण जलप्रदाय योजना

450. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जन-स्वास्थ्य एवं भू-जल विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले की भीमड़ा-वायतु ग्रामीण जल प्रदाय योजना से कितने ग्राम कितनी-कितनी जनसंख्या के लाभान्वित हो रहे हैं ?

(2) उक्त ग्रामीण जलप्रदाय योजना के लिये जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा भू-जल विभाग को कितनी राशि कितने नलकूपों के निर्माण एवं विकास के लिये कब-कब जमा कराई ? क्या उक्त योजना के लिये और नलकूपों के निर्माण को आवश्यकता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा भू-जल विभाग को कब तक राशि जमा करा दी जायगी ?

(3) भू-जल विभाग द्वारा नलकूपों के निर्माण एवं विकास में देरी करने के क्या कारण रहे हैं ? भू-जल विभाग कब तक नलकूपों का निर्माण एवं विकास कर देगा ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामीण जलप्रदाय योजना के लिये भू-जल विभाग द्वारा नलकूपों के निर्माण एवं विकास नहीं होने के कारण इस वर्ष गर्मी के दिनों में एक सप्ताह में एक रोज पानी पहुँचाया गया जिससे ग्रामीण जनता को बड़े कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ा ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त ग्रामीण जलप्रदाय योजना के द्वारा आगामी गर्मी आने के पहिले ऐसा इन्तजाम कर देगी जिससे कि ग्रामीण जनता को प्रति दिन पानी उपलब्ध हो सके ?

(जन-स्वास्थ्य मंत्री) उत्तर

(1) योजना के अन्तर्गत फिलहाल 17 ग्रामों में सन् 1971 की जनगणनानुसार 28070 आबादी लाभान्वित हो रही है।

(2) गत वर्ष 1.05 लाख रु० भू-जल विभाग को एक नलकूप का निर्माण करने के लिये जमा करवाया गया था। उक्त नया नलकूप बन जाने के उपरान्त एक और नलकूप भी बनाया जावेगा इसके लिये राशि इस वर्ष जमा करा दी जावेगी।

(3) भू-जल विभाग द्वारा नलकूपों का निर्माण मशीन इकाई–4 के द्वारा बनाई जाती है। इस मशीन को भू-जल विभाग की केन्द्र कार्यशाला में मरम्मत की जा रही है व एक माह में ठीक होने की सम्भावना है। भीमड़ा में डी. पी. ए. पी. लिये एक आब्जर्वेशन होल बनाया गया है जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है।

(4) नलकूपों के निर्माण न होने एवं विकास न होने के कारण जल वितरण में व्यवधान रहा है। ग्राम धवा एवं रावतसर में जल वितरण बन्द है एवं शेष ग्रामों में बहुत ही सीमित मात्रा में जल पहुंच रहा है।

(5) जी हां। राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

खाद्य निरीक्षकों के अधिकार

451. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मिलावट रोक अधिनियम, 1954 भारत सरकार द्वारा निर्मित है? यदि हां, तो फिर राज्य सरकार ने चुनावों से पूर्व सारे राजस्थान में खाद्य निरीक्षकों के अधिकार किन कारणों से समाप्त कर दिये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि चुनावों से पूर्व नगरपालिका तथा एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर्स पर मिलावट रोक अधिनियम लागू था एवं उस समय महज चुनाव जीतने अथवा मत प्राप्त करने के लिये उसको हटाया गया था? अगर हां, तो सरकार अब पुनः उन खाद्य निरीक्षकों को उनके कार्य अधिकार वापस सौंपने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 भारत सरकार द्वारा निर्मित है। उप-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा०) तथा पूर्ण समय खाद्य निरीक्षकों के खाद्य निरीक्षण के अधिकार वापस नहीं लिए गये। राज्य सरकार की अधिसूचना क्र० एफ० 25 (1) एम०ई०/75/ग्रुप–1 दिनांक 20-4-77 द्वारा केवल स्वास्थ्य निरीक्षकों की खाद्य शक्तियां वापस ले ली गई थीं।

(चिकित्सा-मंत्री)

(2) चुनावों के पूर्व जो नगरपालिका क्षेत्र, एस०डी०ओ० हैडक्वे आदि अन्य स्थान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत स्थानीय थे वे पूर्ववत ही हैं। किसी भी क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ हटाया नहीं गया। स्वास्थ्य निरीक्षकों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 54 के अन्तर्गत करने के अधिकार देने का राज्य सरकार के विचाराधीन है।

विकास पंचायत, गाडरमाला

452. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री मोलाबक्ष पीनारा, विकास पंचायत में उप-सरपंच के पद पर रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति 3-11-61 को सुवाणा पंचायत समिति से 60 क्विन्टल 80 किलो गेहूँ विकास पंचायत, गाडरमाला के लिये लाया जिसकी कीमत 3,648 रुपये थी और जिसका जमा खर्च पंचायत की बहियों में नहीं है ?

(3) क्या उन्होंने विकास पंचायत गाडरमाला के नाम पर 31-10-61 को यूरिया खाद का थैला 20 कीमतन 740 रुपया उठाया ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में विभाग को पहले भी जांच के लिये जनता की ओर से प्रार्थना पत्र पेश हुए हैं ? अगर हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पंचायत का रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से जमा खर्च के बारे में उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। जांच की जा रही है।

माही नदी की बाढ़ से क्षति तथा राहत कार्य में गबन के मामले

453. **श्री नन्दलाल** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सागवाड़ा तहसील में सन् 1973 में माही नदी की बाढ़ के कारण कई गांव बाढ़ग्रस्त हो गए थे ?

(प्रश्न हायता मंत्री)

..) यदि हां, तो कौन-कौन से गांव ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने ..ट करें।

(3) क्या बाढ़ग्रस्त इलाकों में सहायता, कबाड़ा आदि वितरण करने में कोई गबन के मामले राज्य सरकार के सामने आये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने मामले चलाने के लिये कोई मंजूरी नहीं दी थी ?

(5) यदि हां, तो मौजूदा नई सरकार ने इसकी कब एवं किसके खिलाफ स्वीकृति दी ? कृपया स्वीकृति की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2) बाढ़ से प्रभावित हुए ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में इस मामले में चालान की अनुमति नहीं दी गई थी।

(5) राष्ट्रपति शासन काल के दौरान दिनांक 19-5-77 को निम्न व्यक्तियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है:—

1. श्री विमल प्रकाश रोत;
   प्रधान पंचायत समिति, सागवाड़ा
2. श्री हरजी भाई,
   प्रधान, पंचायत समिति, सीमलवाड़ा
3. श्री शंकर, सरपंच, कोचरी
4, श्री धूलजी, सरपंच, बावड़ी

इस स्वीकृति की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय अस्पताल, मालपुरा

454. श्री नारायणसिंह (मालपुरा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) राजकीय अस्पताल, मालपुरा में रोगियों के लिये कितनी शैय्या (बेड्स) निर्धारित हैं ? जितनी शैय्या निर्धारित हैं वह पूरी है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पूरी हो जावेगी ?

(श्री नारायण सिंह)

(2) यह अस्पताल कौन सी श्रेणी में है ? क्या श्रेणी अनुसार वहां डाक्टर कम्पाउंडर, नर्सें आदि कर्मचारी हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो किस कारण से और उनकी पूर्ति कब तक हो जावेगी ?

(3) क्या इस अस्पताल के लिये स्त्री चिकित्सक (लेडी डॉक्टर) की भी व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या वहां लेडी डॉक्टर है ? यदि नहीं, तो कब से नहीं है ? क्या राज्य सरकार जनता को सुविधा की ओर ध्यान देकर वहां शीघ्र ही लेडी डॉक्टर की नियुक्ति करेगी ?

(4) क्या अस्पताल में आवश्यकतानुसार सब प्रकार के चिकित्सा सम्बन्धी औजार और दवाइयां उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और कब तक समूची व्यवस्था हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जिला टोंक के ग्राम मालपुरा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जहां 20 बेड्स निर्धारित हैं। जो स्वीकृति के अनुसार पूरे हैं!

(2) यहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है । उक्त केन्द्र पर स्वीकृति के अनुसार स्टाफ कार्यरत है केवल एक प्रसाविका का एक पद रिक्त हैं जिसे योग्य व्यक्ति मिलने पर शीघ्र ही भर दिया जावेगा ।

(3) जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किसी लेडी डाक्टर का अलग से कोई पद स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) जी हां।

उत्तरी राजस्थान सहकारी दूध उत्पादक संघ लि. बीकानेर द्वारा दूध की खरीद

455. श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर क्षेत्र के दूध उत्पादकों से उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. बीकानेर देहली मिल्क स्कीम उत्पादकों से पहले दूध लेती थी ? यदि हां, तो उसे क्यों हटाया गया ?

(2) देहली मिल्क स्कीम किस भाव से व उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. किस भाव से उत्पादकों से दूध लेता है ?

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

(3) क्या यह सही है कि संघ के एकाधिकार से दूध उत्पादकों में भयंकर असंतोष है व संघ के कार्य में भारी अव्यवस्था है तथा बीकानेर क्षेत्र के दूध उत्पादकों ने देहली मिल्क स्कीम को दुबारा चालू करने की मांग की है और संघ के खिलाफ शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है?

(4) क्या यह सही है कि संघ की गाड़ियां गांवों में दूध लेने के लिये देर से आती हैं, पैसे समय पर नहीं मिलते, दूध का तोल व फेट गांवों में न लेकर बीकानेर में संघ कार्यालय में तोलते हैं ?

(5) क्या यह सही है कि टेन्कर एवं ट्रकों के साथ सिर्फ ड्राईवर एवं खलासी होते हैं ?

(6) क्या यह सही है कि संघ टी. आई. पी. के नाम से पहले दो पैसे प्रति लीटर काटता था तथा अब प्रति लीटर पांच पैसे काट रहा है ? यदि हां, तो सन् 1975–76 व 76–77 में इससे कुल कितने रुपये वसूल किये गये व डाक्टरी सुविधाओं पर कितना खर्चा किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, एक ही कार्य के लिये दो संस्थाओं का होना उचित नहीं पाया गया।

(2) वर्तमान में केवल उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. द्वारा 4% (फैट) तक 30 रु० प्रति किलो फैट व इससे ऊपर के फैट पर 20 रु० प्रति किलो फैट की दर पर दूध क्रय किया जाता है। पूर्व में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा भी इसी दर पर दूध क्रय किया जाता था।

(3) कभी-कभी कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं। जिनका समय समय पर निराकरण कर दिया जाता है। दूध उत्पादकों ने डी. एम. एस. को दुबारा चालू करने का सुझाव नहीं दिया, ये लोग दूधिया (मिडिलमैन) हैं जो उत्पादक व डी. एम. एस. के बीच की कड़ी थे। संघ का उद्देश्य इन मिडिलमैन को समाप्त कर उत्पादक को सीधा लाभ पहुँचाना है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां।

(6) जी हां, वर्ष 75-76 व 76-77 में क्रमशः 28,768.72 रु० व 2,39,999.67 रु० वसूल किये गये व क्रमशः 38,163.11 रु० व 2,14,323.09 रु० डाक्टरी व अन्य टी. आई. पी. सुविधाओं पर व्यय किये गये।

सिरोही जिले की कृषि उपज मंडी

456. श्री ग्रलदाराम मीणा(पिड़ावा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सिरोही जिले में कितनी कृषि उपज मंडियों का गठन हुआ है ग्रौर किस किस गांव में ?

(2) इन कृषि उपज मंडियों का निर्वाचन कब कब हुग्रा ग्रौर कौन-कौन व्यक्ति इनमें चुनकर ग्राये ? दुबारा इनके चुनाव कब कराने का इरादा है ?

(3) इन कृषि उपज मंडियों में चुने हुए कौन से प्रतिनिधि ग्रनुसूचित जाति एवं जन-जाति के हैं ?

(4) इन कृषि उपज मंडियों की ग्रलग-ग्रलग ग्राय प्रति वर्ष कितनी हुई ग्रौर इन मंडियों ने कौन कौन से सुधार ग्रौर निर्माण कार्य किये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सिरोही जिले में दो कृषि उपज मंडी समितियों का गठन हुग्रा है। ये शिवगंज ग्राबूरोड में स्थित हैं।

(2) शिवगंज कृषि उपज मंडी समिति का निर्वाचन दिनांक 5-4-73 को ग्रौर ग्राबूरोड कृषि उपज मंडी समिति का निर्वाचन दिनांक 28-4-73 को हुग्रा था। चुने हुये सदस्यों के नामों की सूची 'क' एवं 'ख' सलग्न हैं। दुबारा चुनाव कराये जाने प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) उपरोक्त कृषि उपज मंडी समितियों के चुने हुये सदस्यों में कोई भी सदस्य ग्रनुसूचित जाति एवं जन-जाति का नहीं है।

(4) इन मंडी समितियों की ग्रलग ग्रलग प्रति वर्ष की ग्राय ग्रौर सुधार एवं निर्माण कार्यों की सूची ग,घ,ङ,च,छ, संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कठूमर पंचायत द्वारा पंचों को दी गई राशि

457. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कठूमर पंचायत द्वारा 13,000/– रुपये की धनराशि सर्वश्री हीरालाल पंच, रामहेत पंच, भगवान सहाय पंच तथा हीरालाल पंच को क्रमश: दिनांक 23-4-68, 31-3-71, 31-3-73, व 28-5-74 को सड़क व गली निर्माण हेतु दी गई थी।

(154)

(श्री गंगा सहाय)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त राशि के दिये जाने के लिए किसी भी सक्षम अधिकारी से तखमीना (एस्टीमेट) नहीं बनाया गया था ? यदि हां, तो किस अधिकारी से बनवाया गया ? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि पचों को सरपंच ने किस आधार पर दी ?

(3) क्या यह भी सही है कि किसी कार्य के निर्माण हेतु कोई धनराशि दी जाती है तो निर्माण कार्य धनराशि मिलने के एक सप्ताह की अवधि में ही आरम्भ किया जाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो यह धनराशि इतने लम्बे समय तक पंचों के पास क्यों पड़ी रहने दी गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त धनराशि को संबंधित पंचों द्वारा दण्डनीय ब्याज सहित जमा कराने हेतु 12-5-77 को लिखा गया था ? यदि हां, तो क्या यह धनराशि जमा करा दी गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यह भुगतान अनियमित था।

(3) जी नहीं। नियमों के अनुसार इस प्रकार अग्रिम धनराशि नहीं दी जा सकती है। जिलाधीश की जानकारी में पहले यह मामला नहीं आने से इतने दिन तक यह राशि पड़ी रही।

(4) जी हां। अभी तक धनराशि जमा नहीं कराई गई है।

नगर विकास न्यासों में कार्यरत कर्मचारी

458. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य के नगर विकास न्यासों में कई वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थायी करने हेतु राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है तथा राज्य सरकार कब तक इन कर्मचारियों को स्थायी कर देगी ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा नगर विकास न्यास में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिये सेवा नियम बनाये हुए है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इन नियमों को कब तक लागू कर देगी ?

(नगर आयोजना मंत्री) उत्तर

(1) नगर विकास न्यासों में कर्मचारियों का स्थाईकरण विभिन्न न्यासों में स्थाई पदों के अनुसार किया जाता है। पदों को स्थाई करने के लिये न्यासों से प्रस्ताव आने पर राज्य सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाकर कार्यवाही की जाती है।

(2) जी नहीं। नियम बनाने के लिये आवश्यक प्रावधान अधिनियम में करने की कार्यवाही की जा रही है।

आपातकाल में हटाया गया गीजगढ़ विद्यालय का अध्यापक

459. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री मिश्रीलाल स.अ. तृतीय श्रेणी, राजकीय उ.मा. विद्यालय, गीजगढ़ को आपातकालीन समय में विद्यालय निरीक्षक, जयपुर प्रथम ने सेवा निवृत्त किया था ? यदि हाँ, तो किन कारणों के आधार पर ? कारणों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक को निलम्बन काल में ही सेवा निवृत्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या निलम्बन काल में सेवा निवृत्ति करने के नियम हैं ? यदि हैं, तो कृपया ऐसे नियम सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त अध्यापक को कोई चार्जशीट निलम्बन काल में दी गई ? यदि हां, तो चार्जशीट की प्रति व अध्यापक द्वारा दिये गये जवाब की प्रति मय निर्णय के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या अधिकारियों की गलती से निकाले गये सेवा-निवृत्त आदेशों को राज्य सरकार वापस लेने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ। इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (2) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर सेवा निवृत्त किया गया।

कारणों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। नियमानुसार केवल 3 माह का नोटिस दिया गया है।

(4) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244(2) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों के मामलों पर राज्य सरकार पुनर्विचार कर रही है।

Page No 156

(158)

(शिक्षा मंत्री)

श्री मिश्रीलाल, सहायक अध्यापक को अनिवार्य सेवा निवृत्त करने के कारण:—

1. इन पर दो फौजदारी मुकदमे चल रहे थे। एक में एक महीने का कारावास तथा 50) रु० दण्ड दिया गया। हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को यथावत रखा।
2. इन पर गांव की राजनीति में भाग लेने, अध्यापन में व्यवधान उपस्थित करने, शाला का वातावरण दूषित करने के आरोप थे।
3. इनके गोपनीय प्रतिवेदन असंतोषजनक थे।

———

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A—CB Cell)

CIRCULAR

Jaipur, dated 4th September, 1973

No. F. 8 (52)Karmik/ACR/72/Pt. II:—Attention is invited to this Department Circulars of even Nos. dated the 3rd Jan., 1973 and 17th Feb., 1973 regarding giving 3 months notice or payment of notice pay and allowances in lieu of 3 months notice to Government servants who have completed 25 years qualifying service and are proposed to be retired compulsorily under Rule 244 (2) of the Rajasthan Service Rules.

A question has arisen as to how the cases of *Government Servants under suspension,* should be dealt with under Rule 244 (2) of R. S. R. The matter has been examined and the following instructions in this regard are laid down: —

(i) The cases of such of the Government servants under suspension who are facing serious charges (Warranting their removal or dismissal) which have a fair chance of being proved should be examined very closely before action under Rule 244 (2) of RSR is taken, since compulsory retirement in such cases may amount to conferring unwarranted and un-justified favour on such employees.

(ii) Action under Rule 244 (2) of R. S. R. may be taken against Government Servants under suspension whose delinquency is not grave enough to warrant their dismissal or removal from service, or if the delinquency is grave enough but the charges cannot be proved for want of evidence etc.

(iii) Such of the Govt. servants under suspension who are proposed to be retired under Rule 244 (2) of R. S. R., should be served with three months notice only instead of paying them 3 months pay and allowances. During the 3 months notice period such Government servants would continue to draw only the subsistene allowance being drawn by them at the time the three months notice is served upon them.

It is reiterated that great care should be taken while initiating action under Rule 244 (2) of R. S. R. against Government Servants under suspension and the above instructions should be scrupulously followed.

Sd/-

Deputy Secretary to Govt.

(158)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE (Gr. 2) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated Jaipur, the 26th Nov., 1975

Sub:—Amendment in Rule 244 of R S. R.

No. F.1 (50) FD (Gr. 2)/75:—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Service Rules namely:—

1. *Short title and commencement:*—(1) These Rules may be called the Rajasthan Service (Amendment) Rules, 1975.

   (2) They shall be deemed to have come into force with effect from 2-9-1975.

2. *Amendment of Rule 244:*—For the existing rule 244 of the Rajasthan Service Rules, the following shall be substituted namely:—

   244, Retirement on completion of 20 years qualifying Service:-

"(1) A Government servant may, after giving atleast three months previous notice in writing to the Government, retire from service on the date on which he completed 20 years of qualifying service or the date on which he attains the age of 50 years whichever is earlier, or any date thereafter to be specified in the notice :

Provided that it shall be open to the appointing authority to withhold permission to retire a Government servant under suspension or against whom departmental proceedings have alrealy been commenced.

(2) (i) The Government may, after giving at least three months previous notice in writing require a Government servant to retire from the service on the date on which he completes 20 years of qualifying service or the date on which he attains the age of 50 years whichever is earlier, or on any date thereafter:

Provided that such Government servant may be retired from service forthwith, and on such retirement the Government servant shall be entitled to claim three months pay and allowances in lieu of notice.

(ii) The Government may publish the order of such retirement in Rajasthan Rajpatra and the Government servant shall be; deemed to have retired on such publication, if he has not been served with the retirement order earlier.

By order of the Governor,
Sd/-
(M. S. Sadasivan)
Financial Commissioner and
Secretary to Government.